खण्ड-207, अंक-5
शुक्रवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(4 सितम्बर, 1959 ई0)

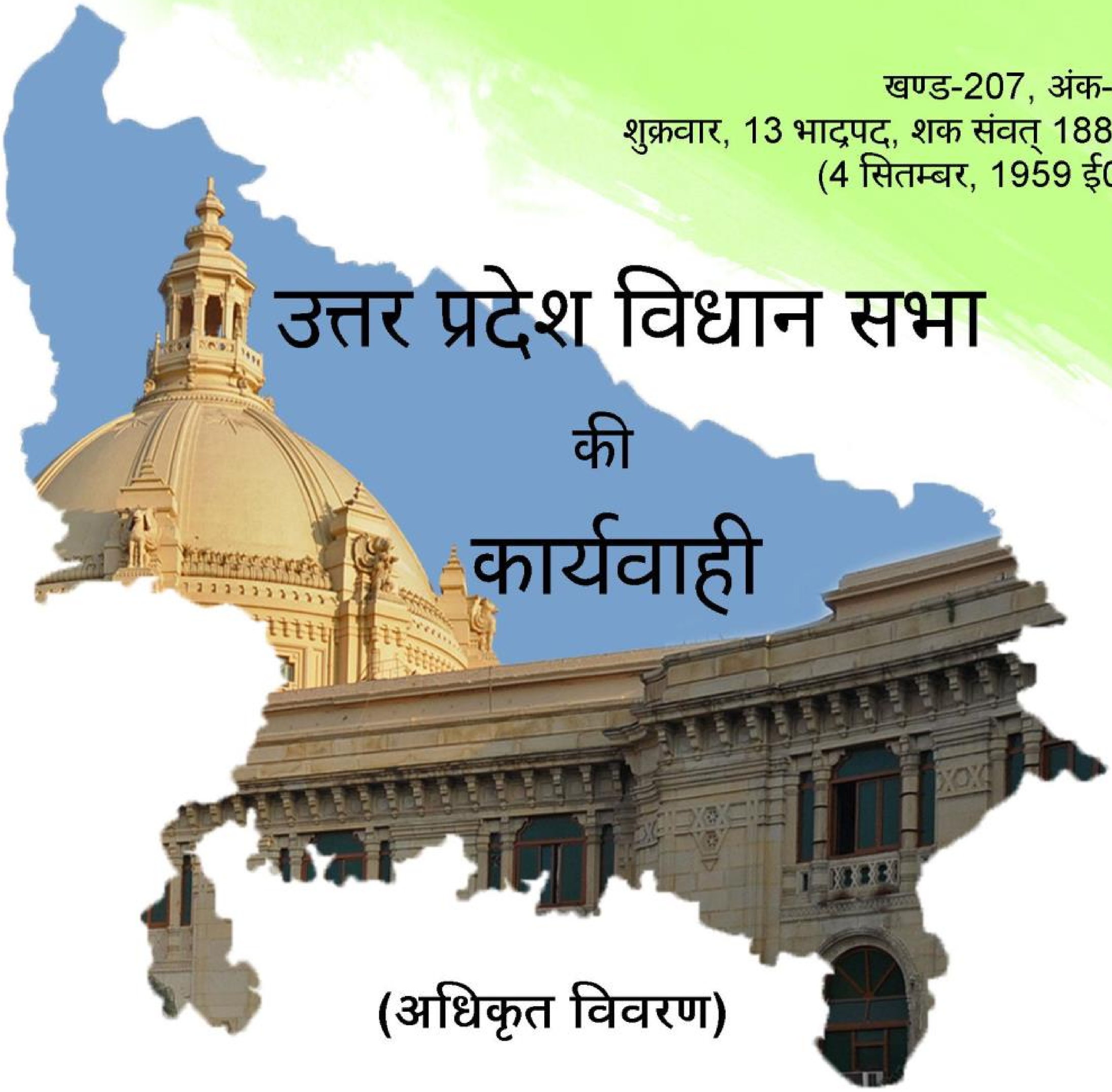

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ४ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३८८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिंहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री

गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री

नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मदहुसेन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय, यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)

रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखनीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वज्रांगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री

शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ४ सितम्बर, १९५९

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

राज्य विकास ऋण में जमा धन

**१—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने ४ प्रतिशत व्याज पर २५ अगस्त, १९५९ तक जो स्टेट डेवलपमेन्ट सन् १९७१ का कर्ज मांगा था उसमें कितना रुपया जमा हुआ ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—सन् १९७१ में प्रतिदेय ४ प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण में कुल १२,९१,१४,९०० रुपया जमा हुआ। यह ऋण १९ अगस्त, १९५९ को चन्दे (subscription) के लिये खुला और उसी दिन बन्द कर दिया गया।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया जमा करने का लक्ष्य था और उससे कितना अधिक जमा हो गया ?

वित्तमंत्री (श्री सैयदअली जहीर)---लक्ष्य तो ८ करोड़ का था लेकिन कायदा यह है कि अगर ज्यादा रुपया जमा हो जाय तो १० प्रतिशत तक अधिक ले सकते हैं यानी ८ करोड़ ८० लाख तक, लेकिन उस से भी बहुत अधिक जमा हो गया, १३ करोड़ के लगभग, फिर रिजर्व बैंक ने फैसला किया कि जिनका चन्दा १०,००० तक का है उनको पूरा एलाट किया जायगा और उससे ऊपर की जो दरख्वास्त हैं उन को दो-तिहाई रकम के बांड दिये जायेंगे और बाकी पैसा उनका वापस हो जायगा । इस हिसाब से ८ करोड़ ८७ लाख के करीब जमा हुआ है और बाकी वापस हो जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह सही है कि इसमें से काफी रुपया ऐसा है जिसने पुराने कर्जे को रिकनवर्ट किया है ? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ?

श्री सैयदअली जहीर---इसमें ऐसा नहीं है, मुमकिन है थोड़ा बहुत ऐसा हो जिसमें कर्जे की अदलाबदली हुई हो लेकिन वह कोई बड़ी रकम नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सब से अधिक कर्ज किस जिले या शहर से प्राप्त हुआ ?

श्री सैयदअली जहीर--यह तो ठीक याद नहीं है कि कहां से सब से ज्यादा हुआ, लेकिन जो लक्ष्य बनाया गया था उसमें कानपुर के लिये २ करोड़ रखा गया था ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---अभी जो मंत्री जी ने बताया कि वह थोड़ा बहुत है जो अदला-बदली से आया है तो क्या थोड़े बहुत की परिभाषा में ५० लाख से ज्यादा है ? अगर हां, तो क्या वह करोड़ों में है ?

श्री सैयद अली जहीर---कोई कर्जा उस वक्त मेच्योर नहीं हो रहा था इसलिये अदलाबदली का सवाल नहीं था लेकिन कोई दूसरा पैसा एलाट हुआ हो और वह मेच्योर हुआ हो उसके फिगर्स हमारे पास नहीं हैं लेकिन यह खयाल गलत है कि जैसा होता है कि जब एक कर्जा मेच्योर होने का होता है तो दूसरा कर्जा सरकार ले लेती है तो कनवर्जन हो जाता है यह कनवर्जन वाला कर्जा नहीं था ।

डाक्टर डी० एन० शर्मा की आयुर्वेद कालेज, लखनऊ के प्रिन्सिपल पद पर नियुक्ति

२---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)**---क्या सरकार डिप्टी डाइरेक्टर आयुर्वेद की नियुक्ति के बारे में २८ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४३ तक के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने इस बात की जानकारी कर ली है कि प्रदेश में कोई आयुर्वेद का सम्यक् ज्ञाता ऐसा नहीं है जो डिप्टी डाइरेक्टर आयुर्वेद राजकीय आयुर्वेद फार्मेसी का इंचार्ज तथा आयुर्वेद कालेज, लखनऊ के प्रिंसिपल पद पर नियुक्त किया जा सके ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---इस बात की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

श्री देवनारायण भारतीय---इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि राजकीय आयुर्वेद फार्मेसी का इंचार्ज तथा आयुर्वेद कालेज, लखनऊ के प्रिंसिपल के पद आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में सब से जिम्मेदार जगहें हैं तो क्या उनके लिये सरकार को इस बात की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि आयुर्वेद सम्यक्ज्ञाता उन स्थानों पर रखे जायं ?

न्यायमंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेस्ट की गई है कि सेलेक्शन कर दें, अब थोड़े दिन का मामला था इसलिये एडीशनल डायरेक्टर को इंचार्ज बना दिया गया है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिये कमीशन ने एक आदमी को चुना है, उनके सम्बन्ध में अभी कुछ इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद अगर इन्क्वायरी ठीक निकली तो उनका एप्वाइंटमेंट कर दिया जायगा। इस वक्त डाक्टर डी० एन० शर्मा को नियुक्त कर दिया गया है जो सीनियर आदमी हैं और रीडर भी हैं। इसी वजह से अभी ज्यादा जरूरत नहीं हुई।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह जो डाक्टर की अस्थायी नियुक्ति की गई है उसकी जगह पर उन्हीं के अधीन किसी वैद्य की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो डिपार्टमेन्ट में काम पहले से करते हैं उनके लिये आसानी होती है और बाहर के लोगों को लेते तो उसके लिये मोटिव एट्रीब्यूट किये जाने का खतरा था, इसलिये इस वक्त ऐसा नहीं किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--लोकसेवा आयोग द्वारा उन सज्जन को चुने हुये कितने दिन हो गये हैं और इंक्वायरी जो हो रही है उसके कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चुने हुये तीन-चार महीने हो गये, एक्जेक्ट नहीं बता सकता। इंक्वायरी जल्दी ही खत्म होने वाली है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लोकसेवा आयोग ने आयुर्वेद कालेज के लिये किन सज्जन को चुन लिया है और अब किस बात की इंक्वायरी की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह अभी मैं बतलाना नहीं चाहता।

श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रिंसिपल का पद कब से खाली है और वाइस प्रिंसिपल का कब से खाली हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रिंसिपल का पद अर्से से खाली है। कुलकर्णी, आयुर्वेद के डिप्टी डाइरेक्टर आफीशियेट करते थे। अभी हाल में दो महीने हुये जब कुलकर्णी का कंट्रेक्ट आफ सर्विस खत्म हो गया तो डी०एन० शर्मा को मुकर्रर किया गया।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस पद के लिये कोई एलाउन्स भी श्री शर्मा के लिये निश्चित किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--शायद कुछ एलाउन्स नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ये जो वैकेन्सीज थीं जिनके बारे में बताया कि टैम्पोरेरी रूप से रखे गये थे तो जब परमानेन्ट रूप से रखे जायेंगे तो इस बात पर विचार किया जायगा कि इसमें आयुर्वेदज्ञाता ही रखे जांय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रिंसिपल के लिये जो क्वालीफिकेशन हों, वह आयुर्वेद की ही करने का विचार है और यही मुकर्रर करके भेजी भी गई है। डिप्टी डाइरेक्टर के लिये भी कुछ क्वालीफिकेशन्स हैं, आयुर्वेद की उनमें ज्यादा हैं।

श्री देवनारायण भारतीय--मंत्री जी बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग ने जिन सज्जन को सेलक्ट किया है वे आयुर्वेद के ज्ञाता हैं या एम० बी०, बी० एस० हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सुना है कि आयुर्वेद खूब जानते हैं।

श्री उग्रसेन--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो राजकीय आयुर्वेद फार्मेसी है उसका काम किसकी देख-रेख में चल रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह असिस्टेन्ट ड्रग कंट्रोलर की देख-रेख में है । ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, निगरानी करते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जन को उन्होंने इस समय नियुक्त किया है टैम्पोरेरी चार्ज देकर--श्री शर्मा--उनके पास पहले से ही सात-आठ पोस्ट हैं और काफी जिम्मेदारी की है ? यदि हां, तो वह किन-किन पोस्ट पर पहले से मौजूद हैं और इन पदों के होते हुये नये पद का चार्ज भी ले सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सात-आठ पोस्ट नहीं है । डिप्टी डाइरेक्टर हैं मेडिकल डिपार्टमेन्ट में, बलरामपुर अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं--वह तो इनका परमानेन्ट जाब है--आयुर्वेद कालेज में रीडर भी हैं और आफीशियेटिंग प्रिंसिपल हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--जब पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि शीघ्रातिशीघ्र प्रिंसिपल का एप्वाइन्टमेंट हो जायगा तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह देर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हुई या सरकार की ओर से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार की तरफ से तो नहीं हुई । यह सब कार्यवाहियों में देर हुई ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने चुना है प्रिंसिपल पद के लिये उनके सम्बन्ध में क्या इंक्वायरी की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो मैंने जवाब दिया कि उसे मैं इस वक्त बताना नहीं चाहता हूं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

*१-३--**श्री चन्द्रजीत यादव**--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

[४ सितम्बर, १९५९ के लिए निर्धारित प्रश्न]

टाउन एरिया बेवर तथा भोगांव में जमींदारों को लगान न देने की शिकायत

*१--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में टाउन एरिया बेवर भोगांव में जमींदारी समाप्त नहीं हुई है मगर जमींदारों को लगान वसूल नहीं करने दिया जाता है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--७ जुलाई सन् १९४९ को जो सीमा क्षत्र टाउन एरिया बेवर तथा भोगांव के थे, उनके अन्दर जमींदारी समाप्त नहीं हुई है । इन सीमा क्षेत्रों के अन्दर जमींदारी के लगान वसूल करने पर कोई रोक नहीं है । इन का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—यह क्या गलती से रह गया है ? भोगांव में जमींदारी एबालीशन होने से रह गयी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—वहां जो जाता है वही कुछ न कुछ अक्ल खो देता है ।

*२—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—[हटा दिया गया ।]

जिला गजेटियरों की प्रकाशन योजना

*३—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सभी जिलों के नये गजेटियर प्रकाशित कर रही है ? यदि हां, तो अभी कितने जिलों के तैयार हो चुके हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—हां, सरकार सभी जिलों के गजेटियर पुनः प्रकाशित कर रही है । अभी तक लखनऊ का जिला गजेटियर प्रकाशित हो चुका है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार बतायेगी कि गजेटियर के प्रकाशन का कार्य कब आरम्भ हुआ था और किसकी देखरेख में हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५५ में शुरू हुआ था और ऐडवाइजरी बोर्ड देखरेख कर रहा है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—अभी तक इस सम्बन्ध में कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जिला गजेटियर ज्यादातर मामूली क्लर्कों द्वारा लिखे जा रहे थे जिस पर बहुत विरोध हुआ लेकिन वह ज्यों का त्यों ही है ? अगर हों, तो उसे संशोधित किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसकी देखरेख करने के लिये बहुत अच्छे अफसर मुकर्रर हैं, तभी छपता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जब इन गजेटियरों का काम १९५५ में प्रारम्भ किया गया तो ४ वर्ष में केवल एक ही जिले का गजेटियर क्यों प्रकाशित हो पाया और बाकी जिलों के प्रकाशित होने में कितना समय लगेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फैजाबाद, बाराबंकी, सीतापुर के तैयार हैं; वे भी प्रकाशित होने वाले हैं और फिर आगरा का लिया जायगा ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि इस गजेटियर में स्वतन्त्रता-संग्राम के उन सेनानियों का नाम आयेगा जो फरार रहे हैं मगर जेल नहीं गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसको तो ऐडवाइजरी बोर्ड तय करेगा हम नहीं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को जानकारी है कि चूंकि गजेटियर बहुत जगह के अंग्रेजी में तैयार कराये जा रहे हैं इस वजह से देर हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बात नहीं है, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में होंगे ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी इस समय जो गजेटियर मूल तैयार हो रहा है वह किस भाषा में हो रहा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अंग्रेजी में ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इसका कारण बतायेगी कि जब प्रदेश की राजभाषा १९५१ में हिन्दी हो गई तो अंग्रेजी में मूल गजेटियर तैयार कराने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हिन्दी में तर्जुमा कर दिया जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मंत्री जी बतायेंगे कानपुर के सम्बन्ध में बहुत सी सामग्री एकट्ठी हुई थी उसका काम क्यों रोक दिया गया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--रोका नहीं, चल रहा है धीरे-धीरे ।

श्री उग्रसेन--अब तक गजेटियर लिखने में कितना धन सरकार का खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री राजनारायण--जब सरकार इस बात को जानती है कि हिन्दी कापी रखनी पड़ेगी तो हिन्दी में ही आरम्भ से क्यों तैयार नहीं कराये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बहुत सा पुराना रिकार्ड अंग्रेजी में मिलता है लिहाजा उसी को कम्पाइल करना सहल मालूम होता है ।

श्री प्रताप सिंह--मंत्री जी बतायेंगे कि जो १९५५ से नये गजेटियर बनाने का आयोजन सरकार ने किया है उसके सम्बन्ध में ऐडवाइजरी बोर्ड को क्या निर्देशन दिया गया है तथा किन आधारभूत बातों पर विचार करके गजेटियर बनाने का निश्चय किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जितना उन जिलों के लिये आवश्यक समझा जायगा सब बातें देखी जायंगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव--पूरे प्रदेश के हर जिले के कब तक गजेटियर तैयार हो जायेंगे, इसके लिये कोई अवधि निश्चित है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसे काम में टाइम लिमिट नहीं फिक्स की जाती है, बड़ा लम्बा काम है ।

*८-५-**श्री लक्ष्मण राव कदम**--[हटा लिये गये ।]

थानेदारों की ड्यूटी पर मृत्यु

*६--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी सन् १९५८ से १० मार्च, १९५९ तक सरकारी काम करते समय कितने थानेदार मारे गये हैं ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--पूछी गई अवधि में सरकारी कार्य करते हुए ३ दारोगा व १ प्लाटून कमान्डर मारे गये हैं । इनमें से २ दारोगा डकैतों से मुठभेड़ में गोलियों द्वारा मारे गये । १ दारोगा व १ प्लाटून कमान्डर मोटर दुर्घटना में मारे गये ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो थानेदार डाकुओं की मुठभेड़ में मारे गये हैं वे किस जिले में मारे गये हैं और कौन से डाकुओं से मुठभेड़ हुई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--पहिले श्री मुजफ्फर हुसेन यह सूचना पा कर कि डाकुओं का एक दल उनके क्षेत्र के नगरैया प्रयाग तथा बंशिया ग्रामों में छिपा हुआ है, बन्दी बनाने के लिये गये । वहां पहुंच कर दोनों तरफ से गोलियां चलीं जिसके फलस्वरूप श्रीहुसेन को गोली लगी और उनका प्राणान्त हो गया ।

दूसरे श्री हुसेन अली यह सूचना पाकर कि डकैतों का एक गिरोह फकरपुर पुलिस क्षेत्र में डाका डालने जा रहा है अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गिरफ्तारी के लिये गये। रास्ते में डकैतों से मुठभेड़ हुई। उसके फलस्वरूप श्री हुसेन अली गोली द्वारा घायल हुये। जब वे अस्पताल ले जाये जा रहे थे तो रास्ते में ही उनका स्वर्गवास हो गया।

श्री गनेशचन्द्र काछी---जो थानेदार मारे गये हैं उनके आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता या दूसरे प्रकार की सहायताएं दी गयी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्लाटन कमांडर जिनकी मोटर दुर्घटना से मृत्यु हुई थी उनकी पेन्शन के कागजात अस्वीकार कर दिये गये हैं क्योंकि रिस्क आफ आफिस के कारण उनकी मृत्यु नहीं मानी गयी। बाकी के कागजात आई० जी० के यहां आये हुये हैं, उनकी जांच हो रही है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---जो थानेदार डाकुओं की मुठभेड़ में मारे जाते हैं उनके लड़कों को थानेदारी को नौकरी देने में सरकार कुछ खयाल करती है या नहीं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---थानेदारी की भर्ती करने के लिये एक कमेटी बनती है जो चुनाव करती है। लेकिन ऐसे दारोगा जो ड्यूटी देते हुये मारे जाते हैं उनके लड़के अगर और तरह से क्वालिफाइड हैं तो उनको प्रिफरेन्स मिलता ही है।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि जिला पीलीभीत में भी एक दारोगा अपनी ड्यूटी करते हुये मारे गये ? यदि हां, तो उनके बच्चों को क्या मदद दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरे पास इलाहाबाद, देवरिया, शाहजहांपुर और बहराइच की सूचना है। पीलीभीत के बारे में इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन---जो दारोगा मोटर दुर्घटना में मरे उनकी मृत्यु राजकीय रोडवेज की बस से हुई या किसी प्राइवेट बस से ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्लाटून कमांडर तो सड़क के किनारे खड़े हुये थे। वे जहां पर खड़े हुये थे वहीं से एक दूसरी ट्रक पास हो रही थी जिसका रिम निकल कर उनके लग गया। दूसरे सज्जन प्रेमनाथ वर्मा सरकारी कार्य के कारण मोटर से अपने थाने वापस लौट रहे थे। रास्ते में मोटर दुर्घटना के कारण स्वर्गवासी हुये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---जो राजकीय मोटर से थानेदार साहब लौट रहे थे वे राजकीय काम से गये थे या प्राइवेट काम से गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो निवेदन कर दिया कि सरकारी काम से ही गये हुये थे।

*७-८---**श्री मदन पांडेय**---[हटा दिये गये।]

अध्यापिकाओं की आवास व्यवस्था योजना

*९---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं के लिये निवास-स्थान (residentia quarters) निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके लिये जो योजना बनाई गई है क्या उसे सरकार सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---जी हां, वर्तमान वित्तीय वर्ष में अध्यापिकाओं के ५८८ आवास गृहों के निर्माणार्थ १७,१९,००० रु० का अनावर्तक अनुदान दिया जायगा।

श्री मदन पांडेय--अध्यापिकाओं के लिये ३५८ आवास-गृह बनाने के लिये ११,४४,००० का अनुदान दिया गया है तथा प्रस्तुत उत्तर में ५८८ आवास गृहों पर १७,१९,००० रुपये के अनुदान की बात कही गई है तो क्या सरकार बतायेगी कि इन दोनों उत्तरों में से कौन सा सही है या वर्तमान वित्तीय वर्ष में इतने आवास-गृह बनेंगे और कहां कहां बनेंगे ?

श्री अध्यक्ष--कई प्रश्न एक साथ कर रहे हैं। एक एक प्रश्न करके पूछिये।

श्री मदन पांडेय--यह ५८८ और ३५८ यानी ९४६ आवास-गृह बनेंगे या जो दोनों रकमें बताई गई हैं उनमें कोई गलत है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--वैसे तो प्रश्न ६९ के आने पर ही इसका उत्तर मिल सकता था लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं कहना चाहता हूं कि २३० आवास-गृह स्त्री शिक्षा के लिये नहीं बनाये जा रहे हैं बल्कि बेकार व्यक्तियों की बेकारी दूर करने के लिये तथा प्रारम्भिक शिक्षा का प्रचार करने की स्कीम के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं। अगर यह उसमें से निकाल दें तो संख्या ठीक हो जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आवास-गृह बनाये जा रहे हैं उनमें से कितने बनने शुरू हो गये हैं और कितने बन गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह योजना इसी वर्ष से लागू हुई है और इसी वर्ष बजट में रुपया रखा गया है और इसका वितरण जिला परिषदों को होगा और वह अपने यहां बनायेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं के लिये निवास-स्थान बन रहे हैं तो क्या यह भी कहा गया है कि यह मुख्यध्यापिकाओं के लिये ही बने हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--ऐसा तो नहीं है। २८८ प्राथमिक स्कूलों की अध्यापिकाओं के लिये और ७० जूनियर हाई स्कूल की अध्यापिकाओं के लिये बनेंगे।

श्री राजनारायण--सरकार की ओर से उत्तर दिया गया है कि २३० निकाल दिये जांय तो संख्या ठीक हो जायगी तो किसमें से निकाले जांय ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--यह तो प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर में ही बताया जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना के अंतर्गत कितना रुपया राज्य सरकार व्यय करेगी और कितना केन्द्र से मिला है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--यह तो सारा रुपया भारत सरकार से ही मिला है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि जो आवास-गृह बन रहे हैं उसके लिये जितनी रकम है वह सभी जिलों के लिये बराबर बंटेगी या खास-खास जिले चुने जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमन्, बराबर-बराबर तो स्कूल भी नहीं हैं। कहीं स्कूल ज्यादा हैं और कहीं कम हैं। जिला परिषदों से सूची मांगी गई है और उसी हिसाब से रुपया वितरण होगा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इसको भी स्पष्ट करेगी कि सभी जिला परिषदों से सूची मांगी गई या खास-खास से ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--सभी से मांगी गई है।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने आवास गृह बन जाने की आशा है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—हम आशा करते हैं कि बरसात के बाद आवास गृह बनने शुरू होंगे और सभी बन जायेंगे ।

जिला सूचना अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों की नियुक्ति

*१०—**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० मार्च, १९५९ को राज्य में कितने जिला सूचना अधिकारी कार्य कर रहे थे और कितने अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी किन-किन जिलों में कार्य कर रहे थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—३० मार्च, १९५९ को राज्य में ५२ जिला सूचना अधिकारी प्रत्येक जिले में एक-एक और सूचना संचालन के मुख्यालय पर एक कार्य कर रहे थे ।

२४ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी संलग्न सूची में दिये हुये जिलों में कार्य कर रहे थे ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४६ पर)

*११—**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० मार्च, १९५९ को उपरोक्त जिला सूचना अधिकारी व अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों में से कितने-कितने लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा (approved) नहीं थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—३० मार्च, १९५९ के पूर्व से ही सभी जिला सूचना अधिकारियों और अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों को लोक सेवा-आयोग द्वारा ही चुने जाने के प्रश्न पर आयोग से परामर्श चल रहा था । अतः उन्होंने सभी पद विज्ञापित कर दिये हैं । पर जब तक उनका चुनाव आयोग नहीं करता तब तक काम के हित की दृष्टि से उन्हीं योग्यताओं के अनुरूप जिनके अधीन आयोग चुनाव करेगा एक स्थायी चुनाव शासन द्वारा नियुक्त समिति ने कर लिया था ।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार बतायेगी कि किन विशेष कारणों से २५ जिलों में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और कब-कब ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो २४ जिलों में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उनकी जरूरत समझी जाती थी और इस पर सरकार विचार कर रही है कि २४ के बजाय केवल १२ ही रखें या १५ करें । यह प्रश्न सरकार के सामने है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह अतिरिक्त सूचना अधिकारी जो मुकर्रर किये गये हैं उनको किस मिनिमम क्वालिफिकेशन को देख कर रखा गया है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो बड़े शहर हैं किसी जिले में वहां यह सोचा गया कि काम की दिक्कत को देखते हुए, ऐसा अनुभव भी हुआ कि एक जिला सूचना अधिकारी से काम नहीं चलता था, उनको इतना अवसर नहीं मिल पाता था कि देहात में भी जांय और शहरों में भी जांय । इस दृष्टि से कुछ ऐसे जिले थे जिनमें अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी भी रखे गये ।

श्री राजनारायण—प्रश्न यह है कि जिन लोगों को जिला सूचना अधिकारी या अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी रखा जाता है क्या उनकी नियुक्ति के लिये सरकार ने कोई आधार बनाया है, क्या क्वालिफिकेशन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब तो उसका विज्ञापन हो गया है पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। उसमें दिया हुआ है कि किस आधार पर उनकी नियुक्ति होगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय सूचना मंत्री बतायेंगे कि कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं अथवा कारण उपस्थित हुए जिसकी वजह से सूचना अधिकारियों का स्थान बनाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना अधिकारियों का स्थान तो बहुत दिन से है ही जिलों में सूचना अधिकारी हों, लोगों को सूचनाएं प्रदान करें, बहुत दिन से चले आ रहे हैं और उसी दृष्टि से वह चलते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सूचना अधिकारियों की अब तक पब्लिक सर्विस कमीशन से क्यों नहीं परीक्षा ली गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हां, पहले नहीं ली गयी थी। ये पद पब्लिक सर्विस कमीशन के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखे गये थे। लेकिन अब उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर कर दिया गया है। इससे पूर्व एक विभागीय कमेटी के द्वारा उसका चुनाव हुआ करता था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह चुनाव कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा खयाल है कि जल्द हो जायगा क्योंकि उन्होंने विज्ञापन कर दिया है।

श्री राजनारायण--प्रश्न यह है कि अब आयोग ने कुछ क्वालिफिकेशन मुकर्रर की है मगर इसके पूर्व जो अब तक चुनाव हुए हैं जिला सूचना अधिकारी या अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के उनके चुनाव का क्या आधार था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पूरा तो मैं तभी बता सकता हूं जबकि नोटिस मिले लेकिन साधारणतया ग्रेजुएट हों, हिन्दी का ज्ञान हो पढ़ने-लिखने का ज्ञान हो, सार्वजनिक सेवा की हो, इस प्रकार की बात रखी जाती रही।

श्री राजनारायण--क्या अब तक जिला सूचना अधिकारियों के जो पद थे वह राजनैतिक पद माने जाते रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, कोई राजनैतिक पद नहीं माने जाते रहे हैं लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन से चुनाव नहीं होता था। विभागीय चुनाव होता था। अब पब्लिक सर्विस कमीशन के जिम्मे कर दिया गया है। उसके मानी ये हैं कि वह कोई राजनैतिक पद नहीं हैं।

श्री झारखंडेराय--क्या यह सही है कि जो लोग आजादी के संग्राम के सिपाही रहे हैं या उनसे सम्बन्धित रहे हैं इसमें उनको तरजीह दी गयी या अब भी दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, उनको तरजीह दी गयी। भविष्य में भी उनको पब्लिक सर्विस कमीशन से तरजीह दी जा सकती है यदि और हर तरह से क्वालीफाइड हों।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--यह सूचना अधिकारी और अतिरिक्त सूचना अधिकारी दोनों पदों के ग्रेड में क्या अन्तर है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना अधिकारी २००-१०-२५०-१५-४५० के ग्रेड में और अतिरिक्त सूचना अधिकारी १२०-८-३०० के ग्रेड में होते हैं।

पत्रकारों की यात्रा पर व्यय

*१२—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग, यू० पी० की पत्र-सूचना शाखा के अन्तर्गत राज्य में "पत्रकारों की यात्रायें" में १ अप्रैल, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल ९,५८८ रु० ८८ नये पैसे का भुगतान अब तक किया गया है। पत्रकारों के यातायात से सम्बन्धित कुछ बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। बिलों के प्राप्त होने पर भुगतान किया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो १० महीने में ९ हजार और कुछ रुपया खर्च हो गया और अभी होना है उसका कुछ सुफल भी हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि पत्रकारों को यात्रा कराने से और जो कुछ कार्य हो रहा है उसको दिखलाने से लाभ होता ही है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पत्रकार यात्रा का जो प्रोग्राम था इसमें कितने पत्रकार शामिल हुए और उनके चुनने का क्या आधार था ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहला जो ८ दिसम्बर, १९५८ से १९ दिसम्बर, १९५८ तक का दौरा हुआ था उसमें कश्मीर के पत्रकार आये थे और दूसरे में १४ व्यक्ति पश्चिमी जिले से सम्बंधित जो पत्रकार थे उनको पूर्वी अंचल की प्रगति दिखाने के लिये ले जाया गया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक यू० पी० के पत्रकारों का सवाल है पूर्वी जिले के पत्रकारों को पश्चिमी जिले दिखाने के लिये क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बुलाया जाता है। ऐसा होता रहता है। जरूर हुआ होगा। इसके ऊपर आप नोटिस देंगे तो पता लगा दूंगा। कई बार का तो मुझे याद पड़ता है कि पत्रकार बुलाये गये थे, पूर्वी जिलों के पश्चिमी जिलों के देखने के लिये और पश्चिमी जिलों के पूर्वी जिलों के देखने के लिये और वह गये भी थे।

देवरिया जिले में छठी कक्षा निःशुल्क करने की क्षतिपूर्ति

*१३—श्री उग्रसेन—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के लघु माध्यमिक विद्यालयों को कक्षा ६ की फीस माफ करने पर गत एक वर्ष से कोई अनुदान उक्त क्षतिपूर्ति के लिये नहीं दिया गया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं।]

अनुदान दिया गया है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में लघु माध्यमिक विद्यालयों में जो छठी कक्षा की फीस माफी की गई उससे होने वाली क्षति की पूर्ति करने में मंत्री जी को कौन-सी कठिनाई है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जब हमने निश्चय कर लिया कि छठीं कक्षा की फीस की क्षतिपूर्ति की जाय तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि देवरिया जनपद के लघु माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों को कम धन दिया गया है जिससे उन पर काफी बकाया है और वह इस समय चलने की हालत में नहीं है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—ऐसा नहीं है। देवरिया जनपद में १२९ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें से ६९ को पूरी रकम दी है। बाकी में से कई एक के बिल बहुत देर में आये और कइयों के बिल अशुद्ध थे जिनको संशोधन करने के लिये वापस भेजा गया। इस कारण उनको रकम नहीं मिली है। उनसे बिल प्राप्त हो जाने पर उनको भी रकम दे दी जायगी।

अविवादग्रस्त उत्तराधिकारियों की खतौनी में दुरुस्ती

*१४—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय कोई ऐसा सरकारी आदेश दिया गया है कि जितने लोग खतौनी व खसरे में बतौर काबिज या वर्ग ९ में १३६२ फसली या इसके पूर्व से अंकित हैं सीरदार बना दिये जायं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा २४०-क के अन्तर्गत ३० अक्तूबर, १९५४ को प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति के फलस्वरूप समस्त अधिवासी सीरदार बना दिये गये।

*१५—**श्री मुक्तिनाथ राय**—यदि हां, तो क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह आदेश भूमिधरी पर है या सीरदारी पर भी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*१६—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दराज दुरुस्ती की तस्दीक करके मौके पर ठीक कर देने का अधिकार सरकार ने कानूनगो लोगों को दिया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, इन्दराज-दुरुस्ती के सभी मामलों में तो नहीं, पर केवल अविवादग्रस्त उत्तराधिकारों का इन्दराज-खतौनी में पड़ताल के समय कर देने का अधिकार सुपरवाइजर कानूनगो लोगों को दिया गया है। यह इसलिये किया गया कि जमींदारी विनाश के उपरान्त दाखिल खारिज के मामलों की संख्या बहुत बढ़ गयी और इनका निबटारा तहसीलदार एवं हाकिम परगना के लिये कठिन हो गया।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रदेश के जिलों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि विवादग्रस्त मामलों में कागजात की दुरुस्ती का काम भी सुपरवाइजर कानूनगो कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर मेरे मित्र कोई स्पेसिफिक केस बतलावें तो मैं इत्तला मंगा लूंगा।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी को प्रदेश के जिलों से ऐसी शिकायत मिली हैं कि विवादग्रस्त मामलों के कब्जे आदि की दुरुस्ती सुपरवाइजर कानूनगो करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली है। ऐसा कोई केस नोटिस में लाया जाय तो मैं देखूंगा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या हाल ही में बोर्ड माल ने मालगुजारी के खातों की पुनः जांच के हेतु कुछ आज्ञा निकाली है। यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आदेश में सेहते इन्दराज करने के लिये इसका भार किस अधिकारी को दिया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सुपरवाइजर कानूनगो किसी की प्रार्थना पर दुरुस्ती करते हैं या स्वयं गांव-गांव में घूमते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह जब पड़ताल करने जाते हैं उस वक्त दोनों पार्टी होती हैं। कोई अनडिस्प्यूटेड है तो वहीं दुरुस्त कर दिया और अगर डिस्प्यूटेड हुआ तो डिप्टी के यहां होती है

श्री मुक्तिनाथ राय---मेरे क्षेत्र की शिकायत है कि सुपरवाइजर यह कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना मानकर क्या इस का पता लगायेंगे कि आजमगढ़ में इस तरह की कार्यवाही सुपरवाइजर कानूनगो कर रहे हैं या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह सरकार के लिये असम्भव होगा कि सारे जिले आजमगढ़ से यह पता लगाये। जो हमारे मित्र के नोटिस में हो वह बतलायें तो मुझे उसका पता लगाने में आसानी होगी।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या सरकार को मालूम है कि दफा ९ में भी इन्दराज होने के अतिरिक्त आज २।। साल से अधिवासियों को सीरदार होने के अधिकार नहीं प्राप्त हुए?

श्री हुकुमसिंह विसेन---२४०-क जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के आदेश के अन्तर्गत उनको यह अधिकार प्राप्त हुआ था। अगर हमारे मित्र उस दफा को पढ़ लें तो बात समझ में आ जायगी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास इस तरह की भी शिकायत आयी है कि नियमतः जिन लोगों का नाम खाते में सीरदार दर्ज हो गया था आज भी वे सीरदार के हक से वंचित किये गये हैं और जमीन उनके पास नहीं है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी।

कैलास तथा मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की सुविधाओं पर व्यय

*१७---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कैलास तथा मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिये सुरक्षा तथा सुविधा के लिये सरकार की ओर से इस वर्ष क्या व्यवस्था की गयी है तथा इसमें कितना खर्च होने का अनुमान है?

श्री रामस्वरूप यादव---तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिये इस वर्ष कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है। तीर्थ यात्री साधारणतया अल्मोड़े जिले से होकर लीपूलेख तथा कुनगिरी विनगिरी दर्रों से जाते हैं। इन यात्रियों के जान माल की सुरक्षा का कार्यभार सदा से ही जिले की सामान्य पुलिस पर रहा है।

तीर्थ-यात्रियों के सुविधा की लिय निम्नलिखित व्यवस्था की गयी :---

उपर्युक्त दो मार्गों पर जिनसे तीर्थ यात्री साधारणतया कैलाश मानसरोवर जाते हैं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध किया गया है। जिस पर चालू वित्तीय वर्ष में ३७,४०० रुपय खर्च होने का अनुमान है।

सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त दो मार्ग भी ठीक किये जा रहे हैं। इस पर चालू वित्तीय वर्ष में १३.४० लाख रु.य. खर्च होने का अनुमान है।

लीपूलेख दर्रे वाले मार्ग में जिससे यात्री अधिकांशतः कैलाश मानसरोवर जाते हैं, यात्रियों को सामान ढोने के लिये मजदूर तथा सवारी के लिये घोड़े व डांडी उचित भाड़े पर देने के लिये एक मजदूर ऐजेन्सी खुलवाई गयी है। इस प्रबन्ध पर सरकार द्वारा कोई खर्च नहीं किया जाता है।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को सूचना है कि चीनी चौकियों के कुछ सिपाही भारतीय सीमा में घुस आये हैं और यह भी एक यात्रियों की असुविधा का कारण है। यदि हां, तो सरकार बतलायेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई किसी प्रकार का कहीं खतरा अभी तक नहीं हुआ है। यह प्रश्न ऐसा है जिसको यहां पर, मैं समझता हूं, बहुत विवाद में नहीं लाना चाहिये।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना प्राप्त हुई है कि तिब्बत में चीनी अधिकारियों ने भारतीय करेंसी का चलन बन्द कर दिया है और इस कारण यात्रियों को बहुत असुविधा हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सीमान्त के इस ओर का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है और उसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और उस पार का प्रबन्ध जो है वह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है, वह देखना भारत सरकार का काम है और वह उसकी देखभाल करती है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो व्यय इस सिलसिले में होता है उसमें कुछ भारत सरकार से भी मिलता है या सब इस सरकार को ही देना पड़ता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सीमान्त क्षेत्र विकास योजना में भारत सरकार से भी सहायता मिलती है। उसमें सड़कें और दूसरा प्रबन्ध होता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कैलास मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की ओर से कोई शिकायत या सूचना सरकार के पास आयी है कि जिस तरह की उनको पहले सुविधा थी वह अब नहीं है? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार की तरफ से मानसरोवर और कैलास जाने वाले यात्रियों को रोका जाता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की जाती।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार का ऐसा विचार है कि इन यात्रियों की सुविधा के लिये सरहद पर मोटरेबिल रोड बना दी जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अधीन हम लोगों का काम रोड्स आदि बनाने का ही है और वह हो रहा है।

*१८-१९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय इण्टर कालेज, उरई में विज्ञान की शिक्षा-व्यवस्था के लिए प्रार्थना

*२०—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय इन्टर कालेज, उरई में पिछले वर्ष १२वीं कक्षा के बढ़ाये हुए सेक्शन के लिये साइंस के अध्यापकों की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है, इसका क्या कारण है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—पिछले वर्ष राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उरई (जालौन) की १२वीं कक्षा में कोई सेक्शन नहीं बढ़ाया गया। अतः साइन्स के अध्यापकों की गतवर्ष व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

*२१—श्री गरीबदास—क्या सरकार जालौन में जिले के विज्ञान पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या का ध्यान रख कर राजकीय इन्टर कालेज में विज्ञान का एक और सेक्शन खोलने पर विचार करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उरई (जालौन) में गत वर्ष साइन्स का एक अतिरिक्त सेक्शन ११वीं कक्षा में खोला जा चुका है तथा इस वर्ष १२वीं कक्षा में साइन्स का एक अतिरिक्त सेक्शन खुल चुका है। भविष्य में आवश्यकतानुसार परिस्थिति को देखते हुए यथासमय विचार किया जावेगा।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस साल जो बारहवें दर्जे में साइन्स सेक्शन खोला गया है उसमें अध्यापकों तथा साइन्स के इंस्ट्रूमेंट्स की उचित व्यवस्था हो चुकी है या नहीं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—विज्ञान की सज्जा और यंत्रों आदि के लिये ७ हजार रुपया दिया गया है और इस वर्ष अध्यापकों की वृद्धि के लिये भी स्वीकृति दी गयी है।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पूरे जिले के अन्दर केवल यही एक स्कूल है जहां साइन्स की शिक्षा दी जाती है ११वें दर्जे के बाद, इसलिये क्या वे यहां एक और सेक्शन खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यकता होगी तो खोला जायगा। कई जगहों में खोला गया है और कई ऐसे जिले भी हैं कि जहां विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबन्ध अभी भी नहीं है।

सेशन्स जज बरेली द्वारा निर्णीत अभियोग

*२२—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा कि सेशन्स जज, बरेली ने मार्च, सन् १९५९ से जून, सन् १९५९ तक कुल कितने cases और अपीलों का disposal किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—२९ केसेज (sessions trials) और ६८ अपीलें।

*२३—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेशन्स जज, बरेली के यहां कुल कितने cases pending हैं और २ साल से अधिक पुराने कितने हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१३२, जिनमें ३ बाद २ साल से अधिक पुराने हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के सम्बन्ध में एक बात यह अर्ज की कर दूं कि यह सवाल ऐसा मोहमिल है कि इसमें सेशन कोर्ट पूछा है तो डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है, सिविल का सेशन जज भी होता है और अस्थायी जजों के भी कोर्ट स हैं। इसलिये यह साफ नहीं है और इसलिये हमें इस सवाल का जवाब देने में बड़ी कठिनाई पड़ी।

श्री शिवराजबहादुर--सेशन्स जज की मुराद डिस्ट्रिक्ट जज से ही है और वही लिखा जाता है। क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो २९ ट्रायल्स बताये हैं इनमें मर्डर्स के कितने ट्रायल हैं और डकैती के कितने हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, विवरण मेरे पास नहीं है ।

श्री शिवराजबहादुर--इनमें से कितनों का कनविक्शन हुआ और कितनों का एक्विटल हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है ।

मौरावां थाने की हवालात में लाला लोध की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच

*२४--श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद) (तथा श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला उन्नाव के अन्तर्गत थाना मौरावां में पुलिस हिरासत में १३ फरवरी, १९५९ को लाला लोध साकिन लक्षीखेड़ा की मृत्यु हो गयी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

*२५--श्री द्वारिकाप्रसाद तथा श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त घटना की जांच कब की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--घटना की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने १४ फरवरी, १९५९ को की। अब जांच सी०आई०डी० द्वारा करायी जा रही है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह लाला लोध, साकिन लक्षीखेड़ा की जो मृत्यु थाने में हुई तो थाने में मारपीट के कारण हुई या कहीं से जख्मी होकर आया और थाने में मृत्यु हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई। जिस पुलिस थानेदार ने गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा कि पकड़ने में जब वह भागा तो गिर पड़ा, उस सिलसिले में उसको कुछ चोटें आयीं जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन इस सम्बन्ध में, जैसा कि उत्तर में कहा गया है सी० आई० डी० द्वारा उसकी जांच हो रही है।

श्री द्वारिकाप्रसाद--जो जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है, इसका आदेश कब दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तारीख की सूचना नहीं है, लेकिन काफी दिन हुए जब यह आदेश हुआ कि सी० आई० डी० द्वारा जांच हो।

श्री खजान सिंह चौधरी (जिला उन्नाव)--क्या गृह मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इस सिलसिले में कोई थानेदार भी मुअत्तल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, वहां एस० आई० और एस० ओ० दोनों सस्पेंडेड हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट यह है कि वह पकड़ा गया और भागने लगा तो गिर कर मर गया, तो पोस्ट मार्टम उसका हुआ था, यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पोस्ट-मार्टम हुआ था और उसकी रिपोर्ट यह है कि इनके शरीर पर १० चोटें हैं जिनमें से ७-८ गिरने से लगीं और २ ऐसी हैं जोकि लाठी से लग सकती हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या पुलिस मंत्री जी को यह ज्ञात है कि थानेदार जो मुअत्तल हो गया है उस पर ३०२ सेक्शन का केस दायर हो गया है, ऐसी सूरत में सी० आई०डी० की इंक्वायरी नहीं हो पायेगी, तो क्या यह सही है कि इस इंक्वायरी को बचाने के लिये उसने यह दावा दायर करा लिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना मेरे पास नहीं आयी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सी०आई०डी० की जांच की रिपोर्ट अभी आयी है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई०डी० की रिपोर्ट के पहले मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी हो चुकी है, तो उसने क्या इंक्वायरी की, उसका हवाला देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने जो इंक्वायरी की तो वह वहां के गवाहों के बयान और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट इन सब के आधार पर उस नतीजे पर पहुंचे कि मारने पीटने से नहीं बल्कि गिरने से उसकी मौत हुई ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मरते समय मृतक का कोई बयान मैजिस्ट्रेट वगैरह ने, किसी ने लिया है । यदि हां, तो क्या ?

श्री रामस्वरूप यादव--कोई बयान नहीं लिया, क्योंकि वह तो मरा पाया गया ।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--क्या सरकार बतलायेगी कि उसकी मृत्यु पुलिस कस्टडी में नहीं हुई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । हवालात में मरा पाया गया ।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लाला लोध २४ घंटे से अधिक थाने में बन्द रखा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसा नहीं, करीब ६ बजे वह हवालात लाया गया और ७.१० मिनट पर पता चला कि वह जीवित नहीं है ।

श्री खजानसिंह चौधरी--क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो थानेदार इस वक्त मुअत्तल है, पहले भी कत्ल के मामले में उस पर मुकदमे चल चुके हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री झारखंडेराय--जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब की जांच का नतीजा यह आया कि चोट से ही मौत हुई तब फिर सरकार को क्या कारण महसूस हुआ कि इसकी जांच सी०आई०डी० को दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट में यह है कि दौड़ कर भागने से, गिरने से भी चोट आ सकती है और कुछ चोटें ऐसी हैं जिनमें मालूम होता है कि डंडे से चोट लगायी गयी हो । दूसरी बात यह है कि थाने में चोटों को ठीक तरह से दर्ज नहीं किया गया है और उसके मरने की जो रिपोर्ट कलेक्टर के यहां पहुंची वह भी देर में पहुंची, तो इसमें दो, तीन बातें संदिग्ध थीं जिनके कारण आवश्यक हुआ कि उनको सस्पेंड करके सी०आई०डी० से इंक्वायरी करा ली जाय ।

*२६-२७--श्री सजीवनलाल--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार क लिय स्थगित किया गया ।]

एटा जिले में डाकुओं का मारा जाना

*२८--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में १ मार्च, सन् १९५९ से ३१ जुलाई, १९५९ तक कितनी डकैती व नकबजनी हुई और मौके पर कितने डाकू मारे गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस अवधि में ७ डाके तथा ११८ नकबजनी की घटनाएं हुईं और ३ डाकू मारे गये।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो तीन डाकू मारे गये हैं वह एक ही गांव में मारे गये या अलग-अलग मारे गये और किसके द्वारा मारे गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि जो तीन डाकू मारे गये वह एक ही गांव में मारे गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--मुझे उनके नाम तो मालूम हैं, लेकिन एक ही गांव में मारे गये इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या सरकार को पता है कि यह जो तीन डाकू मारे गये उसके पहले एक डकैती काजी नगला गांव में पड़ी थी उसमें थानेदार ने कुछ भी नहीं किया, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अगर कोई नोटिस दी गयी होती तो पता लगा लिया जाता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या उन डकैतियों के सिलसिले म कोई नागरिक भी मारे गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--कोई नागरिक नहीं मारा गया, ३ डाकू ही मारे गये ?

गोरखपुर जिले की जच्चा-बच्चा केन्द्र योजना

*२९--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में वर्ष १९५९-६० में जच्चा-बच्चा का केन्द्र वह प्रत्येक तहसील में कहां-कहां खोलने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सन् १९५९-६० में जिला गोरखपुर की निम्नलिखित तहसीलों में उनके सामने दी गयी संख्याओं में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का प्रश्न विचाराधीन है :

१--गोरखपुर तहसील	४
२--बांसगांव तहसील	३
३--फरेंदा तहसील	३

इन केन्द्रों के खोले जाने का स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

*३०--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में किन-किन जगहों में मिडवाइफ जच्चा-बच्चा कार्य का निरीक्षण कर रही हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जिला गोरखपुर की निम्नलिखित तहसीलों में उनके सामने दिये गये जच्चा-बच्चा केन्द्रों में इस समय मिडवाइफ कार्य कर रही हैं :---

१---गोरखपुर तहसील	..	(१) रामपुर बुजुर्ग (२) भट्टहट (३) मुंडेरा बाजार
२---बांसगांव तहसील	..	(१) बांसगांव (२) गोलाबाजार
३---फरेंदा तहसील ..	..	(१) फरेंदा (२) नवतनवा (३) पीपीगंज
४---महाराजगंज तहसील	..	(१) महाराजगंज (२) सिसवा बाजार (३) निचलौल (४) बरगदवा (५) जमुई (६) पकरी भरत कुण्ड (७) परतावल (८) पनियारा

श्री गौरीराम गुप्त---क्या मंत्री जी बतावेंगे कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने के लिये किन-किन बातों का ध्यान रक्खा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जगह अभी तय नहीं हुई है ?

श्री गौरीराम गुप्त---इन बातों को ध्यान में रखते हुए किन-किन स्थानों पर खोलने के लिये प्रस्ताव सरकार के पास आये हैं जो विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां ज्यादा बच्चे पैदा होंगे वहीं खुलेंगे ?

श्री गौरीराम गुप्त---महाराजगंज में जो जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले गये हैं तो सरकार को कैसे मालूम है कि वहां ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लोगों की मांग हुई थी ?

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी रिपोर्ट भी किसी जिले से आई है कि वहां बच्चे कम पैदा होते हैं और जच्चा-बच्चा केन्द्र न खोला जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी रिपोर्ट तो नहीं आई है लेकिन हम परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कोशिश में हैं हां कि बच्चे कम पैदा हों।

धौला ग्राम वासी श्री चन्द्रिका पाण्डेय के साथ निर्दयता के व्यवहार की शिकायत

*३१---**श्री उग्रसेन**---क्या माननीय न्याय मंत्री कृपया दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के क्रम में बतायेंगे कि श्री चन्द्रिका पांडेय, ग्राम धौला, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया किस कारण से तहसील के केन्द्र पर कुर्क अमीन द्वारा पकड़कर ले जाये गये थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सरकारी देय की वसूली के सम्बन्ध में लाये गये थे।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि चन्द्रिका पांडेय धौला ग्राम से बिना वारन्ट के कुर्क अमीन द्वारा तहसील ले जाये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वारन्ट था ।

श्री उग्रसेन---जब उनकी चाची की लाश पड़ी हुई थी और वह कफन लेने के लिये जा रहे थे तो क्या उस समय कुर्क अमीन उनको सलेमपुर तहसील में ले गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अमीन से उन्होंने चाची के मरने की बात नहीं कही थी और वह उन्हीं की चाची नहीं थी, गांव भर की थी ?

श्री उग्रसेन---उन पर सरकारी रकम कितनी देय थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---३८.२९ रुपये मालगुजारी के और कुछ पैसा कैनाल ड्यूज का था ।

बख्शी तालाब, नैनीताल तथा गोरखपुर औद्योगिक केन्द्रों से प्रशिक्षित छात्रों की योग्यता

*३२---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरिजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक केन्द्र बख्शी तालाब, गोरखपुर तथा नैनीताल में प्रशिक्षित छात्रों की योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक स्कूलों के समकक्ष मानी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

बस्ती जिले में अधिक समय तक पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों का तबादला न होना

*३३---**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले में ऐसे पुलिस सब इंस्पेक्टर वर्तमान हैं जिनका ६ वर्ष से अधिक की अवधि तक स्थानान्तरण नहीं हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां ।

*३४---**श्री रामलखन मिश्र**---क्या सरकार ने इस विषय में अपने जी० ओ० को संशोधित कर दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

शाहगंज तहसील में प्रभंजन से क्षति

*३५---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में २७ मई, १९५९ को जो भीषण प्रभंजन आया था उसमें कितने प्राण गये तथा अनुमानतः कितने की सम्पत्ति का नुकसान हुआ तथा क्या उसके कारण जिन लोगों के गृहों आदि को क्षति पहुंची ? उसके पुनर्निर्माण में सरकार उनको किसी प्रकार की सहायता दे रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में २७ मई, १९५९ को जो प्रभंजन आया था उससे ४ मनुष्यों तथा ३ पशुओं के प्राण गये और अनुमानतः ५,००० रुपये के खपरैलों और २५,००० रुपये के पेड़ों का नुकसान हुआ ।

सरकारी सहायता के लिये कोई मांग नहीं आयी अतएव उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

नोट---तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३६--श्री प्रतापसिंह--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर कमिश्नरी में वर्षा में कमी व देरी से खरीफ पर कुप्रभाव

*३७--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी के जिलों में १५ जून से १५ जुलाई, १९५९ तक कितने-कितने इंच वर्षा हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गोरखपुर कमिश्नरी के जिलों में १५ जून से १५ जुलाई, १९५९ तक की औसत वर्षा इस प्रकार है :--

				इंच
गोरखपुर		..	..	६.११
बस्ती ..	..	..	..	३.००
आजमगढ़	..	..	..	४.३८
देवरिया	..	..	..	५.६७

*३८--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर कमिश्नरी के जिलों में पर्याप्त पानी न बरसने से इस वर्ष खरीफ की फसल की बोआई एक मास बाद हो पायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--केवल जिला बस्ती में इस वर्ष खरीफ की फसल की बोआई समय से करीब एक माह बाद हो पायी। कमिश्नरी के अन्य जिलों में भी खरीफ की बोआई देर से हुई किन्तु इतनी देर से नहीं हुई।

*३९--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठ शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिला अस्पताल में मृत्युएं

*४०--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद सदर अस्पताल में पंचगत वर्ष १९५८ और १९५९ में कुल कितने मरीजों की भर्ती हुई और उनमें से कितने अच्छे हुए और कितनों की मृत्यु हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५८ तथा १५ अगस्त, १९५९ तक जिला अस्पताल, फैजाबाद में भर्ती होने वाले, अच्छे होने वाले तथा मरने वाले रोगियों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या	अच्छे होने वाले रोगियों की संख्या	मरने वाले रोगियों की संख्या
१९५८	२,५२६	१,२०९	१९०
१९५९ (१ जनवरी से १५ अगस्त तक) ..	१,७५८	६६१	१२८

*४१--श्री सुखरामदास--क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में ३० मई, १९५९ ई० को पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो किन बीमारियों से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। केवल ३ रोगियों की मृत्यु हुई। इनमें से २ रोगियों पर फालिज का हमला हुआ था। तीसरे के खरबाद (intertional obstruction) रोग के चिह्न थे।

*४२--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में थानों की कच्ची इमारतों को पक्की करने की प्रार्थना

*४३--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो कच्चे भवनों में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गाजीपुर जिले में चार पुलिस थाने ऐसे हैं जो कच्चे भवनों में स्थित हैं।

*४४--श्री यमुनासिंह---क्या सरकार को विदित है कि थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर की कच्ची इमारत बहुत जीर्ण अवस्था में है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---थाना करीमुद्दीनपुर की कच्ची इमारत बहुत जीर्ण अवस्था में नहीं है।

*४५--श्री यमुनासिंह---क्या सरकार उक्त पुलिस स्टेशन के भवन को पक्का बनवाने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। थाना करीमुद्दीनपुर की अपेक्षाकृत जिले के दूसरे थानों की इमारतें अधिक जीर्ण अवस्था में हैं।

शाहगंज थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराध

*४६--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के शाहगंज थाने के अन्तर्गत मई, सन् १९५९ ई० से अब तक कितनी चोरियां और डकैतियां हुईं ? और इनमें अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को कहां तक सफलता प्राप्त हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मई, सन् १९५९ से १५ अगस्त तक थाना शाहगंज के अन्तर्गत २१ चोरियां हुईं।

इनमें ७ चोरियों में पुलिस ने माल बरामद किया और संबंधित ११ अपराधियों को गिरफ्तार किया।

*४७--श्री माताप्रसाद---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह कहां तक सत्य है कि एक महीना पूर्व एस० पी०, जौनपुर के निवास-स्थान से सौ गज की दूर पर एक पुलिस कान्स्टेबुल द्वारा एक हरिजन महिला की नाक काट ली गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक महीना पूर्व ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें किसी हरिजन महिला की नाक काट ली गयी हो।

राज्य में नवीन नार्मल स्कूल खोलने की योजना

*४८--श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा प्रदेश के किन-किन जिलों के किन-किन स्थानों पर नार्मल जे० टी० सी० तथा एल० टी० के ट्रेनिंग स्कूल सम्प्रति खोले जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कोई जे० टी० सी० या एल० टी० संस्था द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में खोलने का विचार नहीं है। भारत सरकार की निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की योजना के अन्तर्गत लगभग ४८ एच० टी० सी० (नार्मल) संस्थाओं को इस वर्ष खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

*४९--श्री रामसुन्दर पांडेय--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५०--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५१--५२--श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली जिला अस्पताल की विस्तार योजना

*५३--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बरेली जिला अस्पताल के विस्तार की कोई योजना उसके विचाराधीन है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बरेली, जिला अस्पताल के विस्तार के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुविधायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वहां उपलब्ध कर दी गयी हैं और की जा रही हैं :--

१--जिला अस्पताल बरेली के उच्चस्तरीकरण (upgrading) की स्वीकृति वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में दी जा चुकी है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित विशेषज्ञ विभाग स्थापित हो रहे हैं :--

(१) अस्थि विभाग
(२) यूरीनरी सर्जरी विभाग
(३) हृदय रोग विभाग
(४) कान, नाक व कण्ठ विभाग
(५) सामान्य चिकित्सा विभाग।

२--वहां पर एफ० टी० बी० क्लिनिक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत स्तर पर स्थापित करने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में दी गयी है।

३--इसके अतिरिक्त वहां पर बाल रोग चिकित्सा विभाग, दन्त विभाग, निदान प्रयोगशाला (Pathological Laboratory) की भी स्थापना कर दी गयी है तथा एक एनेसथेटिस्ट की नियुक्ति की भी स्वीकृति दे दी गयी है और आवश्यक साज-सज्जा तथा औषधियों के लिये भी अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गयी है।

*५४--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या यह ठीक है कि स्थानाभाव के कारण बरेली अस्पताल में आया एक्सरे प्लान्ट काफी समय से सन्दूकों में बन्द पड़ा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बरेली अस्पताल के लिये मार्च, १९५९ के अंतिम सप्ताह में एक नई २०० एम० ए० एक्स-रे मशीन खरीदी गयी थी जो कि निम्नलिखित कारणों से अभी कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं :--

(१) इस नई एक्स-रे-मशीन को चलाने के लिये आवश्यक बिजली का प्रबन्ध वहां के सिविल सर्जन द्वारा किया जा रहा है और साथ ही आवश्यक बिजली की लाइन (A. C. 3 Phase Power Line) लगाने का कार्य भी किया जा रहा है।

(२) मशीन को लगाने के लिये एक नये कमरे की भी आवश्यकता है जिसके निर्माण के हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।

इस समय पुरानी १०० एम० ए० की एक्स-रे की मशीन से काम लिया जा रहा है।

मथुरा जिले में बाढ़ व गरकी के कारण फसल न बोई जा सकने की शिकायत

*५५—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा में कितनी जमीन है जिसमें इस वर्ष खरीफ की फसल बाढ़ व गरकी के कारण बिना बोये रह गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वर्ष मथुरा जिले में बाढ़ व गरकी नहीं हुई है। अतः इन आपदाओं के कारण उपर्युक्त जिले में कोई भी जमीन खरीफ की फसल में बिना बोये रहने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

इलाहाबाद में पैण्टून ब्रिज टूटने की जांच रिपोर्ट

*५६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने इलाहाबाद का पैन्टून ब्रिज गत बसन्त पंचमी को टूट जाने के सम्बन्ध में कोई जांच कमेटी बैठाई थी ? यदि हां, तो वह जांच कब समाप्त हुई और उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में इलाहाबाद के कमिश्नर द्वारा जांच करायी गयी थी।

उपर्युक्त जांच गत जून के अन्तिम सप्ताह में समाप्त हुई। रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। विचार हो जाने पर ही परिणाम निकालना सम्भव होगा।

सोरहवा ग्राम का बलवा

*५७—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सोरहवा, थाना विशुनपुरा, जिला देवरिया में गत माह जुलाई में जो डकैती पड़ी थी उसमें जितने लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें किन-किन हथियारों का प्रयोग किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त ग्राम में माह जुलाई में कोई डकैती नहीं पड़ी वास्तव में ३० जून/१ जुलाई की रात्रि को ग्रामीणों और चौदह पन्द्रह संदिग्ध व्यक्तियों में एक मारपीट की घटना हुई जिसमें लाठियों का प्रयोग किया गया और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

*५८-५९—श्री मोतीलाल अवस्थी—[वांछित सूचना एकत्र न होने सकने के कारण छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

गौरा ग्राम में एक हरिजन परिवार पर घातक आक्रमण की शिकायत

*६०—श्री झारखंडेराय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गत २७ जून की रात को १२ बजे कतिपय गुण्डों ने गौरा ग्राम (अमिला ग्राम के पास थाना घोसी, जिला आजमगढ़) में एक हरिजन परिवार पर घातक हथियारों से लैस होकर आक्रमण किया और उस घर में लूटपाट के अतिरिक्त उस हरिजन की नवयुवती पत्नी के साथ अनेक गुण्डों ने बलात्कार भी किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार की किसी घटना की रिपोर्ट थाना घोसी में नहीं हुई।

*६१—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस विषय में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी — प्रश्न नहीं उठता ।

*६२—श्री रामशरण यादव—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

उन्नाव जिले में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*६३—श्री मुल्लाप्रसाद हंस (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत १९५७–५८ व १९५८–५९ तथा १९५९–६० में अब तक सरकार द्वारा हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला उन्नाव में १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों में वितरित की गयी छात्रवृत्तियों का विवरण यों है :—

सन्			छात्रों की संख्या हरिजन	जिन्हें छात्रवृत्ति दी गयी पिछड़े वर्ग
१९५७–५८	..	..	३५५	१६६
१९५८–५९	..	..	४२९	१६४
१९५९–६०	..	..	१८	१६

१९५९–६० की सभी छात्रवृत्तियां अभी वितरित नहीं की गयी हैं। वितरण सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर जिले में ग्राम रक्षा समितियों को बल्लम

*६४—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कुल कितने ग्राम रक्षा संघ (Viliage Defence Societies) बने हैं ? इनमें कितने ऐसे हैं जिनको बन्दूकें और बल्लम दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर जिले के ४०३२ ग्रामों में ग्राम रक्षा समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों के किसी भी सदस्य को सरकारी बन्दूक नहीं दी गई है। सरकारी बल्लम केवल २३ दिये गये हैं।

हड़हा ग्राम की डकैती की गलत रिपोर्ट दर्ज करने की शिकायत

*६५—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मौजा हड़हा, थाना विधुनू, परगना व जिला कानपुर में सितम्बर, सन् १९५८ को पड़े डाके की रिपोर्ट को गलत इन्दराज की कोई शिकायत स्थानीय जिला अधिकारियों के पास की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। ऐसी शिकायत की गयी थी।

किन्तु मामले की जांच करने पर शिकायत सही नहीं पायी गयी।

*६६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार क लिये स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर में खुले बाजार सट्टेबाजी की शिकायत

*६७—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर कस्बा बुलन्दशहर खाईबाड़ी में सट्टा बिना लाइसेन्स के खुले आम होता है? यदि हां, तो उसके रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी— जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

सूचना विभाग के पास गाड़ियां

*६८—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त प्रदेश में सूचना विभाग के पास कितनी जीपकार, बस तथा अन्य प्रकार की गाड़ियां हैं? उनमें से कितनी अच्छी हालत में हैं और कितनी बेकार हालत में हैं? और वे किस जिले में हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय सूचना विभाग के पास प्रदेश भर में ६३ गाड़ियां हैं जिनमें से ४१ पिक अप, १९ जीप, एक ट्रक, एक विलीज स्टेशन वैगन, व एक प्रदर्शिनी वाहन (ley land) हैं।

६३ गाड़ियों में से ५१ अच्छी हालत में हैं। १२ गाड़ियां जिनमें ज्यादा खराबियां हैं वर्कशाप में निरीक्षा या मरम्मत में हैं। इन १२ में से आठ गड़ियां, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, बस्ती, सीतापुर, हरदोई, गोंडा, व मथुरा जिलों की हैं।

'स्त्री शिक्षा बृद्धि' हेतु केन्द्रीय अनुदान के प्रयोग की योजना

*६९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र से स्त्री शिक्षावृद्धि हेतु मिलने वाली १४ लाख की वार्षिक सहायता वह किन-किन योजनाओं पर व्यय करने जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वित्तीय वर्ष १९५९–६० में स्त्री शिक्षा वृद्धि हेतु १४ लाख रुपये की जो केन्द्रीय सहायता मिलने वाली है उसे निम्नलिखित योजनाओं पर व्यय किया जायगा :—

योजना	व्यय
	रु०
(१) अध्यापिकाओं के लिए बिना किराये के रहने की व्यवस्था (३५८ आवास-गृहों का निर्माण)	११,४४,०००
(२) स्कूलों में दाइयों की नियुक्ति	३६,०००
(३) छात्राध्यापिकाओं के लिये स्टाइपैंड	१,००,०००
(४) छात्रों को छात्र-वृत्ति	१०,२०,०००
योग	१४,००,०००

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के अध्यापकों का वेतन-क्रम न्यून होना

*७०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग (Oriental Departn.ent) मे संस्कृत और अरबी के अध्यापकों का वेतन-क्रम उसी विश्वविद्यालय के अन्य संस्कृत व अरबी के अध्यापकों के वेतन-क्रम से न्यून रक्खा गया है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

[श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां,
यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

कुंवरपुर ग्राम में पुलिस की मोटर से एक लड़के की मृत्यु

*७१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम कुंवरपुर, थाना सिधौली, जिला सीतापुर में लखनऊ-सीतापुर रोड पर ११ सितम्बर, सन् १९५८ को पुलिस की मोटर से कुचल कर किसी लड़के की मृत्यु हुई थी ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । ११ सितम्बर, १९५८ को उक्त ग्राम में लखनऊ-सीतापुर रोड पर पुलिस की मोटर से कुचलकर श्री शिवराम के लड़के की मृत्यु हुई थी । उक्त घटना की जांच की गयी जिससे मालूम हुआ कि यह केवल एक आकस्मिक दुर्घटना थी और मोटर चालक का कोई दोष नहीं था । अतएव इस मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार हुई ।

पश्चिमी जिलों में उच्च न्यायालय की शाखा खोलने का सुझाव

*७२—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य स्थ न इलाहाबाद की दूरी को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी जिलों में उक्त न्यायालय की एक शाखा खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न सरकार तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचाराधीन है ।

मुबारकपुर के साम्प्रदायिक दंगे से संबंधित रिपोर्ट की मांग

*७३—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार मार्च, १९५९ में मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ में होली के अवसर पर हुए साम्प्रदायिक दंगे की जांच की रिपोर्ट जिसे हिफजुर्रहमान M. P. हिदायतुल्ला अन्सारी, M. L. C. तथा मौलामना कासिम साहब ने मौके पर जाकर स रा वाकया देखकर सरकार को दी थी, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और यह भी बतायेगी कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा ।

ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उस समय उक्त दंगे के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट द्वारा पहिले से जांच की जा रही थी ।

स्वतंत्रता-संग्राम सैनिकों के आश्रित बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

*७४—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के आश्रित बच्चों को शिक्षा में सन् १९५९-६० के वर्ष में वह कौन-कौन-सी सुविधा देती है या देने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों के आश्रितों को सन् १९५९-६० में निम्न प्रकार की सुविधा दी ज रही है—

१—मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा ८ तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा ।

२—कक्षा १ से लेकर रिसर्च कक्षाओं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकें हेतु अनावर्तक अनुदान ।

३—छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छात्रावास में निःशुल्क रहने देने की व्यवस्था ।

सौ रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को फीस में रियायत

*७५—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सौ रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा सरकार द्वारा किन-किन कक्षाओं को दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१०० रुपये तक वेतन पाने वाले राजकीय कर्मचारियों के बालकों को कक्षा ९, १० ११ तथा १२ में आधी फीस देनी पड़ती है । स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जा सकी है ।

आजमगढ़ जिले में पुलिस कर्मचारियों के स्थानान्तरण में विलम्ब

*७६—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने पुलिस सब-इन्सपेक्टर, हेड-कान्स्टेबुल तथा कान्स्टेबुल हैं जो पांच साल या उस से अधिक समय से इस जिले में तैनात हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले में ऐसे ११ सब-इन्सपेक्टर, ५४ हेड कान्सटेबुल तथा २७९ कान्स्टेबुल नियुक्त हैं ।

*७७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[१० सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न ५७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

केराकत बार ऐसोसिएशन का कथित प्रस्ताव

*७८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केराकत बार एसोसियेशन, जिला जौनपुर ने माल विभाग के Mutation and Correction सम्बन्धी मुकदमे तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से हटा लेने के बारे में सरकार के पास २७ फरवरी सन् १९५९ का सर्वसम्मति से पास किया हुआ प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव की एक प्रति क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*७९-८१—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रायबरेली जिले में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नं० २ के विचाराधीन मुकदमे

*८२—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, रायबरेली में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नं० २ की इजलास में १-८-५९ को कितने मुकदमे विचाराधीन थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—५०९ माल के और १२१ मुकदमे फौजदारी के ।

*८३—श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मुकदमों में सन् १९५७ तथा सन् १९५८ के कितने मुकदमे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५७ के माल के ९३ और फौजदारी का कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है । सन् १९५८ के १६९ माल के और ७ मुकदमे फौजदारी के हैं ।

*८४—श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, १९५७ में उपरोक्त इजलास में कितने मुकदमें दायर हुये उनमें आज तक कितनी पेशियां हुईं और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फौजदारी के ७ और माल के २२। फौजदारी के उपरोक्त सब मुकदमे समाप्त हो चुके हैं परन्तु माल के तीन मुकदमे अब भी विचाराधीन हैं। १-८-५९ तक इन तीन विचाराधीन मुकदमों में १९, २३ और १८ पेशियां हो चुकी हैं।

कानपुर जिले में कत्ल व डकैती के मुकदमे

*८५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में जनवरी, १९५८ से ६ जुलाई, १९५८ तक कितने कत्ल तथा डाके पड़े और उसमें कितने मुकदमे चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में कानपुर जिले में १०३ कत्ल और ३४ डकैती की घटनाएं हुईं।

कत्ल के ६३ और डकैती के ३० मामले चालान किये गये।

*८६—श्री हिम्मत सिंह—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८७—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

कर्वी अस्पताल को सरकारी प्रबंध में लेने की प्रार्थना

*८८—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले के कर्वी अस्पताल को सरकारी अस्पताल बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

अपराध अनुसंधान विभाग 'डाग स्क्वाड' के कुत्ते

*८९—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में पुलिस के ट्रेन्ड कुत्तों की संख्या कितनी है और वह कहां से कितनी-कितनी कीमत से खरीदे गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अपराध अनुसंधान विभाग के 'डाग स्क्वाड' में इस समय चार ट्रेन्ड कुत्ते हैं।

इनमें से दो पुलिस विभाग को उपहार स्वरूप भेंट किये गये थे और शेष दो में से एक बम्बई प्रदेश के बरिया कैनल से ३०० रुपये में तथा दूसरा कानपुर के एक सज्जन से २५० रुपये में खरीदा गया था।

'हिन्दी समिति' का उद्देश्य और कार्यक्रम

*९०—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सरकार द्वारा 'हिन्दी समिति' बनाने का उद्देश्य और कार्यक्रम क्या था, उसका कार्य कब प्रारम्भ हुआ और उसने उस कार्यक्रम की पूर्ति के लिये अब तक क्या-क्या काम किये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हिन्दी समिति बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य थे :

१—हिन्दी में प्रतिवर्ष प्रकाशित नई पुस्तकों पर विचार करके उन पर पुरस्कार के लिये शासन से संस्तुति करना।

२—हिन्दी वाङ्मय को भरा पूरा करने के लिये ३०० पुस्तकों का प्रकाशन कराना। समिति का कार्य १९५७ में आरम्भ हुआ था। समिति ने ३० पुस्तकें प्रकाशित कर दी हैं और ५ पुस्तकें प्रेस में हैं। इसके अतिरिक्त २४ पांडुलिपियां प्राप्त हो गई हैं और शेष पांडुलिपियों के लिये लिखा पढ़ी की जा रही है।

*९१—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त हिन्दी समिति पर प्रति वर्ष उसने अब तक क्या व्यय किया है? उसके चेयरमैन को क्या वेतन और भत्ता तथा गृह की सुविधा मिलती है तथा उसमें कितने अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हिन्दी समिति पर प्रति वर्ष हुये व्यय का विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४७ पर)

हिन्दी समिति के चेयरमैन को समिति की ओर से कोई वेतन, भत्ता तथा गृह की सुविधा नहीं दी गयी। समिति के अन्य कर्मचारियों से संबंधित सूचना परिशिष्ट 'ख' में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४७ पर)

स्कूल मैनेजर्स, ऐसोसिएशन, जिला इलाहाबाद का प्रस्ताव

*९२—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्कूलों के मैनेजर्स एसोसियेशन, जिला इलाहाबाद से अगस्त के पहले हफ्ते में एक प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है जिसमें सरकार से मांग की गयी है कि हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा में फेल हुये विद्यार्थियों की कापियों में से कुछ जिलों को चुन कर उन जिलों के फेल हुये विद्यार्थियों की कापियों में से ५ प्रतिशत कापियों को परीक्षकों के एक विशेष पैनल द्वारा जंचायी जायं और इस कार्य के लिये ११ व्यक्तियों (२ प्रिंसिपल, दो मैनेजर और सात शिक्षा विशेषज्ञों) का एक कमीशन नियुक्त किया जाय? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हाई स्कूल और इंटर परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा ली जाती हैं जो एक वैधानिक संस्था है। सूचना मिली है कि ऐसा प्रस्ताव आया है, किन्तु माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत ऐसे किसी पैनल या कमीशन का निर्माण किया जा सके। इस प्रकार की समस्त समस्याओं के विचारार्थ बोर्ड की अपनी एक परीक्षा समिति है। अतएव ऐसी स्थिति में प्रस्ताव पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

कटुवानाला ग्राम में गृह-निर्माणार्थ सहायता के लिये प्रार्थना

*९३—**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)—७-८-५९ (दूसरे शुक्रवार) के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि तत्कालीन हल्का लेखपाल ने स्वयं मौके पर जाकर गिरे हुये मकानों का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

*९४—**श्री गंगा प्रसाद**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिन २२ आदमियों के मकान सन् १९५८ में गिर गये थे उन्होंने स्वयं तहसील में जाकर लेखपाल को सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था उस पर क्या हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुए। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*९५-९६—**श्री मलिखान सिंह** (जिला मैनपुरी), **श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री लक्ष्मण राव कदम**—[स्थगित।]

लखनऊ में दारुलशफा के लिफ्ट में खराबी

*९७—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दारुलशफा, लखनऊ के विधायक निवास का लिफ्ट बराबर (रोजाना) खराब हो जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। प्रायः सन्ध्या समय विधायक निवास दारुलशफा का लिफ्ट खराब हो जाता है क्योंकि इस समय वोल्टेज कम रहता है। साथ ही साथ बिजली का लोड अनबैलेन्स्ड हो जाता है क्योंकि कमरों में बिजली के हीटर खाना पकाने के प्रयोग में लाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक यह भी कारण है कि लिफ्ट लगातार काफी समय तक चलता रहता है और उसे आराम नहीं मिलता।

शान्तीपुर के किसानों की झोपड़ियां जला देने की शिकायत

*९८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल के जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान को किछा, जिला नैनीताल के किसानों की यह शिकायत प्राप्त हुई है कि ग्राम शान्तीपुर, जिला नैनीताल में १५-५-५९ ई० को कुछ किसानों की झोपड़ियां तथा मकानात नायब तहसीलदार ने थाना इंचार्ज किछा तथा कुछ पुलिस कान्सटेबुलों को लेकर जलवाई थीं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह शिकायत विधि के अनुसार निर्वर्तन के लिये परगना अधिकारी, तराई के न्यायालय में निर्णयाधीन है।

भाषा अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेजुएट का वेतन-क्रम

*९९—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले भाषा अध्यापकों को कब से ट्रेन्ड ग्रेजुएट का ग्रेड दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१-४-४६ से।

इटावा जिले से कन्या जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी पाठशाला खोलने की प्रार्थना

*१००—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ से अब तक सरकार के पास इटावा जिले से कितनी ऐसी दरख्वास्तें जिले के कई स्थानों से आई हैं कि उनके यहां कन्या जूनियर हाई स्कूल या प्राइमरी पाठशाला खोले जावें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०१—श्री गौरीराम गुप्त—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

क्षतिग्रस्त रबी के लगान में छूट

*१०२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत मार्च महीने में ओला, आंधी आदि से राज्य के किन-किन भागों में रबी की फसल को क्षति पहुंची तथा क्षति का अनुमान क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गत मार्च महीने में ओला, आंधी आदि से राज्य के जिन-जिन जिलों में रबी की फसल को हानि हुई है तथा उन जिलों में क्षति का जो अनुमान है वह संलग्न अनसूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४८ पर)

*१०३--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार उक्त क्षति को ध्यान में रखते हुये रबी के लगान में छूट देने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नियमानुकूल जिन ग्रामों में मालगुजारी व लगान में छूट दी जा सकती है उनमें छूट दी जा रही है ।

टेहरी गढ़वाल के अध्यापकों की भूख-हड़ताल

*१०४--श्री रामशरण यादव--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल के कितने अध्यापकों ने तारीख १ जून, १९५९ से भूख हड़ताल की तथा भूख हड़ताल के क्या कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--चार अध्यापकों ने भूख हड़ताल की । इसका कारण श्री गोविंद प्रसाद गैरोला की उस अपील का निर्णय अभी तक न होना है जो उन्होंने जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद से सितम्बर, १९५५ ई० से प्रत्यावर्तित किये जाने के विरुद्ध की थी ।

डिपार्टमेंटल नायब तहसीलदारी के चुनाव की जानकारी

*१०५--श्री भुवनेश भूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में डिपार्टमेंटल नायब तहसीलदारी के चुनाव कितने सालों से नहीं हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पांच साल से ।

*१०६--श्री भुवनेश भूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने कानूनगो हैं जो करीब तीन साल से अधिक समय से नायब तहसीलदारी के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१५५ ।

माध्यमिक विद्यालयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की भर्ती के लिए व्यवस्था

*१०७--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह शिकायत प्राप्त हुई है कि इस वर्ष माध्यमिक विद्यालयों के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी अपने पूर्व विद्यालयों में प्रवेश नहीं पा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिये कक्षाओं में अधिक छात्रों के भर्ती करने की आज्ञा दी गई । जहां इससे भी कार्य नहीं चला वहां अतिरिक्त सेक्शन खोलने की अनुमति प्रदान की गई । कुछ छात्र उन संस्थाओं में प्रवेश कराये गये जिन्हें इसी वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी ।

हरदोई जिले में लखनऊ रीजन की एजूकेशन रैली पर व्यय

*१०८--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि १९५८ में (Education Regional Rally) जो लखनऊ (Region) की हरदोई जिले में हुई उसमें कुल कितना धन खर्च हुआ और वह कहां-कहां से प्राप्त हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस रैली में कुल १५,०९१.४० नया पैसा खर्च हुआ। धन निम्नांकित साधनों से प्राप्त हुआ :

	रु०	न० पै०
जिला परिषद् हरदोई	५,०००	००
हाई स्कूलों के क्रीड़ाफंड से	५,६३०	१४
जनता से चन्दा	१,९८४	००
रीजनल स्पोर्ट्स एसोसियेशन	१,९००	००
नगरपालिकायें	३००	००
लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री	२५०	००
चन्दा	५	००
फुटकर	२२	२६
योग ..	१५,०९१	४०

ग्राम दहगवां, जिला बदायूं के भट्ठे

*१०९—श्री उल्फत सिंह (जिला बदायूं)—१८ फरवरी, १९५९ के प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार को मालूम है कि भट्ठे के लिये दिये गये प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं की गयी है और न उसपर परगनाधीश और जिलाधीश की आज्ञा ली गई है, साथ ही इन अधिकारियों को यह भी नहीं बताया गया कि ग्राम दहगवां में चरागाह के लिये १० प्रतिशत से कम भूमि होते हुये भी ऊपर कहे गये प्लाट भट्ठे को दिये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी हां, परन्तु भट्ठा लगाने की इजाजत सन् १९४६ में जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जमींदार द्वारा दी गई थी। अतः परगनाधीश अथवा जिलाधीश की किसी आज्ञा का या गांव समाज मैनुअल, तृतीय संस्करण, के अनुच्छेद ५८ के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

बहगवां ताल को गहरा करने की प्रार्थना

*११०—श्री उल्फत सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बदायूं में तालाब बहगवां जो सरकार ने खुदवाया था अब पट गया है, उसे दुबारा खुदवायेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी नहीं, तालाब अब उथला हो गया है पटा नहीं है। सरकार का तालाब को फिर से खुदवाने का कोई विचार नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

हिलवाड़ी निवासी श्री सीताराम वैश्य की कन्या का अपहरण तथा हत्या

१—आचार्य दीपंकर—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि बड़ौत थाने (मेरठ) में हिलवाड़ी गांव में सीताराम वैश्य की अविवाहित १५ वर्षीय कन्या का अपहरण करके कुछ गुन्डों ने उसकी बेइज्जती की और बाद में उसकी हत्या करके पिछले महीने कुयें में फेंक दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बड़ौत में ८-७-५९ को हुई।

२—आचार्य दीपंकर—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जांच हो रही है ।

३-४---श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)---[छठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न ९९-१०० के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

कार्यसूची में प्रश्नों के समान संख्या में न होने पर आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आज ११७ प्रश्न थे जिनमें से कुल ३० के उत्तर दिये जा चुके हैं। इसका कारण यह भी है कि राजस्व, न्याय, शिक्षा और पुलिस विभाग एक ही दिन रख दिये गये हैं, जिनके सवाल भी काफी होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन विभागों को तब रखा जाय जबकि काम कम हो और एक ही दिन न रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---यह मैंने एक बार पहले व्यवस्था की थी और उस दिन दूसरे विभाग के प्रश्न भी ले लिये गये। लेकिन अब ऐसा एक दिन भी नहीं आता है जिस दिन मैं पूरे प्रश्न समाप्त कर सकूं। जब कि हर रोज ही ज्यादा प्रश्न होते हैं तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। कुछ रह ही जावेंगे ।

प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से मिलने पर आपत्ति

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमान् जी, मेरा प्रश्न छः महीने के बाद आया, तब भी उसका उत्तर नहीं मिला। प्रश्न दिया मैंने गर्की में और उत्तर आया है खुश्की में। बाबा मर गये तब लिहाफ भरवाने से क्या लाभ ?

श्री अध्यक्ष---आपके खुद के दस्तखत हैं, आपको उत्तर मिल गया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---मेरे ९५ और ९६ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष---अभी उनके उत्तर नहीं आये हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---इनके लिये कोई दूसरा दिन निश्चित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---वह मंत्री जी बतलावेंगे ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---हमारे ९९वें प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष---आप मेरे कमरे में आकर पूछ लें ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के अन्तर्गत प्रख्यापित संशोधन*

स्वास्थ्य उप-मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या २११६ आर-एस/१-क, दिनांक १० जुलाई, १९५९ के साथ पठित उक्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या २११६-आर-एस/१-क, दिनांक ३ फरवरी, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव विधान सभा—मैं सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ जो विधान सभा द्वारा २१ अगस्त, १९५९ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ३ सितम्बर, १९५९ को वापस प्राप्त हो गया है।

बाराबंकी जिले में घाघरा की भयंकर बाढ़ के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—२ सितम्बर को एक कामरोको प्रस्ताव के ऊपर मैंने यह कहा था कि माननीय न्याय मंत्री इसकी सूचना मंगाकर दें। यह इस प्रकार है :—

"घाघरा नदी के तट पर स्थित ग्राम सरदहा, परगना बदोसराय, तहसील, फतेहपुर जिला बाराबंकी में घाघरा के बाढ़ के कारण सख्त खतरा पैदा हो चुका है, कई घर कट कर गिर चुके हैं और पूरे गांव के कट जाने की सम्भावना है। बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। समस्त ग्रामीण लोग बाहर पेड़ों के नीचे जानवरों की तरह रह रहे हैं। जिला अधिकारियों की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है। इस कारण गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है। अतः उपरोक्त परिस्थिति पर विचार करने हेतु सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, जो सूचना मुझे मालूम है उससे यह ज्ञात हुआ है कि सरदहा ग्राम में घाघरा का कटाव है और १२ एकड़ जमीन उससे कट गई है। करीब ३० आदमी उससे मुतास्सिब हुए हैं। छः घरों का नुकसान हुआ है जिसमें लगभग ३,५०० रुपये की हानि हुई है। ५ एकड़ मजरुआ जमीन और उसकी फसल भी बह गई है। लोगों को वहां से निकालने का काम और सहायता देने का काम शुरू किया गया है। २०० आदमी वहां से दूसरी जगह पहुंचाये गये और २६० मवेशियों को भी दूसरी जगह पहुंचाया गया है। वहां ५ पैट्रोल लैम्प गांव में लगा दिये गये हैं और हाकिम परगना, फतेहपुर ने ३० अगस्त को वहां मुआयना किया। उनकी तैनाती कर दी गई है कि वह वहां सहायता के कामों का सुपरवीजन ठीक तरह से करें। जिलाधीश के पास पहले से फंड मौजूद है। उन्होंने कोई ज्यादा रकम मांगने की दरख्वास्त भी नहीं की है। दिक्कत यह महसूस हो रही है कि वे लोग दूसरे गांवों में जाना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है। यह सूचना हमको वहां से मिली है।

(श्री जंगबहादुर वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—मैं इसको कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं समझता हूं। अगर उसके बारे में आपको किसी सूचना की आवश्यकता है तो आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, सूचना तो निश्चित ही है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन उनका कहना था कि कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन मंत्री जी का कहना है कि कार्यवाही की गयी है।

---

† २ सितम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

ग्राम मुजहना, जिला देवरिया में श्री पूजन की भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है--

"ग्राम मुजहना लाला, थाना कोतवाली सदर जिला देवरिया में गत सप्ताह पूजन हरिजन की मां भूख से तड़प कर मर गयी। दिनांक २-९-५९ को सदन में जांच कर रपट देने का आश्वासन माननीय राजस्व मंत्री ने दिया था, वह आज तक पूरा नहीं किया। कल दिनांक ३-९-५९ को श्री पूजन हरिजन भी भुखमरी का शिकार हो गया। अब सम्पूर्ण भूख-ग्रस्त परिवार अंतिम सांस ले रहा है और भीषण भुखमरी की हालत उस क्षेत्र में पैदा हो गयी है।

अतः उक्त असाधारण स्थिति पर विचार हेतु सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

पहले तो मैंने इसको नामंजूर कर दिया था जो केवल मां के मरने के बारे में था लेकिन अब लड़का भी मर गया है। उसके बारे में अगर कोई सूचना हो तो मंत्री जी दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--श्रीमन्, कलेक्टर देवरिया ने रिपोर्ट की है कि पूजन की मां नेचुरल डेथ से मरी। वह करीब ७५ साल के थी। उसको दमा का मर्ज था। पूजन की ४५ वर्ष की उम्र थी। उसको शोथ की बीमारी थी। उसके हाथ-पैर सब सूजे हुए थे। उसके बारे में भी भुखमरी से मरने की बात गलत है। उसके पास थोड़ी खेती भी थी। वह मजदूरी भी करता था। पूजन की बीबी भी मजदूरी करती थी। उसके दो भाई और हैं। एक कलकत्ते में नौकरी करता है और दूसरा गांव में ही मजदूरी करता है। देवरिया में स्केयरसिटी की कंडीशन भी न थी। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का ऐसा प्रयास है कि इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट कराया जाय, इसलिये ये सब बातें कहीं जाती हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मेरा निवेदन यह है.....

श्री अध्यक्ष--इसके ऊपर निवेदन नहीं, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आप पूछ सकते हैं।

श्री उग्रसेन--१२ अगस्त के बाद जब सूचना मांगी गयी थी उसके बाद मां मरी और फिर लड़का भी मर गया। बीमारी का मंत्री जी के पास कोई सबूत नहीं है। गांव सभा का रजिस्टर देखा जाय, गांव से उसके बारे में पूछा जाय। इसका कोई सबूत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप कामरोको प्रस्ताव भी एक तार के आने पर दे देते हैं।

श्री उग्रसेन--मैंने उस परिवार की हालत को स्वयं देखा है। सरकार ने उसकी धेला भर मदद नहीं की। अगर उसकी बीमारी साबित हो जाय तो मैं असेम्बली से स्तीफा देने को तयार हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसके बारे में फिर क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष--निश्चित न होने की वजह से मैंने उसकी इजाजत नहीं दी।

श्री राजनारायण--माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह काम करता था। दूसरी बात उन्होंने कही कि उसकी मां ७५ साल की थी और उसके लड़के के हाथ पैर फूले हुए थे साल भर से। तो ७५ वर्ष की वृद्धा और जिसके हाथ पैर फूले हुए थे वे कैसे काम करते थे ?

देवगढ़ (झांसी) की प्राचीन जैन व हिन्दू मूर्तियों के तोड़-फोड़ के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने नियम ५२ के अन्तर्गत एक विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करने का प्रश्न दिया है, उसको मैंने स्वीकार किया है, बाकी को नहीं किया है। वह इस प्रकार है—"नियम ५२ के अनुसार संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि जैनियों के अतिशय क्षेत्र श्री देवगढ़ व दूधई में जो थाना जाखलोन, तहसील ललितपुर, जिला झांसी में स्थित है, ११वीं १२वीं विक्रम शताब्दी की हजारों जैन व वैष्णव मूर्तियां हैं। यह स्थान पुरातत्व विभाग की दृष्टि से अखिल भारतीय विश्व प्रसिद्धि का स्थान है। गत १४-८-५९ को जैन मन्दिरों के ताले तोड़ कर कला की दृष्टि से उत्कृष्ट ३८ मूर्तियों की मुखाकृतियां (चेहरे) चोरी से काट ली गयीं। मन्दिर के बाहर खड़िया से मूर्तियों की संख्या लिखी पायी गयी और वहीं शून्य का निशान भी बना पाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि मन्दिरों के भीतर की मूर्तियों में से सभी के कलात्मक चेहरों को चोरों ने हस्तगत कर लिया है। इससे इस बात पर और प्रकाश पड़ता है कि मूर्तियों की इस चोरी में अनेक षडयन्त्रकारी व्यक्ति सम्मिलित हैं।

मूर्तियों की इस चोरी की घटना से जिला झांसी के ललितपुर क्षेत्र के जैनियों और अन्य लोगों में तीव्र असन्तोष एवं चिन्ता व्याप्त है। अतएव सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में वह अपना स्पष्टीकरण देने की कृपा करे और उक्त प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम के लिये उसने जो प्रयत्न किये हों उनकी भी सदन को सूचना दे।"

माननीय गृह मंत्री जी इस संबंध में सूचना दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, यह सही है कि १३-१४ अगस्त को देवगढ़ की प्राचीन जैन मूर्तियों का तोड़-फोड़ किया गया और इस तरह की घटना इसके पहले भी एक बार हो चुकी थी, अभी कोई ४-५ महीने पहले। अब यह देवगढ़ का पूरा क्षेत्र जो करीब दो-ढाई स्क्वायर मील का है, जिसमें बहुत से मन्दिर हैं और प्राचीन मन्दिर हैं। वैष्णव मन्दिर भी हैं, जैन मन्दिर भी हैं और मुझे स्वयं भी उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारे पुरातत्व विभाग की दृष्टि से वे बहुत बहुमूल्य भी हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के इन्डालोजी डिपार्टमेंट ने उनको अपने संरक्षण में ले लिया है। मेरा खयाल है कि आर्कियालाजिकल डिपार्टमेंट का भी उसको संरक्षण प्राप्त होगा। क्योंकि पहले की जो मूर्तियां तोड़ी गयी हैं वे उस डिपार्टमेंट को मिली हैं। कुछ मन्दिर कमेटी भी हैं जैनियों की। जो जैन मन्दिर हैं वे उस मन्दिर कमेटी के अधीन हैं और वहां रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं रहा है। अब तक सिर्फ २ पुजारी हैं मन्दिर की ओर से जो स्वयं भी रात को चले जाते हैं और वह स्थान भी चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है और दूरस्थ है, जहां बड़ा एकान्त भी रहता है। अब उसका प्रबन्ध किया जा रहा है। यह आदेश दिया जा चुका है। असल में दो तीन प्रकार का प्रबन्ध करना होगा। एक तो वहां यह प्रबन्ध करना होगा कि मन्दिर कमेटी से कहा जाय कि वह चौकीदारों की संख्या कुछ बढ़ावे ताकि वे वहां रात को भी रहें। दूसरे संभवतः वहां पुलिस चौकी भी खोलनी पड़ेगी ताकि उसकी रक्षा की जा सके, बिलकुल जंगल के भीतर है। तीसरे आर्कियालाजिकल डिपार्टमेंट का भी नोटिफिकेशन हो चुका है, एन्शिएंट मानुमेंट प्रिजर्वेशन ऐक्ट के मातहत, गवर्नमेंट आफ इंडिया के आर्कियालाजिकल डिपार्टमेंन्ट से कहा जाय कि वह इनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करे। ऐसा लगा और मुझे ऐसा कहा गया कि जो इन प्राचीन मूर्तियों का व्यवसाय करते हैं चूंकि ये प्राचीन काल की हैं और बहुमूल्य भी हैं इसलिये उनको बेंच कर उनसे लाभ उठाते हैं। सरकार का ध्यान इस ओर गया है और मैं तो यह समझता हूं कि बहुत तत्काल ही इसका प्रबन्ध होना चाहिये तभी इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा हो सकती है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जब अप्रैल में भी इस प्रकार मूर्तियां तोड़ कर चोरी की गई थीं तो उसके बाद सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ? और जैन कमेटी की बात जो कही गई तो उस कमेटी को तो केवल यह अधिकार है कि वह पूजा आदि करे और वह चौकीदार रखती है लेकिन इसके बावजूद भी यह बहुत बड़ा षडयंत्र है कि अप्रैल में चोरी हुई और अब जिसमें ३८ मूर्तियां चोरी हुईं। इस में केवल धार्मिक भावनाओं को ही ठेस पहुंचने की बात नहीं है बल्कि कला की दृष्टि से जो उत्कृष्ट मूर्तियां हैं उनकी चोरी ही उनका उद्देश्य है, और मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछें, बतायें नहीं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मैं जानना चाहता हूं कि जब अप्रैल में भी ऐसी चोरी हुई और सरकार को इसकी जानकारी थी तो उन मूर्तियों की रक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उस समय जब यह मामला हमारे सामने आया था तो हमने वहां के स्थानीय अधिकारियों को और आई० जी० पुलिस को आदेश भेजे थे कि वहां सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय लेकिन मालूम होता है कि वहां अभी तक कोई विशेष प्रबन्ध नहीं हुआ है, वहां पर सुरक्षा के लिये पुलिस का कोई थाना या चौकी खोलने की आवश्यकता है। देवगढ़-झांसी में बेतवा नदी के किनारे एक वीरान-सा स्थान है। वहां इस प्रकार का प्रबन्ध करना होगा, इसकी चेष्टा की जा रही है और उसकी जो फारमेलिटीज आदि हैं वह सब होने के बाद ही यह हो सकेगा। एक भ्रान्ति यह भी होती रही है कि यह आर्किलाजीकल डिपार्टमेन्ट का स्थान है और समझा जाता था कि उनकी ओर से कोई सुरक्षा का प्रबन्ध होगा लेकिन उनके पास वैसा प्रबन्ध नहीं है। अब शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था हो जायगी कि वहां पर इस प्रकार की चोरी-वमारी न हो।

***राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—यह देखते हुए कि इस प्रकार की मूर्तियों की चोरी की घटनायें इस देश में कई जगह हुईं और अपने प्रदेश में कई जगह हो रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिक दंगे और टेन्शन भी हो सकते हैं और चोरी करने के पीछे गैन्ग का हाथ भी है जो कला के नाश की दृष्टि से चोरी कर रहा है तो क्या सरकार ने सी० आई० डी० के द्वारा इसे रोकने का या पता लगाने का कोई प्रयास किया या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ प्रयास हुआ है और पता लगा भी रहे हैं, देख रहे हैं।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां की मूर्तियां पुरातत्व की दृष्टि से और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस क्षेत्र की मूर्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं क्या सरकार वहां पर पुलिस थाने या चौकी की स्थापना करेगी और जिन सरकारी अधिकारियों ने इस संबंध में लापरवाही की है उनको वहां की सुरक्षा के लिये विशेष आदेश देगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह देवगढ़ का मन्दिर आज का नहीं बहुत दिनों का है, हजारों वर्ष का है लेकिन कभी पहले ऐसी घटना वहां नहीं हुई थी, अभी हाल में ही इस प्रकार की घटना की सूचना मिली। अप्रैल में और जून में हमने आदेश भेजे हैं कि वहां प्रबन्ध किया जाय लेकिन अब दूसरी बार यह घटना हुई यह बड़े दुख की बात है और खेद की बात है और लज्जा का विषय है। सरकार शीघ्र ही वहां सुरक्षा की व्यवस्था करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---जब अधिकारियों को ५ मास पूर्व घटना के होने पर आदेश दिया गया था कि वह पूरा प्रबन्ध करें लेकिन उन्होंने कोई प्रबन्ध नहीं किया तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह आदेश भी ४-५ मास पहले नहीं जा सके वे बाद में गये हैं, हमारी भी भूल हो सकती है कि आदेश देर में गये, अब व्यवस्था कर रहे हैं।

वाराणसेय संस्कृत शिष्ट परिषद् के लिये ३ सदस्यों के निर्वाचन के कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष---वाराणसेय संस्कृत शिष्ट परिषद् के लिये ३ सदस्यों के निर्वाचन हेतु १० उम्मीदवारों के ९ नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं जो सूक्ष्म परीक्षा के उपरान्त ठीक पाये गये हैं। इन ९ नामों में से जो नाम अतिरिक्त हैं वे यदि ८-९-५९ के सायंकाल ५ बजे तक वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन विधान वाचनालय में दिनांक १०-९-५९ को १२ बजे से ५ बजे तक होगा। उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है:---

१---आचार्य दीपंकर (मेरठ)।

२---श्री धनुषधारी पांडेय (बस्ती)।

३---श्री माता प्रसाद (जौनपुर)।

४---श्री शिव मंगल सिंह (बलिया)।

५---श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट (नैनीताल)।

६---श्री राम लखन मिश्र (बस्ती)।

७---श्री शिव राम (बिजनौर)।

८---श्री मलिखान सिंह (मैनपुरी)।

९---श्री मोती लाल अवस्थी (कानपुर)।

१ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न ७३ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का शोधन

स्वास्थ्य उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की १ अप्रैल, १९५९ की बैठक में भूतपूर्व राजस्व मन्त्री द्वारा जमींदारी विनाश प्रतिकर के सम्बन्ध में पूछे गये श्री भूप किशोर जी के तारांकित प्रश्न संख्या ७३ का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :-

प्रश्न	उत्तर
७३---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० सरकार को जमींदारी उन्मूलन के मुआवजा में कितना रुपया जमींदारों को देना बाकी है और कितना रुपया अभी तक दसगुने में सरकार को प्राप्त हुआ है ?	७३---२८ फरवरी, १९५९ तक सरकार को जमींदारी उन्मूलन मुआवजे में लगभग ६,४१,०४,४१७ रुपये की रकम देना बाकी थी और ३० जून, १९५८ तक उस दस गुने में कुल ३७,४५,६६,५१२ रुपये की रकम प्राप्त हुई थी।

उपर्युक्त प्रश्नोत्तर के समय सदन में श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री भुवनेश भूषण शर्मा द्वारा इस आशय के निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछ गये थे, जिनका उत्तर मन्त्री द्वारा निम्नलिखित रूप में दिया गया था:---

[श्री बलदेवसिंह आर्य]--

प्रश्न	उत्तर
श्री चन्दजीत यादव--	
२--क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लगभग ६ करोड़ रुपया जो अभी तक नहीं दिया जा सका है इसका क्या कारण है ?	रुपया कोई ६८,८०,००,००० देना था। ६२ करोड़ और कुछ लाख दिया जा चुका है और ६ करोड़ और कुछ लाख बाकी है। ४६ करोड़ बांड्स की शक्ल में थे। पी० डी० ओ० के यहां जो इन्डेन्ट्स बांड्स बनने के लिये गये हैं वह २-३ करोड़ रुपये के हैं। जैसे ही वह आयेंगे वह इश्यू कर देंगे। इसके अलावा ५-६ बड़े-बड़े इन्टरमीडियेरीज के बांड्स फाइनलाइज नहीं हुये हैं उनके मुकदमे आपस में हाई कोर्ट वगैरह में चल रहे हैं।
श्री भुवनेशभूषण शर्मा--	
७--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ऐसी कितनी धनराशि है जिसके बांड्स बन चुके हैं, परन्तु अभी तक तहसील में जमींदारों ने नहीं उठाये।	जो पी० डी० ओ० से बांड्स हमको वसूल करने थे उनका रुपया कुल २,५८,००,००० था।

इन अनुपूरक प्रश्नों के जो उत्तर मन्त्री ने दिये थे उनमें अनायास ही कुछ अशुद्धियां रह गयी थीं। जिस कारण उनका शुद्ध उत्तर देने में इस समय खड़ा हुआ हूं और आप की स्वीकृति से निवेदन करता हूं कि उस दिन की कार्यवाही विवरण में तदनुसार संशोधन कर लिया जाय। उन अनुपूरक प्रश्नों के शुद्ध उत्तर इस प्रकार हैं :--

२--रुपया कोई ६८,८०,००,००० देना था। ६२,३९,३७,३५० रुपया दिया जा चुका है और ६,४१,०४,४१७ रुपया बाकी है, ४६ करोड़ रुपया बन्धों के रूप में था। पब्लिक डेट आफिस के यहां जो बन्ध सूचियां (Indents) बन्ध बनाने के लिए पड़ी है वह लगभग ६४ लाख रुपये की हैं। जैसे ही बन्ध आ जायेंगे वह वितरित कर दिये जायेंगे। इसके अलावा ५--६ बड़े-बड़े मध्यवर्तियों के बन्ध अन्तिम नहीं हुये हैं। उनके मुकदमें आपस में हाई कोर्ट वगैरह में चल रहे हैं।

७--जमींदारों ने तहसीलों से अभी तक कुल २,५८,९४,६५० रुपये के बन्ध नहीं उठाये हैं।

२७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न ३७ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, गत सत्र के ११वें शुक्रवार (२७-२-५९) को श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ३७ से सम्बन्धित श्री प्रताप सिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का संशोधत उत्तर देने की स्वीकृति दी जाय।

मूल प्रश्न संख्या ३७	गृह मंत्री जी की ओर से दिया गया उत्तर
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सूचना विभाग द्वारा अब तक कौन-कौन-सी फिल्में कितनी लागत पर बनवायी गयी हैं ?	वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

अनुपूरक प्रश्न	२७—२—५९ को दिया गया उत्तर
बनी हुई फिल्मों का सेंसर कौन करता है ? . .	सूचना विभाग द्वारा बनी हुई फिल्मों को सेंसर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे ऐसे विषय की होती हैं कि जो सेंसर के लायक नहीं हैं।

संशोधित उत्तर

भारत सरकार द्वारा नियुक्त बम्बई स्थित बोर्ड आफ फिल्म सेंसर, सूचना विभाग द्वारा बनायी गयी फिल्मों को भी सेंसर करता है।

*उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९

न्यायमंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ [The U. P. Public Land (Eviction and Recovery of Rent and Damages) Bill, 1959] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसके सिलसिले में एक अननुमोदन का प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित हुआ था और उस प्रस्ताव के सिलसिले में काफी वादविवाद इस विधेयक के सम्बन्ध में हुआ और अननुमोदन का प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। और उस के बाद यह विधेयक विधान परिषद् में भी पेश हुआ और पारित हुआ। उस के बाद मैं इस सदन के सामने प्रस्ताव के रूप में उपस्थित करता हूं कि इस पर विचार किया जाय। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। सरकारी भूमि काफी तादाद में, काफी रकबा सरकारी भूमि का नाजायज तरीके से ले लिया गया है कई जिलों में, नैनीताल, बिजनौर, रामपुर और पीलीभीत वगैरह में। उन जमीनों को खाली कराने के लिए सरकार ने एक विधेयक बनाया था जो कि हाई कोर्ट में अल्ट्रा-वायरस करार दिया गया। लिहाजा एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी जिस से कि अध्यादेश निकालने की जरूरत पड़ी और वह निकाला गया संविधान की धारा २१३ (१) के अन्तर्गत। उस अध्यादेश में जो प्राविजन रखे गये थे उन्हीं को इस विधेयक की शक्ल में ला करके इस विधेयक को उपस्थित किया है। यह बहुत ही जरूरी है। मैं कोई लम्बा चौड़ा व्याख्यान नहीं देना चाहता। हमारे मित्र प्रताप सिंह जी ज्यादा उत्सुक हैं बोलने के लिए। लिहाजा उन की बातें सुन कर के लाभान्वित होना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय।

†**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। प्रक्रिया नियमावली में दिया हुआ है कि जब कोई बिल इन्ट्रोडयूस कर दिया जाय तो बहस होने से पहले कनसर्निंग पेपर्स मांगे जा सकते हैं। तो आप देखें श्री वीर प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक केस हुआ था लेकिन उस की कोई प्रति हमारी मेज पर नहीं है और न उसको पेश किया। कहा यह जाता है कि पब्लिक डाकुमेंट है इस को सदस्य स्वयं हासिल कर लें। तो आप व्यवस्था करेंगे कि यह डाकुमेंट अगर सदस्य हासिल किया करेंगे तो साल में १००, २०० रुपया उनका यों हीं खर्च हुआ करेगा और अगर यहीं मिल जाया करेंगे तो ज्यादा सुविधा होगी। तो यह

---

*२५-८-१९५९ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

विधेयक डाकूमेंट पर ही आधारित है अगर उस की एक प्रतिलिपि यहां पर होती तो ज्यादा अच्छा होता। आशा है आप ऐसी व्यवस्था देंगे जिस से हमेशा की अड़चन दूर हो जाय। नहीं तो अक्सर यही कह दिया जाता है कि पब्लिक डाकूमेंट है आप इसे स्वयं हासिल करें। उसमें बड़ी दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष---(न्याय मन्त्री से) आप उपस्थित कर दें उस को।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कौन-सा डाकुमेंट चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---हाई कोर्ट का जजमेंट चाहते हैं। मैं समझता हूं आप उसे सदन की मेज पर रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(मेज पर प्रतिलिपि रक्खी गयी)

श्री मोतीलाल अवस्थी---अब जब यह सामने रखा जा रहा है तो हम लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाय ताकि पढ़ सकें।

श्री अध्यक्ष---विधेयक जब विचारार्थ उपस्थित हो उसके बाद ही आप कागजात मांग सकते थे जो कि उपस्थित कर दिये गये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---एक निवेदन मेरा है। रोज यह समस्या खड़ी होती है। आइन्दा ऐसा मौका आब्जेक्शन करने का हम को न मिले इस वास्ते ऐसी व्यवस्था आप कर दें कि जो भी पेपर्स हुआ करें वे पहले ही रख दिये जाया करें।

श्री अध्यक्ष---न्याय मन्त्री इस विषय में न्याय करेंगे और सब मन्त्रियों को इस विषय में सूचना दे देंगे कि जब कोई विधेयक हाउस के टेबिल पर रखा जाय कम से कम जो उससे सम्बन्धित कागजात हों, जिन के ऊपर वह विधेयक आधारित हो उनको टेबिल पर रख दें और अगर आसानी हो सकती है तो उनकी कुछ और कापीज वितरित कर दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह जो व्यवस्था आपने दी पीछे से इसे माननीय मन्त्री नोट कर लें क्योंकि कापीज मांगने पर ही मिलती हैं और उसी समय दफ्तर से दौड़ धूप करके मंगाई जाती हैं।

श्री अध्यक्ष---टेबिल पर रखने की आवश्यकता है। सहूलियत होने पर वे प्रतियां सदस्यों को दे सकते हैं ऐसा मैंने कहा है। इसके लिए वे बाध्य नहीं हैं कि हर एक कागज की कापी कर के दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप ने तो कहा कि कापी वितरित की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष---जी हां, वितरित की जा सकती है मगर सहूलियत के साथ। अगर नहीं कर सकते हैं तो टेबिल पर रख दें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्रीमन्, इस प्रस्ताव के पीछे कुछ कारण हैं और उन कारणों को मैं आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं और इससे पहले कि मैं उन कारणों को रखूं मैं माननीय मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि वे हमारी बात को सुनेंगे।

मान्यवर, जिस समय यह आर्डिनेंस हमारे सामने आया और अब जो विधेयक आया है उस से इसमें एक अन्तर नजर आता है जिसको कि माननीय मन्त्री जी को स्वयं अपने मुंह से कहना चाहिए था लेकिन वे नहीं कह पाये। आर्डिनेंस जिस समय लाया गया हम ने उस समय यह कहा कि इस आर्डिनेंस में "क्रिमिनल ट्राइब्स" लिखा हुआ है और यह संविधान के खिलाफ है। माननीय मन्त्री जी ने उस के जवाब में यह कहा कि उन के पूर्वज भी क्रिमिनल ट्राइब्स थे तो क्या बुरा किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने नहीं कहा कि उनके पूर्वज भी क्रिमिनल ट्राइब्स के थे।

श्री प्रतापसिंह--आपने कुछ ऐसे ही कहा था।

श्री अध्यक्ष--वे डिनाई करते हैं।

श्री प्रतापसिंह--इन्हीं शब्दों में उन्होंने कहा था कि पंजाब से जो आये हैं उन के बाप-दादा किसी जमाने में हो सकते थे। इसी तरह की कुछ भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अर्स्टव्हाइल पंजाब में दे वर डिक्लेयर्ड ऐज क्रिमिनल ट्राइब्स। यह मैंने कहा था। आप उनके बाप-दादा के लिए कहना चाहें तो कहें।

श्री प्रतापसिंह--मन्त्री जी जो कह रहे हैं वही ठीक है। तो उस समय मन्त्री जी ने उस क्रिमिनल ट्राइब्स शब्द को उस आर्डिनेंस से हटाने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया और अगर इस सदन में उसे बदलने के लिए प्रयत्न न किया जाय तो फिर हमारा यह अधूरा कार्य है। विरोधी दल के नेता और हम माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास गये और उनसे कहा कि आप की सरकार की ओर से विधेयक में ऐसा शब्द आ रहा है जिस में क्रिमिनल शब्द रखा गया है और मैं आभारी हूं कि उन्होंने संविधान का आदर किया। हिन्दुस्तान के अन्दर जितने नागरिक रहते हैं सब समान हैं और कोई क्रिमिनल ट्राइब में नहीं है इसको समझते हुए हमारी सरकार ने इस शब्द को इस विधेयक में से हटा दिया है।

इस विधेयक को जो हमारे सामने लाया जा रहा है उस से पहले एक आर्डिनेंस लाया गया और आर्डिनेंस को ६ हफ्ते के अन्दर विधेयक में परिणत कर देना चाहिए यह नियम है, उसी नियम के आधार पर यह लाया गया है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां इस सदन में तरह तरह के प्रस्ताव आते हैं। भूख के प्रस्ताव आते हैं, कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते हैं। भूख का प्रस्ताव आता है और उस के बाद एक आर्डिनेंस के लिए हमने डिसऐप्रूवल मोशन विधान और नियमों के अनुसार रखा। उसके बाद आज हम को उन्हीं बातों को दोहराना पड़ेगा। क्यों न भविष्य में एक ऐसा ट्रैडीशन डाला जाय कि हमारे एक्सचेकर के ऊपर ज्यादा भार न पड़े। एक ही बात को दो बार डिस्कस करें, मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं है, केवल नुकसान ही है। इसमें एक बात कही गयी कि "नैनीताल, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर तथा शाहजहांपुर के जिलों में लगभग २०,००० एकड़ सरकारी भूमि राय सिक्खों, जाट सिक्खों, ब्रिख सिक्खों और कम्बू सिक्खों के . . . .।" जिस दिन यहां पर आर्डिनेंस लगाया गया उस में राय सिक्ख और "अदर सिक्ख" लिखा था। मुझे खुशी है कि "अदर सिक्ख" की उन्होंने इस में परिभाषा की। लेकिन इस तरह की बातें बिलकुल अधूरी हैं। मन्त्रीजी बतायें कि कितनी जमीन नैनीताल में अनधिकृत रूप से कब्जे में है, कितनी पीलीभीत में, कितनी बिजनौर में, और कितनी शाहजहांपुर में है। मन्त्रीजी के पास तो बहुत बड़ा सेक्रेटेरियट है, पेश कर दिया, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि पूरी लायब्रेरी को टटोलें, और उस के बाद सामने रक्खें। इसके अन्दर बीर प्रतापसिंह जो सितारगंज तहसील में हैं उन को ९६ एकड़ खाम सुपरिन्टेंडेंट ने एलाट किया उसका जिक्र किया गया है। मैं वहां की बात ज्यादा जानता हूं। इस तरह का लेक्चर दे देना मन्त्रीजी की तरफ से कि आर्डिनेंस के वक्त में सब कुछ कहा गया है, ठीक है लेकिन उन्होंने हम को अन्धेरे में रखा। आखिर यह २०,००० एकड़ जो जमीन है वह कहां-कहां है। मैं समझता हूं कि मन्त्रीजी अपना उत्तर देते वक्त इसका खयाल रखेंगे।

[श्री प्रतापसिंह]

इसके अलावा, श्रीमन्, उद्देश्य और कारणों में केवल सिक्खों के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं कि बहराइच जिले से कोई आदमी नैनीताल या पीलीभीत जिले में आ कर सरकार की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो यह विधेयक कैसे लागू होगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--बहराइच से कोई नहीं आयेगा।

श्री प्रताप सिंह--बहराइच से न सही। रुद्रपुर का स्टेट फार्म है। वहां पर पहाड़ का कोई आदमी जबरदस्ती काबिज होता है तो आप इस की किस धारा के मातहत उस को निकालेंगे अगर वह सिक्ख नहीं है। दूसरे संविधान का आर्टिकिल १४, इक्वालिटी बिफोर ला के बारे में है और १५ में है प्रोहिबिशन आफ डिस्क्रिमिनेशन आन ग्राउन्ड्स आफ रेलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स आर प्लेस आफ बर्थ। एक सेक्युलर स्टेट का नारा दिया जाता है और जिस वक्त मास्टर तारा सिंह सिक्ख स्टेट की बात करते हैं उस समय पन्डित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डाक्टर सम्पूर्णानन्द तक सभी कहते हैं कि यह सेक्टेरियन बात है। हिन्दुस्तान के रहने वाले यह समझ सकते हैं कि वे पुरुषार्थी जिनको पाकिस्तान से बुलाया गया आज उन के प्रति जो नीति बरती जा रही है उस को एक सुव्यवस्थित नीति नहीं कहा जा सकता है। इस लिए अगर इस को संविधान के आर्टिकिल १५ और ३१ के मुताबिक चैलेंज किया जाय तो चैलेंज हो सकता है श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है उसका मैं थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूं।

मान्यवर उसमें कहा कि "Their Lordships said, 'It seems to us that by providing a special procedure for ejectment for Government land by this Act and by providing the same procedure for ejectment from premises by another Act, the Legislature is creating something in the nature of a "*droit administratif*" so that disputes relating to the occupation of the Government property, in contradistinction to disputes arising in respect of title, should be decided by special authority and by a special procedure though fortunately the decision is still amenable to the jurisdiction of this court'."

मान्यवर, इस में यह कहा गया है कि अगर प्राइवेट प्रापर्टी पर कोई डिस्प्यूट हो तो महीनों केस चलेगा। अगर सरकार की जमीन पर कोई काबिज हो तो उस के लिए कहा जायगा कि समरी ट्रायल हो तुम निकल जाओ। न्याय शाखा वह शाखा है जो हमारे संविधान की रक्षा करती है "Judiciary is the guardian of our Constitution" कोई भी सरकार आये हमारा देश यही रहेगा। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं और उनका फैसला कौन करता है। उनका फैसला न्याय शाखा ही करती है। श्रीमन्, जैसे सदन में औचित्य का विचार करके आप फैसला करते हैं उसी तरह से हमारे अधिकारों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए उसका फैसला हमारी न्याय शाखा करती है। देयर लार्डशिप्स ने यही कहा है। मन्त्री जी के कानूनी सलाहकारों ने गलती से या जिद से इस आदरणीय सदन के लिए भी हाई कोर्ट ने कुछ कहा है। वह इस प्रकार है कि :

"The ground for differentiation in this case is merely speedy ejectment from Government land. The classification cannot be held valid under Article 14 of the Constitution".

यानी लेजिस्लेचर का नाम नहीं है लेकिन यहां पारित किया गया है, मन्त्री जी ऐसे सलाहकारों को क्यों नहीं चेक करते, क्यों नहीं उन को निकाला जाता ? जो बार-बार ऐसी राय देते हैं कि न्याय शाखा कहती है कि यह लेजिस्लेशन अधिनियम बनाने वाली शक्ति के भीतर नहीं आता है। मान्यवर, यह तमाम चीजें हैं जिनकी ओर हम सब को ध्यान देना है।

दूसरे यह कि जिला नैनीताल में २४ अप्रैल, १९५९ तक एविक्शन के ३,५०० केसेज चल रहे थे और आज जो विधेयक लाया जा रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ४ या ५ हजार लोग ऐसे हैं जिन को कल से ही अपनी जमीन तुरन्त छोड़ देनी होगी। जरूरत इस बात की नहीं थी कि पहले आर्डिनेंस लाया जाता, जरूरत नहीं थी कि विधेयक के रूप में अधिनियम बनाया जाता, लेकिन जरूरत इस बात की थी कि नैनीताल में जो नौकरशाही विद्यमान है और जो रिपोर्ट देती हैं कि यह लोग जमीन पर काबिज हैं तो उनकी रिपोर्ट के बाद एक नान आफिशियल्स की कमेटी बननी चाहिए थी। मैंने यह सुझाव माल मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री जी को भी दिया था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं इस पर गौर करूंगा। यह ठीक है। इस लिए मैंने कहा कि एक आफिशियल वर्जन होता है और एक नान-आफिशियल की बाडी बनाइये और जब दोनों वर्जन सामने आ जाये उसके बाद देखा जाय तो समस्या हल हो सकती है।

मान्यवर, अध्यादेश के जारी होने से पहले किस कानून के मातहत पुलिस के द्वारा सितारगंज और खटीमा में वहां के लोगों की झोपड़ियों को जलाया गया, उन को निकाला गया। अगर सिक्ख ही होते तो आप कहते कि वह इस प्रकार बसे हैं बल्कि वह थारू और बोक्सा हैं जिनकी आवाज, जब से हम असेम्बली में आये हैं, आने लगी है, उन को हटाया गया है। वहां के अधिकारी सेक्टेरियन व्यू फैलाना चाहते हैं। पूरब वालों से कहते हैं कि पंजाबियों को हटाओ। जब पूरब वाले बसते हैं तो पहाड़ियों से कहते हैं कि तुम्हारी जमीन है लेकिन पूरब के मिनिस्टर्स हैं इसलिए यह लोग आ गये हैं। इस तरह की बातें वहां के अधिकारी करते हैं। मैं चाहता हूं कि उस की जांच हो और उन को बदला जाय। लेकिन हमारा मन्त्रिमण्डल आज सोया हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिख देता है वह सही माना जाता है और एक मामूली सदस्य कोई बात कह देता है तो मन्त्री जी नजाकत से, नाच के स्टाइल से जवाब दे देंगे और कुछ हंसी खुशी कर देंगे। मान्यवर, हंसी खुशी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका भी मौका होता है। पिछली दफा आर्डिनेंस पर मेहनत करके सारा मसाला मैंने तैयार किया और मन्त्री जी ने मुस्करा कर ऐसा साबित कर दिया कि हम ने सारी चीजें गलत कहीं। हम मन्त्री जी के स्वभाव की तारीफ करते हैं लेकिन उस में, अन्दरूनी क्या चीज है यह भी मन्त्री जी देखें। पुलिस की शक्ति के जरिये जो वहां किसानों को निकाला गया मैं चाहूंगा कि उसकी जांच हो। विधेयक के खंड ४ में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा आदमी है सरकार की जमीन पर काबिज है तो उस को नोटिस दी जायगी। लेकिन जो दो सौ आदमी हटा दिये गये उन को कौन सी नोटिस दी गयी? नौकरशाही ने वहां अन्धी होकर कहा कि ऐ नैनीताल की तराई के रहने वाले किसानों! तुम चाहे कोई हो, हम तुम से ऊपर हैं। अगर सरकार सही हुकुम देती है तो हमें उसे अपने स्वार्थ को सीधा करने के लिए गलत बना लेते हैं।

मैं माननीय माल मन्त्री जी से इत्तफाक करता हूं कि बिना नोटिस के नहीं निकला जाना चाहिए। अगर ऐसा किया गया है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। जिन्होंने राष्ट्र के नागरिकों को जायदाद से हटा दिया उन के पास प्रापरटी नहीं रही उन के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। मैं बताऊंगा कि वहां पर कितने प्रकार के किसान हैं और कहां से आये हैं।

मान्यवर, पार्टीशन हुआ और इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री पन्डित गोविन्द बल्लभ पन्त ने एलान किया कि कोई भी आदमी अगर बेघरबार हो, मैं उसको गले लगाऊंगा और उसको बसाऊंगा। माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त की सरकार ने उन को शरण दी और आज कौन सा कारण है कि माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार यहां से उन को निकाल देना चाहती है? माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर दें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या विरोधी दल का कोई सदस्य चाहे वह पूर्व, पश्चिम या पहाड़ कहीं का हो, अगर वह तराई भाबर में बसना चाहता हो और थारू बोक्साओं की जमीन छीनना चाहता हो तो हम हमेशा उस के विरोधी रहे हैं। इस लिए जबरदस्ती जो काबिज हैं सरकार उन को हटाये लेकिन सब धान २२ पसेरी कर देना न्याय

[श्री प्रताप सिंह]

नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि जो अधिनियम पास करने जा रहे हैं नौकरशाही के उस का स्वरूप वैसा ही रक्खेंगी या बदल देगी। माननीय मन्त्री जी यह भी बतलायेंगे कि यह विधेयक किन पर लागू होगा और किन पर नहीं।

अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से काश्तकार हैं। पहले वह हैं जिम्न १० में जिन को जमीन दी गयी। खाम वह स्टेट है जहां पर सरकार की जमींदारी है। ताज्जुब यह है कि नागरिकों की जमींदारी सरकार ने हटा दिया, लेकिन सरकार की जमींदारी नहीं हटायी जा रही है। आखिर कारण क्या है? खाम सुपरिन्टेंडेंट ने कहा दे दो और प्रधान ने अलाट कर दी जमीन। इसलिए १२ साल से जिम्न १० की जमीन पर वह बसे हैं। थारुओं का यह रिवाज हो गया है कि इस साल इस में फसल पैदा करो और अगले साल आगे बढ़ जाओ। आज वह कानून से अनिभिज्ञ हैं तो उन को कानून क्यों न बताया जाय? वह कानून के बजाय रिवाज पर जाते हैं--थारू और बोक्सा। इंग्लैन्ड में पूरा संविधान रिवाज पर आधारित है। तो कल को यह अधिनियम अगर पास हो गया तो सारे लोगों को निकाल देना पड़ेगा।

मान्यवर, दूसरी तरह के जो किसान हैं वह पंजाब से पार्टीशन के बाद आये। वहां जंगल पड़ा था। बुभुक्षितः किं न करोति पापम्। तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। एक जंगल था जिस को उन्होंने काटा। अगर वह जंगल उन्होंने गलत तरीके से काटा तो मैं माननीय माल मन्त्री से कहूंगा कि वह वन मन्त्री से सूचना प्राप्त करें कि सन् १९४७ से लेकर आज तक कितने लोगों के खिलाफ फारेस्ट ऐक्ट के मातहत मुकदमा कोर्ट में चला। अगर नहीं चला तो किसकी कन्सेंट से वह वहां बसे? किसी न किसी की राय से तो बसे ही होंगे। मैं यह नहीं कहता कि माल मन्त्री की राय से बसे होंगे, लेकिन किसी न किसी की कन्सेंट से तो बसे ही होंगे। जितनी उनके पास पूंजी थी वह सब उन्होंने रास में सर्फा कर दिया और आज आर्डिनेंस के बाद यह अधिनियम आयेंगे, कल को वह निकाल दिये जायेंगे।

तीसरे तरीके के किसान वह हैं जो वहां आये। खाम सुपरिन्टेंडेंट महोदय से कहा कि बीबी बच्चों को लेकर आया हूं, कहीं बसने के लिए जगह बताइये। खाम सुपरिन्टेंडेंट महोदय ने पेशकार से कहा कि उन्हें कहीं बसाओ। पेशकार ने कहा कि अच्छी बात है, बस जाइये, हम आपके नाम पट्टा बना देंगे। पेशकार और पटवारी ने मिल कर उन को बसा दिया। लेकिन वह पट्टे आज तक नहीं हुये इस लिए नहीं हुये कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वहां की जमींदारी समाप्त होगी और वह उस के भूमिधर होंगे, इसी मुगालते में उन को रखा गया और अब माननीय माल मन्त्री जी ऐसा जादू का डंडा फेरेंगे कि एकदम से उन को हटना पड़े।

चौथे प्रकार के लोग वे हैं--जैसे मैं एक काश्तकार था सन् ४८ में। दूसरे साहब कोई मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तेरे पास बहुत जमीन है कुछ मैं खरीद लूं। मैंने कहा खरीद लो। उस ने खरीद लिया। लेकिन खाम की जमीन ऐसी है कि वहां टाइटिल नहीं मिलता, केवल मलबा वगैरह मिलता है। लगान वह बराबर दे रहा है। उस में सिक्ख हैं, खम्मोज सिक्ख भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यह अधिनियम पास हो गया तो उन को भी हटना पड़ेगा।

इस के बाद पांचवें प्रकार के किसान वह हैं जिन्होंने वहां के आदिवासी रहने वालों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है। मैं ऐसे कब्जे को गलत समझता हूं और सरकार से जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि उन के खिलाफ जरूर कार्यवाही की जाय। मैं खुद उदाहरण देना चाहता हूं। एक गूलरबोज का इलाका है वहां पर जहां कि बोक्सा लोग बसे हुए हैं। एक सरदार साहब जाते हैं जिन के पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी पिस्तौल भी है जो कि अपने को कांग्रेस का नेता भी कहते हैं और यही नहीं रुद्रपुर में रहने वाले कांग्रेस के नेता उन को मन्त्रियों के पास लाते हैं और कहते हैं कि इन को बचाओ। वह सरदार जी जिन के पास

बाजपुर में काफी जमीन है, गूलरबोज के इलाके में जाकर बोक्साओं की जमीन को ट्रैक्टर लेकर के जोतते हैं। सरकार चुप रहती है। पुलिस दूसरी पार्टी के लोगों को जेल में बन्द कर के रखती है। हम को सदन छोड़कर यहां से जाना पड़ता है। बोक्सा लोग डर के मारे हम से बात नहीं करते। कहते हैं कि सरदार के पास पिस्तौल है, वह हम को जान से मार देगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो ज बरदस्ती भोले भाले किसानों की जमीन पर डंडे के बल पर अधिकार करना चाहते हैं उन पर यह कानून जरूर लागू हो। ऐसे केसेज की इन्क्वायरी होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। सितारगंज तहसील में काश्मीर से आये हुए आर्फन ब्वायज के लिए ७५० एकड़ जमीन एलाट हुई। लेकिन माननीय माल मन्त्री के प्यारे खास सुपरिन्टेंडेंट साहब ने जो शर्मा जी से पहले सुपरिन्टेंडेंट थे, उन्होंने उस दूसरे सरदार से मिलकर ५०० एकड़ उन को दे दिया। बच्चों को वहां से भगा दिया। अभी पिछले महीने हम ने जिलाधीश से कहकर १०० एकड़ जमीन उन को एलाट करायी है। जैसे ही वह बच्चे वहां झोंपड़ी बनाते हैं वैसे ही वह लोग आकर लाठी से मारकर उन को भगा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? वहां जिलाधीश का क्या कार्य है? नैनीताल की ठंढी हवा खाना और मिनिस्टर लोग जब आयें तो उन को सलाम बजा लेना, यही तो केवल काम नहीं है। जनता के हितों की रक्षा करना क्या उनका काम नहीं है? तो इन दोनों प्रकार के केसेज के बारे में मंत्री जी इन्क्वायरी करायें और ज्यादा अच्छा होगा कि माननीय सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए वह इसके बारे में यहां बतायें।

इसके बाद मान्यवर, सरकार को हमेशा आन्दोलन की पड़ी रहती है। खरीफ आन्दोलन और रबी आन्दोलन तो जमीन पर चलाये जाते हैं। लेकिन किसान जिस ने अपनी गाढ़ी कमाई की सारी पूंजी उस में लगा दी, अपने पूरे परिश्रम से उसे आबाद किया, मैं आप से कहता हूं कि मन्त्री जी के इलाके के लोग वहां जायं तो वह नहीं आबाद कर सकते उस जमीन को, यह उन्हीं सरदार लोगों के बस की बात थी कि जिन्होंने उन जंगलों को काटकर आबाद किया।

जहां पर रुद्रपुर के इलाके में जंगल था, वहां पर सरकार ने, स्टेट फार्म बनाया। उस जंगल को तोड़ने में सरकार ने काफी प्रयत्न किया। अगर यह नहीं होता तो ऐंग्लो अमरीकन टीम जाकर उस को नहीं देख सकती थी जहां पर कि आज रूरल यूनिवर्सिटी बनायी गयी है लेकिन वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं और मेहनत से वहां पर बस गये हैं उन को सरकार अब निकालना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह सरकार की ज्यादती है। एक दफा सरकार अपने लोगों को इस अधिनियम के बन जाने पर यह कह देगी कि उन को निकाल दिया जाय तो सरकार के अफसर उन को वहां से तुरन्त निकाल बाहर कर देंगे। मैं समझता हूं यह गलत कदम होगा। मुझे याद है कि जब वहां पर कालोनाइजेशन स्कीम शुरू की गयी तो उस को यहीं पर बैठ कर तैयार कर दिया गया। आम तौर से यहीं पर बैठकर सारी योजनायें बना दी जाती हैं। जब कालोनाइजेशन स्कीम तैयार की गयी तो उस समय कुछ गांवों को हटाने की बात हुई। उस वक्त सरकार के अधिकारियों ने भाखरा से लेकर भांडा तक के २६ बोक्सा के गांवों को हटा दिया।

हम ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आन्दोलन किया। जिस समय उस को जगन प्रसाद रावत जी देखने आये तो उन को समझाया गया। उन्होंने तब कहा कि गलती हुई। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह गलती हुई और २६ गांवों को उजाड़ा गया उन के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया? हम यहां पर जनता की मुसीबतों को रखने के लिए ही आते हैं न कि मन्त्री जी से साथ मिलकर अपने घर वापस चले जायें और हमारा काम हो गया। हम को भी जनता के सामने उत्तर देना है कि हमने उन के लिए यहां पर सरकार से क्या निवेदन किया। हम मन्त्री जी के सामने फैक्ट्स रखते हैं। एक गलती से ऐसा किया गया कि जिन २६ गांवों को हटाना नहीं चाहिए था उन को हटा दिया गया। इसलिए मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उन के अधिकारी सेक्रेटरी एलर्ट नहीं रहे तो इसमें भी उन के कर्मचारी वही करेंगे जो कि उन्होंने कालोनाइजेशन स्कीम के

[श्री प्रताप सिंह]

सिलसिले में किया कि वहां पर बोक्सा के २६ गांवों को उखाड़ कर फेंक दिया। आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि रुद्रपुर में कालोनाइजेशन के अन्तर्गत कुछ ऐसे विभागों के एक्सपर्ट हैं जो काफी समय से वहां पर हैं। सरकार कहती है कि तीन साल से अधिक एक अधिकारी एक स्थान पर न रहे लेकिन रुद्रपुर में ८ साल से कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं लेकिन उन को वहां से बदला नहीं गया है। एक स्थान पर जो अधिकारी ८ साल से रह रहा है उस को क्यों नहीं बदला जा रहा है? मान्यवर, यदि इतने समय तक कोई अधिकारी एक स्थान पर रहेगा तो उस के दोस्त भी वहां पर पैदा होंगे और उन को जरूर जमीन मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि १९५६ के पहले सरकार ने नियम बनाया रेवेन्यू विभाग के द्वारा कि जो वहां की जमीन पर काबिज है उन को रेगुलराइज करने के लिए जमीन एलाट की जायगी। ऐसे बहुत से केसेज हुये और आज भी सरकार के विचाराधीन होंगे, जो यहां पर लखनऊ में पड़े हुये हैं। इस अधिनियम के बन जाने के बाद उनका क्या रूप होगा। इस को उन के ऊपर लागू किया जायगा या नहीं? राय सिक्खों की बात कही गयी लेकिन आप सरदारों के कन्धों पर बन्दूक रख कर हर एक को मारना चाहते हैं। इन सब बातों को इस अधिनियम में साफ होना चाहिए। मैं जानता हूं कि ५७–५८ या ५८–५९ के बजट में कुछ रुपया राय सिक्खों के बसाने के लिए रखा था। मैं जानना चाहता हूं कि वह रुपया क्यों रखा गया था? क्या आप का इरादा उन को बसाना नहीं था? मन्त्री जी ने पहले यह संकेत किया था कि लखीमपुर में राय सिक्खों की कालोनी बनायी जायगी और वहां पर उन को बसाया जायगा। उस के लिए बजट में रुपया रखा था, लेकिन अब उन के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है? अब सरकार कहती है कि क्रिमिनल ट्राइब्स को न रखें। हम भी चाहते हैं कि गलत लोगों को न रखा जाय लेकिन गलत लोगों को दूसरे मुल्क तो स्वीकार करेंगे नहीं। उनको यहीं पर सुधारना होगा। उन को ऐडजस्ट करके बसाना चाहिए और तभी सरकार की कार्यकुशलता का परिचय साबित होगा और सरकार का यह नमूना होना चाहिए कि वह ऐसे लोगों को बसाये। आज यह सरकार, जो कि एक जिम्मेदार सरकार कही जा सकती है, यह कहती है कि ऐसे लोगों को नहीं बसाया जायगा। इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन कुसूरवार है। सरकार कुसूरवार नहीं है। सरकार उन अधिकारियों से जवाब तलब करे जिन्होंने उन को सन् ४७ में बसाया था और जमीन दी थी। यह अधिनियम मैं समझता हूं उचित नहीं है और पहले मन्त्री जी इसकी जांच करें।

जहां तक जमीन की डकैती की बात है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि वहां सरकार के कर्मचारी निकम्मे साबित हो रहे हैं। जो जमीन की चोरी करते हैं उन से पुसिल भी मिली रहती है और दूसरे अधिकारी भी। पुलिस के दरोगा तक उन से मिले रहते हैं। एस० पी० की बात मैं नहीं कहता। आज सरकार ने हर अधिकारी को इतना डिप्लोमेट बना दिया है कि वह अपने यहां पर आदमी को बनाये रखना चाहता है। प्रजातन्त्र के जामने में, जैसा अभी पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, इन अधिकारियों को सिविल अथारिटीज के नीचे ही रहना होगा। अगर प्रजातंत्र को जिन्दा रखना है तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। आज सरकार का प्रयत्न प्रजातन्त्र के खिलाफ भावना उभाड़ने का हो रहा है। वह आज लोगों के कहलाना चाहती है कि क्या हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं? यदि हैं तो क्यों हमीं लोगों के लिए यह अधिमियम लाया जा रहा है? यदि यही होना है तो वह चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नैनीताल का रहने वाला हो, अथवा बहराइच का, अगर वह सरकार की जमीन पर जबरदस्ती काबिज है तो उस को हटा दिया जाय, लेकिन मन्त्री जी स्वयं अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेंगे। वहां तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस की बात आ जायगी। तो मैं कहता हूं कि यह गलत है, इसको सुधारा जाय।

दूसरी बात यह है कि जो लोग १०, १२ साल से लगान दे रहे हैं, उन के साथ भी यह विधेयक उसी तरह से काम करेगा, जिस तरह से एक उस आदमी के साथ जो २४ अप्रैल के दिन उस जमीन पर काबिज रहा हो। तो यह क्या है? मेरे दिल में इस बात को देख कर तकलीफ

है। वह हमारी तरह से ही इन्सान हैं और अगर चुनाव में हमारे या मन्त्री जी के खिलाफ खड़े हो जायं, तो जीत जायेंगे। एक साल से जो काबिज हैं उस को भी निकाला जायगा और १० साल से जो काबिज हैं उस को भी निकाला जायगा। सरकार ने केवल यह कहा कि जो जबरदस्ती कब्जा किये हैं वे निकाले जायेंगे, लेकिन जबरदस्ती कब्जे की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। खाम स्टेट में कब्जा करना और बहराइच जिले में जबरदस्ती कब्जा करना एक ही बात है। मैं चाहता था कि पहले खाम स्टेट समाप्त हो जाती और उसके बाद वे स्वयं वहां के ओनर हो जायेंगे। सरकार को उस समय कहने का मौका रहता।

इसके उद्देश्य में लिखा गया है कि हम भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं और कुछ जमीन सार्वजनिक कामों में लगाना चाहते हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज सरकार, ८, १० साल से वहां बसे हुए आदमियों को केवल इसलिए निकाल रही है कि वे गैरकानूनी तरीके से बसे हैं। माना कि वे इस तरह से बसे हैं लेकिन क्या वे भूमिहीन नहीं हैं अथवा निकाले जाने के बाद भूमिहीन नहीं हो जायेंगे? अगर वे भूमिहीन हो जायेंगे तो क्या सरकार उनको बाद में ५ एकड़ भूमि दिलाने का इन्तजाम करेगी? आप ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसको आपने अपने मुखारबिन्द से भी नहीं कहा, विधेयक में रखने की बात तो दूर रही। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्राब्लम को हल करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने एक जी० ओ० निकाला कि नैनीताल आदि में रहने वाले भूमिहीनों को जमीनें दी जायं, लेकिन आज तक वह कार्यरूप में परिणत नहीं हो सका। खामपुर वहां एक जगह है वहां नानक सागर से आये हुए लोगों को बसाने का प्रबन्ध किया गया। उस में जिन किसानों की जमीन आ गयी है, उनको जमीन देने की बात थी। श्रीमन्, मैंने मन्त्री जी से कहा कि वे टेलीफोन पर बात कर के कह दें कि जब तक नानक सागर के किसानों को जमीन न मिल जाय तब तक किसी और को जमीन न दी जाय। लेकिन श्रीमन्, कुछ हुआ नहीं। पालिसी तो सरकार की ब्रूट मेजारिटी होने से तय हो जाती है लेकिन अधिकारी इतने कुशल हैं कि वे उनका अपने स्वार्थ में ही प्रयोग करते हैं।

दूसरी तरफ इस में पूरी लैन्ड छीनने की बात है। इस विधेयक का पहला खंड मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

"In this case the petitioner, Sri Veer Pratap Singh who swore in his affidavit that he was allotted 93 acres of Kham land by the Kham Department of Tarai and Bhabhar in Naini Tal District and that he was using the land for agricultural purposes for five years or more, was ordered to vacate immediately 41 acres at the instance of the Superintendent of the Colonization Department and a notice under the Act was issued to him on August 25, 1958 by the Additional District Magistrate. It was said that he would be evicted from the remaining land on which crops were standing as soon as the crops were harvested. The writ petition was allowed and the impugned order dated August 25 was quashed and a writ was issued directing the opposite parties not to proceed to deal with the land in question under the said Act and order was issued to them to restore the land already taken possession of to the petitioner."

तो कुल ९६ एकड़ में से ४१ एकड़ जमीन को वापस लेने का आदेश खाम सुपरिन्टेन्डेन्ट की तरफ से हुआ और न्याय शाखा ने कहा कि यह गलत है और इसलिये इस ऐक्ट को परिधि से बाहर बताया। यहां पर जो विधेयक लाया जा रहा है इसमें तो पूरी की पूरी जमीन उनसे ली जायगी। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी न्याय शाखा इसी तरह से न्याय करती रही तो इस ऐक्ट के लिये भी यह कहा जायगा कि वह उसकी परिधि से बाहर है और मैं समझता हूं कि अगर इसके बारे में कोई चैलेंज करे तो न्याय शाखा यही कहेगी कि यह विधेयक की शक्ति से परे है।

(इस समय १ बजकर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती ने सभापतित्व ग्रहण किया।)

[श्री प्रताप सिंह]

मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि यह क्या हो रहा है कि हम रोज ऐक्ट बनायें और हमारी न्याय शाखा हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह कह दे कि परिधि के बाहर है ? यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम गम्भीरता से सोचें और सही तरीके से हम कोई विधेयक पास करें, लेकिन सरकार इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं देना चाहती है ।

अन्त में एक चीज कहना है कि आज जिला मजिस्ट्रेट या अधिकारी भी ठीक वही काम कर रहे हैं जिस प्रकार यहां पर मंत्री जी करते हैं। माननीया, जब कभी कोई मिनिस्टर बदलते हैं तो उससे पहले जो मिनिस्टर होते हैं उनकी पालिसी भी बदल जाती है। जिला नैनीताल में जहां नानक सागर बन रहा है पहले सिंचाई मंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर ने परामर्श करने के बाद कहा था कि लैन्ड फार लैन्ड दी जायगी, लेकिन मुझे परेशानी है कि मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी से लेकर माननीय मंत्री जी तक पहुंचा। १८ अगस्त का आर्डर था कि किसान को बिना जमीन दिये वहां से हटा दो। माल मंत्री जी से जब मैं किसी सिक्ख सरदार के साथ मिलता हूं तो वह उसे क्रिमिनल ट्राइब का समझते हैं, उस समय बात नहीं करते हैं, बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो नये आदमी हैं, आप चीफ मिनिस्टर के पास जाइये। मुख्य मंत्री ने सुना और सुनने के बाद माल मंत्री और मुख्य मंत्री ने उसको रोका, लेकिन हैरानी है कि नौकरशाही किस हद तक बढ़ गयी है कि माल मंत्री और मुख्य मंत्री रोकते हैं लेकिन जिलाधीश नैनीताल और लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर उस किसान को हटा देते हैं। उनका नाम सरदार अर्जुन सिंह है, जब उन्होंने जबरदस्ती हटाये जाने की बात सुनी तो उन्होंने स्वयं कहा कि जो आप को लेना है वह ले लो। तो मैं माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके और मुख्य मंत्री जी के आदेशों का पालन जिले के अधिकारी किस प्रकार करते हैं, उसका यह नमूना है। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह मैं जानना चाहता हूं। मंत्री जी कहेंगे कि हमने उनसे पूछा है, हर प्रकार का जवाब ले रहे हैं, लेकिन अगर प्रजातंत्र में आस्था कायम रखनी है तो हमारे मंत्रियों की ओर से जो आदेश दिये जायं उनका डिस्ट्रिक्ट लेविल पर पालन होना चाहिये। चाहे माननीय राम मूर्ति हों या चरण सिंह जी हों, जो उन्होंने वादे किये थे वह व्यक्तिगत तरीके से नहीं किये थे।

शारदा सागर डैम में जो जमीन ली गई थी उसके लिये कहा गया था कि उसके बदले में उनको जमीन दी जायगी। वह जमीन उन लोगों ने खरीदी थी, उसमें अपना पैसा लगाया था लेकिन उससे वह हटाये जा रहे हैं। कहा जाता है कि उनको देने के लिये जमीन नहीं है। मैं कहता हूं कि जमीन है और उसके आंकड़े पेश कर सकता हूं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मंत्री जी समझते हैं कि सरदार सब खराब होते हैं। चौधरी गिरधारी लाल जी सिंचाई मन्त्री हैं वह उस पर गौर कर रहे हैं लेकिन आज मुश्किल यह है कि एक मंत्री अगर कोई पालिसी रखता है तो दूसरे मंत्री को भी उसे मानना चाहिये लेकिन दूसरा मंत्री आता है तो वह दूसरी पालिसी रखता है। एक मंत्री ने कहा कि शारदा सागर डैम में जमीन के बदले जमीन दी जाय लेकिन दूसरा मंत्री आता है और कहता है कि नहीं, इस पर कैबिनेट में डिसीजन होगा।

इसी प्रकार से श्रीमन्, मझौला मिल के लिये कैबिनेट ने डिसीजन कर दिया कि वह नहीं लगेगा। इस सिलसिले में पीलीभीत के कुछ पूंजीपति मिले थे उन्होंने सारी बातें सामने रखीं। तो यहां पर एक उपमंत्री ऐसे भी हैं जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस पर विचार किया और उनकी रिपोर्ट को पढ़ा और उसको माननीय मुख्य मंत्री के पास भेजा। वह सही निकला और कैबिनेट का दूसरा डिसीजन हुआ कि मझौला मिल लगेगा। तो अगर वह मंत्री भी कह देते यह यह विभाग मेरे पास नहीं है तो क्या होता ? लेकिन उस मंत्री ने हिम्मत की कैबिनेट के डिसीजन के खिलाफ और कहा कि रोक दो और उस पर कैबिनेट का दूसरा डिसीजन हुआ। मैं ऐसे मंत्रियों की कद्र करता हूं। लेकिन अगर एक फैसला चरण सिंह जी या राममूर्ति जी ने दिया तो दूसरा मंत्री आकर उसको बदल देता है। इसमें रेवेन्यू या सिंचाई विभाग क्या करे, उनको परेशानी हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई भिश्ती का राज्य नहीं है। भिश्ती को भी अगर एक रोज शासन मिलता तो एक नया सिक्का चला

देता। यह भी अगर चाहें तो ग्रेटेस्ट गुड आफ दि ग्रेटेस्ट नम्बर कर सकते हैं मगर फुर्सत कहां है, मंत्री जी इस समय भी चीफ व्हिप से बात कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह विसेन—मैं कान से सुनता हूं, आंख से नहीं सुनता।

श्री प्रताप सिंह—तो हमको गम्भीरतापूर्वक सोचना है। संविधान की धारा ३१ जो राइट आफ प्रापर्टी के सम्बन्ध में है उसमें लिखा हुआ है :

"No person shall be deprived of his property save by authority of law."

इसमें न जाने कितने बार संशोधन हो चुके हैं। मैं अमरीका का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर संविधान में १७७९ से आजतक केवल २२ अमेंडमेंट हुये हैं। वहां पर अगर किसी से पूछा जाय कि क्या वह संविधान में संशोधन चाहता है तो वह कहेगा कि नहीं। वह समझते हैं कि संविधान ऐसी चीज नहीं है जिसमें रोज बदलाव होते रहें। लेकिन हम अपने यहां देखते हैं कि अक्सर न्याय विभाग कहता है कि संविधान की फलानी धारा फलानी धारा के प्रतिकूल है लिहाजा सरकार उसको बदल देती है। जिस समय जमींदारी उन्मूलन हो रहा था, पं० जवाहर लाल जी ने लखनऊ में कहा था कि अगर हम देखेंगे कि संविधान में कोई चीज हमारे खिलाफ है तो उसको बदल देंगे। मैं पूछता हूं कि उसे किसने बनाया है, किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हिन्दुस्तान की सरकारें बदलें लेकिन हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान का विधान नहीं बदलना चाहिये लेकिन आप अपनी ब्रूट मेजारिटी के बल पर चाहे जो कुछ कर सकते हैं। अमरीका में सिर्फ बाइस मर्तबे विधान में परिवर्तन हुये, वहां पर जुडीशियरी गार्जियन है। यहां लजिस्लेचर सुप्रीम है। कभी-कभी माननीय सदस्य बिजनौर वाले जूडीशियरी को क्रिटिसाइज करते हैं। वे कहते हैं कि ऐक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अलहदा नहीं होनी चाहिये। उनकी यह हिम्मत इसीलिये है कि यहां लेजिस्लेचर सुप्रीम है। अमेरिका में ऐसा कहने की हिम्मत नहीं हो सकती। क्योंकि वहां तो ड्यू प्रोसेस आफ ला है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि ऐसा काम उनको न करना चाहिये जिससे कोई यह कहे कि लेजिस्लेचर ने अपनी पावर को बढ़ा कर न्याय शाखा को दबाने की कोशिश की। आप ऐसा विधेयक लाइये जिससे अगर कोई रिट भी लाये तो वह नामंजूर हो। लेकिन आप तो हेस्टी लेजिस्लेशन करते हैं। आप इस सदन की मान मर्यादा का ख्याल रखें। आप जरा सोचें कि यह जो संविधान बन रहा है वह हिन्दोस्तान के रहने वालों के लिये बन रहा है, सरकार के हित की सुरक्षा के लिये बना हुआ है। इसलिये माननीय माल मंत्री जी जो विधेयक ला रहे हैं, इसका असर उन लोगों पर नहीं होना चाहिये जो जिमन १० में आते हैं, जिन्होंने उस जमीन को खरीदा है, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से उन जंगलों को आबाद किया है, २४ अप्रैल से पहले जिनके पास जमीन थी। जो समय पर लगान देते आये। हैं। उन लोगों पर इसको लागू करना चाहिये जिन्होंने डंडे के बल पर उस जमीन को लिया है।

अन्त में माननीय मंत्री जी से इस तमाम चीज के लिये मैं एक कमेटी की मांग करता हूं। केवल कानूनी दृष्टि से नहीं, माननीय मंत्री जी इसको मानवीय दृष्टि से देखें। लेकिन अगर इस समस्या को आप मानवीय दृष्टि से नहीं देखते तो आने वाले लोग कहेंगे कि इस लेजिस्लेचर में कैसे लोग बैठे थे। जो लोग हटाये जायेंगे उनकी संख्या क्या होगी और उनके बाद सरकार ने उनकी क्या व्यवस्था करने के बारे में विचार किया है। क्या उनको हटाने के बाद भूमिहीन माना जायगा और ५-५ एकड़ जमीन उनको दी जायगी? क्या जो जमीन ली जायगी उस पर सरकार कोआपरेटिव फार्मिग करायेगी? वह जमीन तुरन्त भूमिहीनों को सौंपी जाय, क्या जरूरत है कि अधिकारी मौज करें! ५-७ जिले हैं नैनीताल, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर शाहजहांपुर जहां पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, लगान नहीं देते हैं। इसलिये उन लोगों को हटाकर कोआपरेटिव फार्मिग वहां की जाय और इस तरह से उस जमीन का सदुपयोग किया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—व्यवस्था का अभी कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य बोलें।

श्री प्रताप सिंह—सरकार नियमों को बना रही है। सरकार एक ऐसी प्रथा डाल रही है कि वह विधेयक तो यहां से पास करा लेती है लेकिन रूल्स स्वयं बनाती है। इस प्रकार से सरकार को पावर नहीं लेना चाहिये। अन्त में मैं माननीय माल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा, उन इंसानों के नाम पर, उनसे अपील करते हुये यह निवेदन करूंगा कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाय।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—माननीया, मैं आपकी आज्ञा से श्री रावत जी का संशोधन प्रस्तुत करता हूं। आपका संशोधन इस प्रकार है :

"उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ को जनमत संग्रह हेतु वितरित कर दिया जाय। जनमत संग्रह १ माह में प्राप्त कर प्रतिवेदन सहित विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया जाय।"

माननीया, यह विधेयक जो हमारे समने आया है वह एक अध्यादेश के उपरान्त आया है और इसके सम्बन्ध में अननुमोदन का प्रस्ताव भी विरोधी पक्ष से रखा गया और उस सम्बन्ध में इस तरफ से बहुत कुछ प्रकाश डाला गया और सरकार को समझाने की कोशिश भी की गयी। लेकिन मुख्य दिक्कत उस समय हमारे सामने यह रही कि यह अध्यादेश जारी करने का कारण क्या आ पड़ा जो कारण कि जजमेंट में निहित था। वह जजमेंट जब इस पक्ष के लोगों द्वारा मांगा गया तो उस समय यह कहा गया कि अध्यादेश में वह कारण सन्निहित है, डाकूमेंट नहीं दिया जा सकता है। वह डाकूमेंट आज तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला। किन्तु जब विधेयक हमारे सामने आया तो चूंकि प्रक्रिया नियमावली के आधार पर उसे प्राप्त करने का हमारा अधिकार है, इसलिये आज हमें वह जजमेंट ठीक उस समय दिया गया जबकि हम इसके पक्ष, विपक्ष और औचित्य पर विवाद कर रहे हैं।

यह विधेयक विशेष तौर पर इस हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही हमारे सामने आया, इसलिये उस जजमेंट को पढ़ना और समझना हमारे लिये आवश्यक था। इस दिक्कत को मैंने पहले भी कई बार सदन के सामने रख कि जब कभी सरकार हाईकोर्ट द्वारा उसके किसी ऐक्ट को अल्ट्रा वायरस करार देने पर उसमें सुधार करने के लिये संशोधन विधेयक लाती है तो उस जजमेंट को बहुत पहले हाउस के सामने रखा देना चाहिये जिससे हर सदस्य जान ले कि सरकार ने पहले जो गलती की थी उसमें सुधार किस रूप में करने जा रही है। उस जजमेंट को पढ़ लेने की हमें सहूलियत होनी चाहिये ताकि जो सुधार सरकार करने जा रही है उसकी जानकारी हम कर सकें। सौभाग्य से मुझे आज वह जजमेंट चन्द मिनट पहले ही मिला है जो मेरे हाथ में है लेकिन अन्य सदस्य उसको अभी तक नहीं देख सके हैं क्योंकि उसकी कापी एक ही है। आपकी आज्ञा से मैं उस जजमेंट का उतना हिस्सा पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जो विशेष तौर पर इंगित करता है कि सरकार की किस प्रकार की गलतियां हैं जिससे यह विधेयक लाया गया है। आखिरी पैराग्राफ में आपके सामने पढ़ देता हूं :

"Therefore even though we are of the view that a quasi-judicial procedure is provided under the impugned section of the Land Eviction Act we must hold the Act to be unconstitutional because it provides no reasonable basis for classification under Article 14 of the Constitution."

इसके आगे फिर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें विशेष तौर पर संविधान के आर्टिकिल १४ का जिक्र है।

"It seems to us that by providing a special procedure for ejectment from Government land by this Act and by providing the same procedure for

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ejectment from Government premises by another Act the Legislature is creating something in the nature of a *droit administratif* so that disputes relating to occupation of Government property in contradistinction to disputes arising in respect of title thereto should be decided by special authorities and by a special procedure though fortunately the decision is still amenable to the jurisdiction of this Court. The ground for differentiation in this case is merely speedy ejectment from Government land. The classification cannot be held valid under Article 14 of the Constitution."

अब आप देखें कि इसमें विशेष तौर पर इस पर जोर दिया गया है कि संविधान के आर्टिकिल १४ से हमें यह अधिकार प्राप्त है कि किसी प्रकार के कानून के मामले में समानता का व्यवहार किया जाय, दूसरे प्रकार का व्यवहार न हो। मैं आपके सामने आर्टिकिल १४ के मूल अधिकार को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं।

"१४—भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।' यानी विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण में किसी तरह का डिफरेंशिएट नहीं किया जायगा। और जज कहते हैं कि इन दो कानूनों को लाकर सरकार ने विभिन्नता पैदा की है। वह कहते हैं कि एक तरफ तो सरकार ऐसा कानून बनाती है कि सरकारी भूमि से बेदखली करने का कानून एक प्रकार का हो और सरकारी इमारतों पर से बेदखली का कानून दूसरे प्रकार का हो और इस सम्बन्ध में वह लैण्ड इविक्शन ऐक्ट पास कर चुके हैं, उनका कहना है कि ऐसे दो अलग कानून बनाना अनुचित है। अब संविधान की मन्शा के अनुसार पहले कानून को सुधार कर जो नया कानून पेश किया गया है जिसका पहला नाम "उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम, १९५३" था इसके रद्द होने के बाद अब यह कानून हमारे सामने आया है। पहले का सन् १९५३ का जो कानून था और जो कानूनी रूप में निरर्थक साबित हुआ और उसमें जो विरोधाभास था उसको सुधार कर यह नया कानून लाया गया है। अब हमें देखना है कि इन दोनों कानूनों में कितना परिवर्तन किया गया है। मैं इन दोनों कानूनों की कुछ मुख्य-मुख्य धाराओं को आप के सम्मुख रखूंगा और बताऊंगा कि एक दो शब्दों के हेरफेर से प्रयत्न किया गया है कि हम इस कानून को मान्यता प्रदान करें। जजों की निगाह में जैसे पहले यह एक निष्फल प्रयास था और जिस आधार पर पहले यह कानून रद्द किया गया था वह आधार यह था कि सरकारी भूमि और गैर सरकारी भूमि की प्रेमिसेज का भेद न हो और यही कारण अल्ट्रा वायरस करने का कारण पैदा करना है। गवर्नमेन्ट लैन्ड की जगह अब पब्लिक लैण्ड लाया गया है और इस के अलावा कोई खास नया परिवर्तन इस नये कानून में नहीं है। क्या 'पब्लिक लैन्ड' करने से ही संविधान की धाराओं की मन्शा के अनुकूल यह बिल हो जायगा? सन् १९५३ के कानून में जो दो मुख्य बातें थी उस में विशेषतौर से जिन लोगों का अनधिकृत अध्यासन है उनको इस जमीन से हटाने के लिये उसमें शक्ति ली गई थी और दूसरी शक्ति यह थी कि यदि कहीं पट्टे की शर्तों के विरुद्ध कार्य हुआ ो उन्हें भी बेदखल किया जाय और तीसरी बात यह थी कि जिनके पास लगान बकाया है उन को किस तरह से बेदखल किया जाय। विशेष रूप से इस कानून को लाने की मन्शा यही है कि जो लोग अनधिकृत कब्जे किये हैं उन्हें सरकारी कानून के मातहत निकाला जाय क्योंकि पहले के प्रिएम्बिल में लिखा है कि :

"The existing procedure for the ejectment of and realization of dues from persons who occupy Government land without authority or continue to occupy it after their right of occupation has ceased involves delays to the detriment of public interest. Their continued occupation of such land interferes with its planned use. The object of this Bill is to provide summary procedure for eviction of such persons and also for recovery of dues from them."

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

पहले लक्ष्य यह था कि लोगों को उनके निकालने के लिये एक समरी ट्रायल जैसी चीज की जाय और बकाया वगैरा उनसे वसूल की जाय लेकिन अब जो विधेयक आया है उस का जो प्रिएम्बिल है उसमें बड़ा सुन्दर लक्ष्य और उद्देश्य रखा गया है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उस में कहा गया है कि "अपेक्षाकृत अधिक खाद्य उत्पादन तथा भूमि का और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने, सहकारी खेती करने तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक भूमि से अनधिकार प्रवेशकों को बेदखल करने के हेतु शीघ्रतर प्रणाली की तुरन्त व्यवस्था करना आवश्यक है"। तो पहले जो लक्ष्य था वह बिलकुल भिन्न था और आज जो है वह बिलकुल भिन्न है। पहले केवल यह लक्ष्य था कि उन अनधिकृत लोगों को भूमि से निकालने में जल्दी की जाय, उनकी समरी ट्रायल की जाय और बकाया ले लिया जाय। अब लक्ष्य बहुत बढ़ गया है और उसके साथ ही साथ जितनी शुभाकांक्षायें सरकार की हो सकती हैं उन सबको जोड़कर यह लाया गया है और इसमें बड़े-बड़े शब्द जिन्हें बिग वर्ड्स कहते हैं वह रखे गये हैं। साथ ही साथ इसमें सहकारी खेती की भी बात है और भूमिहीनों को भूमि बांटने की भी बात है। अभी कल ही एक विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया है उसमें भी यही लक्ष्य रखे गये हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का दृष्टिकोण बदला है और क्या सचमुच ऐसे लोगों के लिये बदला है जिनके बारे में उद्देश्य में लिखा गया है? अभी पिछले बिल में बड़ी-बड़ी शंकायें प्रकट की गई कि सरकार भूमिहीनों को भूमि तो दे नहीं पायगी केवल कहती ही है और इसके लिये आंकड़े भी पेश किये गये कि भूमि तो है ही नहीं, देगी कहां से। उसमें ऐसी बहुत सी शर्तें हैं जिनके बाद भूमि बचने पर देने की बात है। लेकिन हमारे राजस्व मंत्री जी ने अन्त में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास भूमि है और हम देंगे। उसका लेखा भी उन्होंने बताया कि २९ लाख और कुछ हजार एकड़ है। यह जानकर खुशी होती है कि उनके पास जमीन है। लेकिन जब वह सचमुच ही मिलेगी तब हमें खुशी होगी। हम उसकी स्थिति जानते हैं। २४ लाख एकड़ जमीन ग्राम-समाज के पास उन्होंने बताई। मैं पूरे अनुभव के साथ जानता हूं कि ग्राम-समाज ने जब कभी भूमि दी है वह भूमिहीन को नहीं दी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—५३ हजार भूमिहीनों को दी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आपने ग्राम-समाज की २४ लाख एकड़ बताई थी। उसके बारे में मैं कहता हूं कि आपको लखनऊ में बैठे-बैठे पता नहीं लगता, लेकिन मैं ग्राम-समाज का सदस्य हूं। मुझे अनुभव है कि भूमि किस प्रकार से दी जाती है। यह कानून आपके किताबों में ही हैं, गरीबों के सहायक नहीं हैं। २४ एकड़ जो ग्राम-समाज के पास आप बतलाते हैं और कहते हैं कि भूमिहीनों को दी जायगी, यह बिलकुल झूठ है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अधिष्ठात्री महोदया, लफ्ज "झूठ" जो माननीय सदस्य ने इस्तमाल किया है उसे वापस करें।

श्री अधिष्ठाता—"झूठ" शब्द संसदीय नहीं है। माननीय सदस्य इसे वापस लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अच्छा वापस लेता हूं। मैं कहता हूं कि वह सत्य नहीं है। तो मैं कह रहा था कि ग्राम-समाज से भूमिहीनों को जमीन मिल नहीं रही है। वह जांच करें। केवल कागजों के ऊपर संतोष न करें। मेरा आरोप है और उनके ऊपर चार्ज है, इसको वह देखें।

जमींदारी एबालीशन कानून को पास हुये आज आठ साल हो गये। उसमें विशेष तौर से हमें एक बड़ा भारी प्रलोभन था। एक आकर्षण था कि जमींदारी के हट जाने पर कृषकों को राहत मिलेगी। बेगार वगैरह तो जरूर बन्द हो गई लेकिन किसान को जिन्दा रहने के लिये भूमि मिली या नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि ८ साल व्यतीत होने के बाद भी उसको जमीन नहीं मिली, भूमिहीन को नहीं मिली, अलाभकर जोतें वैसी ही बनी हैं। भूमिहीनों को भूमि

मिलना, अलाभकर जोतों को सहायता मिलना यह कुछ सरकार नहीं कर सकी। तो वह बातें अगर इस कानून में दोहरायी न जातीं तो अच्छा था और मैं इतना न कहता। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यह बातें नहीं हैं जैसा वह सोचती है। इस कानून के प्रीएम्बिल में बार-बार लिख दिया करेगी कि हम भूमिहीनों को सहायता देने जा रही है, वितरण करने जा रही है। आज इस बिल पर लिखा, लेकिन वह होता नहीं और कर भी नहीं सकेंगे। क्योंकि उनकी व्यवस्था नहीं है, मशीनरी नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। इस विधेयक के प्रीएम्बिल को देखकर इसके अन्दर की धाराओं को देखा जाय कि जो कुछ प्रीएम्बिल में है वह केवल ऊपरी लक्ष्य है और किसी भी धारा में यह नहीं दिखाई देता कि वह इच्छा पूरी हो सकेगी। कोई वास्तविक अधिकार भूमिहीनों को नहीं मिलने वाला है। दफा (३) में बताया गया है अनधिकृत लोगों को बेदखल करने के लिये क्या करेंगे, उसमें लिखा हुआ है:

> "३--(१) यदि सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति के अनधिकृत अध्यासन में हो और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि वह भूमि इस अधिनियम के एक या अधिक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है. . . . . ."

वह सार्वजनिक प्रयोजन क्या हैं, इनको मैंने सारे कानून में देखा कहीं नहीं मिले। प्राधिकारी को अधिकार है कि सार्वजनिक प्रयोजन को कह करके किसी भी भूमि को ले ले, लेकिन कोई चीज साफ न हो, बता नहीं सकते कि सार्वजनिक प्रयोजन की यह चीज होगी, तो यह बड़ा खतरनाक है। परिभाषा में सार्वजनिक भूमि की परिभाषा है, प्राधिकारी की परिभाषा है, लेकिन कहीं भी सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा नहीं है। आप जब किसी को सार्वजनिक प्रयोजन के अन्तर्गत बेदखल करते हैं तो उसका कारण तो साफ हो। बतावें तो सार्वजनिक प्रयोजन में किस कार्य के लिये जमीन ली जा रही है? यह कुछ नहीं बताया गया है। इस कानून और पहले के कानून की मंशा में केवल एक ही अन्तर है। पहले कानून में सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को बेदखल करने की कोशिश की गई। वह बेकार रही। मुझे उन स्थानों में जाने का अवसर नहीं मिला जिनके लिये यह बिल विशेषतौर पर लाया गया है लेकिन जो माननीय प्रताप सिंह जी ने कहा, जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने अनधिकृत अध्यासन किया था, उनकी कहानी सुनता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। वह अनधिकृत अध्यासन ८ साल तक ही रहा तो यह सरकार की नीयत का दोष है। एक दफा उनकी गलती हो जाने के बाद उसका परिणाम अब देख रहे हैं, अब कानून का सहारा पकड़ते हैं और हाई कोर्ट भी उनको दगा दे जाती है, फिर इस हाउस में आते हैं और हमारा सहयोग चाहते हैं लेकिन जब हम राय देते हैं तो उसे आप मानते नहीं। आप अपने लक्ष्य में, विश्वास में और नीयत में साफ नहीं होते और न हमारी राय को ही सुनते हैं। इसमें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये बेदखली की भी बात कही गयी है। ये जो बेदखल किये जाने वाले हैं उनके क्या अपराध हैं यह नहीं बतलाया गया और किस प्रकार से वे काबिज हुए न यही बतलाया गया। जो अनधिकार कब्जा किये हों उनको बेकाबिज करने के लिये सरकार के पास अनन्य कानून हैं हैं लेकिन ८ साल तक उनको कोई हथियार नहीं मिला और कहा जाता है कि यह बड़ी शान्ति की व्यवस्था है, लाखों आदमियों की व्यवस्था का सवाल है। लेकिन जिनको आप बेदखल करना चाहते हैं उनके सम्बन्ध में आपको पहले सदन में यह समझाना होगा कि वह अनधिकृत कब्जा किस प्रकार से हो पाया, उसका क्या आधार था और अगर बेदखल करना चाहते हैं उनको तो किस आधार पर। अगर इसके पीछे केवल एक ही बात हो कि एक से छीन कर दूसरे को देना है तो दूसरी बात है।

अभी इस कानून में जो तरीके अख्तियार किये गये हैं बेदखल करने के वे उसी प्रकार के हैं जो हमारे उच्चतम सीमा आरोपण विधेयक के अन्तर्गत आये हैं। यह विधेयक उसकी एक पेशबन्दी है और दोनों ही सगे भाई या सतौले भाई हैं। किसी को बेदखल करने की, आब्जेक्शन सुनने की तथा अपील करने की प्रक्रिया दोनों में एक सी ही है। सरकार प्रक्रिया बना कर किसी को बेदखल करना चाहे, उसके लिये समरी अधिकार ले ले या जुडिशियल

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अधिकार ले ले यह तो सरकार की नीति की बात है लेकिन किसी को बेदखल करने के लिये विशेषाधिकार लें तो सरकार विशेष तौर से यह बतलावे कि ये बेदखल किये जाने वाले ऐसे हैं जिनकी बेदखली इस विशेष तरीके से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। मैं उन भाइयों के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता, कहा जाता है कि क्रिमिनल ट्राइब्स के थे। यह चीज तो सरकार की ही जानकारी में होगी, लेकिन जहां तक मैं जान पाया मुझे ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी। माननीय मंत्री जी के मुंह से ही सुना है कि साहब, बड़े-बड़े बल्लम, कांते और करौलियां ले कर कब्जा कर लिया। यह सरकार के निकम्मेपन का सबूत है कि उसके प्रबन्ध में ऐसे लोग हैं जो बल्लम, कांते और धमकी के बल पर किसी की चीज ले लेते हैं। यह मान भी लें कि ये जमीनें उन लोगों से ली जाने वाली हैं जो अशान्ति मचाने वाले तबके के हैं तो फिर यह जान लेना आवश्यक है कि भूमि जो इन लोगों से छीन कर दूसरे लोगों को दी जायगी तो उन सभी लोगों को जिनसे जमीन छिनेगी उनके लिये क्या किया जायगा, उनको कोई दूसरा उद्योग दिया जायगा ? इन जोतों में कुछ ऐसे भी खेती करने वाले कृषक होंगे जो बहुत छोटे होंगे और जिनके पास १० बीघा या इससे कम की जोत होगी तो उनको अनधिकृत रूप में अध्यासित मान कर इजेक्ट कर दिया जायगा और उनसे कह दिया जायगा कि तुम घट-घट मारे-मारे अपनी रोजी का इन्तजाम करो। हां, यदि ऐसा कहा जाय कि कुछ लोग जिनके पास हजारों या सैकड़ों बीघे अनधिकृत भूमि है उनको हम बेकाबिज करेंगे तो भी हम जानना चाहेंगे कि उनके लिये क्या हिस्सा छूटेगा और क्या वह उनके निर्वाह के लिये काफी होगा ? यदि ऐसे प्रश्न उत्तर में नहीं आते तो मुझे संदेह है कि यह कुछ लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है और उनके साथ अन्याय भी होगा।

अब मैं इस पर आता हूं कि सरकार छीनी हुई भूमि का जो वितरण करेगी उसका क्या आधार है और क्या वह उचित है। इसमें कहा गया है कि उसको सहकारी खेती के आधार पर भूमिहीनों को देंगे। यदि यह अक्षरशः सही हो जाय तो उसमें किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन इस कानून को पढ़ने के बाद मुझे इसमें वितरण करने का तरीका कहीं नहीं मिला। वह सारा अधिकार प्राधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। ये प्राधिकारी किस प्रकार न्याय करते हैं इसका पूरा-पूरा अनुभव हमें है और मैं कह सकता हूं कि यह भूमि भूमिहीनों को नहीं मिलेगी बल्कि यह अनर्गल रूप में अपने ही उन लोगों को बांटी जायगी जो राजनीतिक उद्देश्य से उनके हों, जो आर्थिक उद्देश्य से उनके हों या जो उनके ही रिश्तेदार आदि हों। अगर ऐसा होना है तो हम कह सकेंगे कि यह कानून फिर उसी प्रकार का आ रहा है कि जो ईश्वर की इच्छा हो तो हाई कोर्ट में फिर अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाय क्योंकि इसकी नीयत अच्छी नहीं है।

इस कानून के अन्तर्गत जो बहुत सी बारीकी की बातें हैं उनको मैं अभी आपके सामने नहीं रखना चाहता। मैं मानता हूं कि सरकार की नीति इसे प्रवर समिति में भेजने की है और उसके बाद पास कराना चाहती है। तो इस सरकार के पास करने में और हमारे कहने में केवल एक-डेढ़ महीने का अन्तर पड़ता है लेकिन इस बीच में विशेषतौर से जनता का जनमत संग्रह हो जाता है। सरकार ने यह नहीं बताया कि १० हजार एकड़ भूमि जो प्राप्त होगी उसमें से कितनी-कितनी किस-किस जिले में है, उसमें कितने खातेदार हैं और प्रत्येक के पास कितनी-कितनी जमीन है जिससे हम जान सकें कि ये खातेदार बड़े ही बड़े हैं और ये किन जिलों में विशेषतौर से हैं।

जो कानून आज पेश है उसकी दो, एक चीजें आपके सामने रख कर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब परिभाषा में नहीं कहा गया कि सार्वजनिक प्रयोजन क्या है और न यह कहा गया कि जब नोटिस दिया जायगा उसमें ही उसका उल्लेख होगा तो हमें जरा संदेह पैदा होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये यह कार्य न हो। दफा ३ में जो नोटिस जारी किया जाने वाला है उसमें वह कारण निर्दिष्ट करेगा जिनके आधार पर बेदखली किये जाने का प्रस्ताव है, प्रयोजन नहीं बताये जायंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अमेंडमेंट अभी नहीं मूव किया आपने ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---ठीक है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि जनमत संग्रह इसलिये आवश्यक है कि इस कानून में बड़ी-बड़ी खराबियां हैं जो इसको निरर्थक बना देती है । इस कानून को देखिये कि आपने कैसा बनाया है । हाई कोर्ट ने आपकी गलती को बताया जिसकी बिना पर आप यह कानून लाये । वह फिर आपकी गलती को बतायेगा और अन्ततोगत्वा वह हमारे सिर पर भी आयेगी इसलिये उन गलतियों को बता देना हमारा कर्त्तव्य है । सरकार ने जो बातें इसमें रखी हैं उनमें इतनी अस्पष्टता है कि उसके कारण ही यह कानून फिर अल्ट्रा वायरस हो सकता है ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार के प्राधिकारियों को अधिकार दे दिये गये हैं और वह कहीं-कहीं पर इतने अधिक हैं कि वह चाहें तो अपने ही इनीशियेटिव से किसी मामले को रद्द कर दें, खारिज कर दें । दफा ११ में कहा गया है कि "अन्य किसी विधि में या किसी ऐसी अन्य विधि के आधार पर सप्रभाव किसी करण (instrument) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उप-बंध प्रभावी होंगे ।" इसके खंड ७ (१) में कहा है कि, "यदि कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि विवादग्रस्त भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि यह आपत्ति प्रथम द्रष्टया निराधार या तुच्छ नहीं है तो वह उक्त प्रश्न को, इस मामले के तथ्यों तथा विवादग्रस्त विषय का उल्लेख करते हुये, क्षेत्राधिकार युक्त व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को अभिदिष्ट करेगा ।" यानी इसके पहले वह देखेगा कि यह विषय तुच्छ है या निराधार है तो इतना कह कर वह कैंसिल कर देगा । एक प्रकार से प्राधिकारी को आर्बीट्रेरी पावर्स दे दी गई है और किसी को वह रद्द कर दे तो उसकी अपील की व्यवस्था भी नहीं है । जिन मामलों में भूमि से छुड़ाने के अधिकार दे दिये गये हैं तो यह भी अधिकार दे दें कि जिन मामलों में उनकी समझ में आये कि मुकद्दमेबाजी से लाभ नहीं होगा बल्कि समझौते से या कम्पांउन्ड से लाभ होगा तो यह अधिकार देने में क्या हानि है ? आप देखें कि जिला परिषद् तथा महापालिका के कानून हैं तो जहां टैक्स लगाने के अधिकार वहां के अधिकारियों को दिये गये हैं तो उनको यह भी अधिकार है कि जिन दावों में चाहें वह समझौता भी कर सकते हैं और इसका परिणाम भी अच्छा होता है और लोग परेशानी से बच जाते हैं । लेकिन इसमें कोई अधिकार प्राधिकारी को नहीं है कि वह किसी केस में चाहें तो समझौता या कम्पाउन्ड कर सके और हर मामले को कोर्ट में भेजकर उसको लम्बा लिटिगेशन करना पड़ेगा ।

इसके अलावा इसमें एतराज मांगे गये हैं क्यों न उसको बेदखल किया जाय । पब्लिक लैण्ड पर ऐतराज कर सकते हैं या नहीं । इसमें बहुत से मुकद्दमे होंगे और सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज तक जाना होगा । इस प्रकार से दोनों अदालतों में अपील करने में काफी समय लग जायगा । लेकिन इसमें सरलता लाने के लिये यह अधिकार कहीं नहीं रखा है कि अधिकारी किसी मामले में चाहे तो समझौता कर सके या कम्पाउन्ड कर सके । यद्यपि अन्य अधिनियमों में सरकार ने रखा है तो जहां केवल मात्र असंतोष फैलाना है किसी अधिकृत को अनधिकृत करना है और किसी अन्य को जमीन देना है तो बहुत से लोगों के दिलों में हार्ट बर्निंग होगी क्योंकि जिसकी भूमि हर ली उसका सब कुछ हर लिया । यह एक ऐसा विषय है जिससे इस एरिया में शान्ति तथा सम्पन्नता पैदा नहीं होगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की मंशा इस हल्के में अशान्ति फैलने देने और व्यवस्था न करने की है । जिसकी जमीन हर ली तो उसका सर्वस्व हर लिया तो उसको लेने के बाद उसके निर्वाह करने को कुछ स्थान तो दें । और यदि उसके मुकाबले में किसी दूसरे को दें तो पीड़ित को समझाने के लिए रास्ता बताएं । बहुत सी बातों को मैंने आपके सामने रखा और मैंने चाहा कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि हाईकोर्ट से कानूनों के अल्ट्रावायरेस हो जाने से बचाने के लिए यह समझदारी से कानूनों को पेश करे और जनता की राय मांग कर ही निश्चय पर पहुंचे । जिन लोगों के सम्बन्ध में यह विधेयक है, जैसा कि

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हमारे भाई प्रतापसिंह जी ने बताया, पहले कुछ लीज, ग्रांट्स और एलाटमेंट हुए हैं। क्या ये सभी रख लिये जायंगे और उनकी शर्तें क्या थीं? यह कानून तो पहले भी था कि अनधिकृत को हटाया जा सके। वह होते हुए भी नहीं किया जा सका। तो आज कौन सी शर्तें होंगी जिससे वे अनधिकृत न हो सकेंगे? इन सब बातों को जानना जरूरी है। यह भूमिधरी विनाश नियमों के अन्तर्गत नहीं हो सकता बल्कि दूसरे नियमों के अन्तर्गत होता है। उनमें किस प्रकार की शर्तें रखी जाती हैं, क्योंकि लोग उनका जल्दी से उल्लंघन कर लेते हैं जिससे यह विषम परिस्थिति पैदा हो गयी और यह कानून लाना पड़ा। आज वह कौन सी शर्तें होंगी जिनका वह उल्लंघन नहीं कर सकेंगे, इन सब बातों को जानने का हमारा अधिकार है। लेकिन माननीय मंत्री जी सदन की बात की चिन्ता नहीं करते। इस समय भी वह किसी सदस्या से बातचीत करने में लगे हैं और कहा भी गया है कि जिस समय रोम जल रहा था तो नीरो राग रंग में लगा हुआ था। इस कानून के पेश करने से पहले कोई चीज नहीं बताते, डाकूमेंट्स जो सम्बन्धित हैं वह नहीं रखते और अन्त में दो चार बातें कह कर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि संख्यासुर के बल पर पास हो ही जायगा। अगर आप उधर दृष्टि डालें तो न मंत्री, न उपमंत्री कोई भी इस बात को नहीं सुन रहे हैं। यह हाउस का अनादर है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जरा-सा सदन के सदस्यों को सुनने की ओर ध्यान दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं सुनता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आप के कहने पर उन्होंने कुछ कृपा की। मैं कह रहा था कि जो यह विधेयक है, मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि और भी सदस्य कहेंगे। फिर उस सरकार से अगर कहा जाय जो समझदार हो और सुनने का सब्र रखती हो तो कहना भी उचित है। इसलिए मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि ऐसे विषयों पर जो हमेशा ऐसे समय पेश होते हैं, जिम्मेदार मंत्रियों को अपने लंच से ही फुरसत नहीं होती है और अगर उससे फुरसत हुई तो सुनने की फुरसत नहीं होती है। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि जो मेरा यह प्रस्ताव है कि यह विधेयक जनता की राय जानने के लिए भेजा जाय इसको पास किया जाय।

(इस समय २ बजे उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय नागर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय के सामने आप लोगों के प्रस्ताव रखे गये थे और १ और ६ को उन्होंने स्वीकृत किया है। आपका कौन से नम्बर पर है?

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, १ और २ तो बोल चुके और अगर ६ को स्वीकृत किया है तो फिर ३ पर मैं हूं। तो मुझको भी न बोलने दिया जाय। ६ को आप बुलायें।

श्री उपाध्यक्ष---जिनके प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाते हैं, उनका कोई विशेष हक तो नहीं रह जाता, लेकिन उनका ख्याल किया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---अब आपकी कृपा हो जाय। हक तो नहीं है।

†**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने है जिस पर विचार हो रहा है, बहुत छोटा सा और सीधा-सादा बिल है और अगर अंग्रेजों का जमाना होता तो इस पर ज्यादा विचार करने के जरूरत ही नहीं थी। सीधी सी बात है कि कुछ व्यक्तियों ने सरकारी जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया और उनको

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हटाने के लिये यह बिल आया है। शायद कोई भी समझदार व्यक्ति यह न कहे कि जिन्होंने जबर्दस्ती कब्जा किया है। उनको वहां से हटाया न जाय। लेकिन अगर मौजूदा हालत में यह देखा जाय कि आजकल हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कल्याणकारी राज कहते हैं, इसमें जिनको वहां से हटाया जायगा वे भी यहीं के नागरिक हैं। इसलिये हमें सोचना पड़ता है और हमें यह देखना पड़ता है कि किन हालात में यह गैरकानूनी बात हुई। पहले दो सज्जन बता चुके हैं कि वहां ज्यादातर शरणार्थी लोग आबाद हैं और उनमें भी खास-खास जैसे रीजन्स ऐन्ड आबजेक्ट्स में बताया गया है कि कुछ सिख आकर आबाद हो गये हैं और उनके नाम भी लिखे हुये हैं---राय सिख, जाट सिख, ब्रिख सिख। वह ब्रिख नहीं ब्रिक हैं जो कि जाटों का एक कबीला है जो खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं और इसके बाद कम्बोह लिखा हुआ है। तो इनके आ जाने की वजह से वहां बहुत गड़बड़ी हो रही है और यह भी लिखा हुआ है कि वह पहले क्रिमिनल ट्राइब थे। तो मैं नम्रता से मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि शायद उनको यह गलत सूचना दी गई है कि ये लोग कभी क्रिमिनल ट्राइब रहे हैं। यह जो अर्स्ट ह्वाइल पंजाब है और आजकल का कानून है दोनों के कानून एक ही थे। जो क्रिमिनल ट्राइब इनमें थे वही अर्स्ट ह्वाइल बंजाब में भी कहे जाते थे। इनके दोनों के कानून अलग-अलग नहीं थे। मेरे पास यह एक रिपोर्ट है---क्रिमिनल ट्राइब्स एन्क्वायरी कमेटी एक बैठी थी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की सन् १९५० में जिसने भारतवर्ष भर में घूम घूम कर लोगों की शाहादतें लीं और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट के सामने पेश की। उसमें पंजाब के क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम लिखे हुए हैं---

Aheria, Barrars, Baurias, Beria, Bhangalis, Bhedkuts, Bhura Bhrahmans, Dheas, Dehnwar, Gandhillas, Jats (Gutka and Dhillon) Mahhtams, Tagas. Kanjar, Knchband, Mewati, Nut, Rachband, Sansis.

तो यह १९ कौमें क्रिमिनल ट्राइब्स लिखी हुई हैं और जो जातियां लिखी हुई हैं उनकी तारीफ यह की गई है कि जाटों में दो कौमें हैं। एक गुटका जाट हैं और दूसरे ढिल्लन जाट हैं। जो कुछ उनकी बाबत लिखा है वह भी मैं पढ़ देना चाहता हूं :

"Gutka Jats and Dhillon Jats are notified as a Criminal Tribe in some parts of the Punjab State.

The Gutka, a small sub-section of the Bhatti Jats residing in village Hudiara of Lahore District, are said to be descended from one Gurbakhsh Singh, a Sikh Jat, who earned the nickname of Gutka (meaning a collection of all that is bad) by his thieving propensities."

यह गुटका जाट लोग लाहौर के एक गांव में रहते थे और वहां पर अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे। ये गुरबख्श सिंह के सब खानदान के लोग कहे जाते हैं :

"The small community of Dhillons residing in village Dhillon was notified a Criminal Tribe on account of their habitually stealing cattle and dealing in them. The village had become a centre of 'Bhumga' operations. Of the 50 adult males 17 had been convicted, and there was well founded suspicion against other members of the tribe. Those who are criminals commit thefts and robberies."

१७ व्यक्ति ऐसे हैं इस रिपोर्ट में जिनको क्रिमिनल बतलाया गया है। इसमें कम्बोह कहीं भी नहीं है या और राय सिक्ख कहीं पर नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह हो सकता है कि वह क्रिमिनल न हों।

श्री तेजासिंह---मेरी सूचना यह है कि ये लोग क्रिमिनल नहीं हैं जैसा कि इनको लिखा गया है। मैं भी सिक्ख हूं। शायद पहले कोई क्रिमिनल रहा हो और उनको राय सिक्ख लिखा गया हो। अब जो जाट हैं वे सिक्ख जाट हैं; प्रताप सिंह कैरों भी जाट हैं, सुरजीत सिंह मजीठिया भी जाट हैं। ज्ञानी करतार सिंह भी जाट हैं और लखीमपुर के योगेन्द्रसिंह भी जाट हैं। इसलिये मैं यह अर्ज करता हूं कि यह सूचना कुछ गलत सी मालूम होती है जैसा कि आपके विधेयक में लिखा हुआ है। अच्छा हो अगर इस गलती को ठीक कर दिया जाय नहीं तो जैसा कि प्रतापसिंह कैरों ने कहा था, हमें तो इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है लेकिन मास्टर तारासिंह इससे नाजायज फायदा उठायेंगे। उनको मौका मिलेगा कि इस प्रकार से कहने का कि इस तरह से सिक्खों के लिये हो रहा है। हालांकि वहां पर हिन्दू लोग भी हैं जो कि पंजाब से आये हैं

[श्री तेजासिंह]

और शायद उन लोगों ने भी नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। इन शब्दों को अगर यहां से हटा दिया जाय और इसकी जगह सिर्फ "व्यक्ति" लिख दिया जाय कि कुछ आदमियों ने कब्जा कर लिया है तो इस बिल के फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

दूसरी गलती मुझे यह मालूम होती है कि इस बिल में यह लिखा गया है कि कुछ भूमि कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये खाली कराई जायगी और कुछ भूमि भूमिहीनों को दी जायगी। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि ये ज्यादातर शरणार्थी ही हैं। यह सौभाग्य की बात है कि माननीय हुकुमसिंह जी रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने ही उनको वहां पर बसाया था। फिर भी उनको बसाना है। आज दुर्भाग्य से वह उनको निकालने का बिल पास कर रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज को बसाना चाहते हैं।

श्री तेजासिंह---मैं इसके मुताल्लिक भी अर्ज करता हूं। जब पंजाब में नई आबादी कायम हुई, सरगोधा और मांटगुमरी में नई नहर निकाली गई तो नई आबादी कायम हुई, उनको आबाद करने के लिये जिसको आजकल पूर्वी पंजाब कहते हैं इसकी ज्यादा आबादी होने की वजह से यहां से लोग जाकर वहां आबाद हुये। अमृतसर से कुछ गये, होशियारपुर से गये, लुधियाना से गये, जालन्धर से गये और फीरोजपुर से लोग जाकर उस नई कालोनी में आबाद हुये। तो उन जिलों में दो किस्म की आबादी थी। एक तो वे जो पहले वहीं के रहने वाले थे और एक वे जो इन जिलों से जाकर वहां आबाद हुए थे। जब पार्टीशन हुआ और लोग वहां से आये तो सरकार ने यह तय किया कि कौन-कौन कहां जाकर आबाद हो। उन्होंने तय किया कि जो ईस्ट पंजाब से वहां जा कर आबाद हुए हैं वे तो अपने-अपने नेटिव जिलों में ही चले जायं, सरगोधा के अमृतसर चले जायं, अगर होशियारपुर के लायलपुर चले गये थे तो वे होशियारपुर चले आयें। लेकिन जो उधर के थे उनके लिये उन्होंने अलग-अलग जिले मुकर्रर कर दिये। तो यहां अमृतसर से आने वाले के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह शरणार्थी न हो। वह भी शरणार्थी हैं क्योंकि वह पहले सरगोधा में चला गया था। मेरा यही निवेदन है कि इनमें बहुत से शरणार्थी ऐसे हैं कि जो रजिस्टर्ड हैं, हो सकता है कि कुछ रजिस्टर्ड न भी हों, लेकिन उनके लिये मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में यह कहीं नहीं है कि जो अनरजिस्टर्ड रिफ्यूजी है वह कहीं और जा कर बस नहीं सकता। यहां का रहने वाला पंजाब में जाकर काम काज कर सकता है, वहां जमीन जायदाद खरीद सकता है और वे लोग भी यहां आकर आबाद हो सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---लेकिन जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते।

श्री तेजासिंह---यह मैं मानता हूं और मैंने कहा कि कोई आदमी यह नहीं कहेगा कि जबरदस्ती कब्जा करने वाले को न हटाया जाय। लेकिन यह सोचना चाहिये कि किन हालात में आफेन्स हुआ। यह दूसरे सज्जनों ने भी कहा। जब पार्टिशन हुआ तो वे लोग जो यहां आये, यदि वे वहीं अपना धर्म परिवर्तन कर के वहीं रह जाते तो, शायद आपको यह तकलीफ न होती, लेकिन उन्होंने यह अच्छा समझा कि चाहे हमको मुसीबत हो, चाहे यहां आकर भीख मांगनी पड़े, लेकिन हम अपने धर्म पर कायम रहते हुए यहां आयें और उन मुसीबतों का सामना करें। यह ठीक है कि आपने बड़ी उदारता से उनको यहां आबाद करने की कोशिश की और सेन्टर ने भी हजारों लाखों रुपया खर्च किया, प्रदेशीय सरकार ने भी खर्च किया और उनकी जमीनें एलाट की और उन्होंने खुद भी खरीदीं और बड़े-बड़े फार्म बनाकर वे लोग तराई आदि के इलाकों में बसे। एक तरफ तो ग्रो मोर फूड की बात है और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि हम उनको निकालेंगे। हो सकता है कि उनमें कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो, लेकिन उसको लीगलाइज किया जा सकता है। पंजाब में जिनके पास जमीन है उनको जरूर निकाल दिया जाय, लेकिन जिनके पास कहीं और जमीन नहीं है, दूसरा कोई जरिया जीविका का नहीं है उनको अगर आप निकाल देंगे तो वे क्या करेंगे? अगर आप इस तरह के लोगों को निकाल देंगे तो वे जरूर क्रिमिनल हो जायंगे।

जो अनअथोराइज्ड वाली बात है वह ठीक है। जब हम लोग वहां से आये तो किसी ने कानून के मुताबिक ही काम करके अपनी जीविका का साधन नहीं ढूंढने की कोशिश की। सब अपनी-अपनी दूकान लगा कर कहीं भी बैठ गये। अमीनाबाद के किसी दूकानदार ने इजाजत नहीं ली कि वह अथोराइज्ड दूकानदार है, लेकिन आपने उनको उठा कर नहीं फेंक दिया। उनके लिये भी माननीय ठाकुर साहब दूकानें बनवा रहे हैं और जब उनको आल्टरनेटिव जगह दी गयी तभी उनको वहां से हटाया गया। दिल्ली में भी लोग इसी तरह से आ कर बैठ गये और उनको आल्टरनेटिव एकोमोडेशन दिया गया। तो मेरी प्रार्थना यह है कि आप उनको हटाइये जरूर लेकिन, जैसा प्रतापसिंह जी ने कहा, अगर उनके लिये कोई कमीशन मुकर्रर कर दिया जाय या माननीय मंत्री जी स्वयं ही वहां जा कर उनकी बातें सुन लें, तो उनको और बहुत सी मालूमात हो सकती हैं। हो सकता है कि इस अंधेरगर्दी में ऐसे अधिकार अधिकारियों को दे दिये जायं जो ठीक न हों। जैसा अभी एक रिट मंजूर हुआ, वीर प्रतापसिंह जी का, कि जो जायज ढंग से वहां जा कर बैठे हैं उनको भी हटा दिया जाय, कहीं ऐसा न होने लगे। अब मैं ज्यादा इस पर नहीं कहता कि वह यहां क्यों आये, खासकर नैनीताल में क्यों आये, क्योंकि जब शुरू शुरू में उधर से लोग आ रहे थे तो माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू फीरोजपुर में उनको रिसीव करने गये। उन लोगों के पास उनके भाषण की कापी भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि जमीन थोड़ी है, राय सिक्खों के लिए कहा कि पंजाब में जगह कम है, आप हमारे पास आइये, नैनीताल में बहुत जगह पडी है, वहां रहिये। वे लोग आये। उन्होंने जंगली जानवरों का मुकाबला किया, जंगलों को काटा और आबाद किया और यहीं के सज्जन जो वैसी हालत में वहां नहीं रह सकते थे उन्होंने अपनी जमीन उनको दी। मैं समझता हूं कि यह उनका ही काम था कि जंगलों को साफ करके उस जगह को आबाद किया। हमारे एक मेरठ के मंत्री महोदय को भी यह खयाल आया कि मैं भी वहां जाकर फार्म बनाऊं, २ लाख रुपया उन्होंने दो साल में खराब किया और दो साल के बाद बैरंग वापस आ गये! तो उन जंगलों को आबाद करना, मैं समझता हूं कि क्रिमिनलों का काम है . . . ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आप भी क्रिमिनल कहते हैं ?

श्री तेजासिंह—आपने चूंकि क्रिमिनल कहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह उन्हीं का काम था कि वहां जाकर आबाद हुए। वही मेहनत करने वाले थे जिनको आप क्रिमिनल कहते हैं। जफाकश आदमी ही आबाद उस जगह को कर सकते हैं, छोटा-मोटा आदमी उसको आबाद नहीं कर सकता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के सिद्धान्तों का सवाल है, मैं माननीय माल मंत्री का मशकूर हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे सिद्धान्त इस बिल के लिए रखे हैं। श्रीमन्, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि प्लांड यूज के लिए और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए तथा भूमिहीन लोगों में जमीन बांटने लिए और लोगों में समान वितरण जमीन का हो सके और खाद्य उत्पादन हो सके, इस उद्देश्य से कोई विधेयक लाया जाय, वह उचित है। लेकिन एक उद्देश्य से मैं जरा नाइत्तफाकी करता हूं, क्योंकि वह दूसरे उद्देश्य के विरोध में है। एक तरफ माननीय मन्त्री जी की एक इच्छा है कि जो पहले कांग्रेस ने नारे लगाये थे—उन दिनों हम लोग कांग्रेस में ही थे शायद इसलिए भी लगाये गये हों—कि "लैंड टु दि टिलर", जमीन उसकी जो जोते। तो यह बड़ी ऊंची चीज है, इसके लिए बड़े-बड़े प्रयास हुए, इसीलिए जमींदारी अबालीशन जैसा बड़ा बिल आया और सबने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, उन लोगों के छोड़ कर जिनके वेस्टेड इंटेरेस्ट्स थे। इसमें जो एक सहकारी खेती की बात कही गयी है उस सिद्धान्त में और दूसरे सिद्धान्त में कि "लैंड टु दि टिलर", दोनों में आपस में मतभेद है, मतभेद ही नहीं विरोधाभास है,

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

एक दूसरे के खिलाफ पड़ते हैं । तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस विरोधाभास को हटायें, सहकारी खेती की बात को हटायें ।

इसके पहले कि मैं सहकारी खेती के नुकसानों पर आऊं, मेरी नाचीज सी राय में इसमें एक लेकुना रह गया है जिसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और मुझे पता लगा कि मेरी राय ठीक है । हम इसके पहले कुमायूं नयाबाद लैंड ऐक्ट पास कर चुके हैं । जहां तक पर्वतीय प्रदेश का सवाल है, वहां की भूमि-व्यवस्था एक दम मुख्तलिफ है । वहां ऐसी समस्याएं हैं जिनका यहां आभास भी नहीं हो सकता है । तो मैंने पता लगाया कि उसमें जो अधिकार लोगों को दिये गये हैं, श्रीमान्, आपकी इजाजत से अंग्रेजी में वह ऐक्ट है, उसे पढ़ दूं—

"The breaking up of waste land for cultivation can be :

1. by extension....."

मैं सिर्फ रेलीवेन्ट पोर्शन ही पढ़ना चाहता हूं । इसके आगे दफा ५ इस प्रकार से है :

"Subject to the rules made under section 25 every person cultivating land in Kumaun has a right to extend his cultivation over adjoining unmeasured land and the person so extending his cultivation shall possess the same rights over such extension as he has in his original cultivation".

तो, श्रीमन्, इसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं । तीन साल में कोई आदमी अपनी मैजर्ड लैंड में—हमारे यहां एक नालीवन फोर्थ आफ ऐन एकड़ होती है—एक-चौथाई एकड़ अनमेजर्ड लैंड बढ़ा सकता है और उस बढ़ाई हुई जमीन में मेजर्ड लैंड वाले, सभी अख्तियार दोगे और इस जमीन का कोई असेसमेंट नहीं किया जाता है जब तक कि नया बन्दोबस्त न हो । इस तरह से फारेस्ट की डेफीनीशन में भी इस तरह की जमीन आती है तो उसके लिये आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से यह बात हुई कि कोई कितनी जमीन तोड़ ले, उसे मुमानियत नहीं थी । १९३४ में आधा एकड़ फी साल जमीन बढ़ाने की इजाजत थी । ४८ में जो ऐक्ट आया उसके पहले डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऐक्ट से गवर्न होता था, उसमें ताकत दी गई है कि तीन साल में ५ नाली के बराबर कोई बढ़ा सकता है और उस पर नया बन्दोवस्त होने तक कोई असेसमेन्ट नहीं होगा और उसको लैंड के राइट्स होंगे । लेकिन इनमें जो नया खंड बना है उसको देखकर परेशानी होती है । इसमें पब्लिक लैंड जहां डिफाइन्ड है उसमें कुछ एक्सेप्शन हैं । इसमें दफा २ का (एच) इस प्रकार से है :—

"Unauthorized occupation" means occupation of a public land by any person without the authority of the owner for such occupation and includes its continued occupation after the expiry of the period of allotment, lease or grant or after cancellation of the allotment or determination of lease or grant in accordance with the conditions thereof ; anything contained in the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the U. P. Tenancy Act, 1939, or any other law for the time being in force to the contrary notwithstanding ;"

अर्थ यह होता है कि किसी का अनअथोराइजड आक्यूपेशन किसी को हो लेकिन अनअथोराइज्ड आक्यूपेशन किसको कहेंगे यानी वह आदमी जो ओनर की इजाजत के बिना हो ? यह सरकार की भूमि है, चाहे लीज हो, ग्रान्ट हो या पट्टा हो, किसी तरीके से हो, किसी तरह का आर्डर होना चाहिये और वह लिखित होना चाहिये । जहां पर लीज होगी वह रजिस्टर्ड होगी, कितने वर्षों के लिये होगी, यह सारी चीजें उसमें होंगी । तो अब, श्रीमन्, इसमें जो लिखित नहीं होगा वह विथाउट दि एथारिटी आफ दि ओनर होगा । इस सम्बन्ध में मैंने विभाग के अधिकारियों से भी बात की, वह भी इस डिफीकल्टी को महसूस करते हैं । उन्होंने कहा कि यह एनविसाज करता है सिर्फ लीज और ग्रान्ट को ।

में इससे इत्तिफाक नहीं करता हूं। कई चीजों में से एक यह भी हो सकती है कि वह लीज हो या ग्रान्ट हो। यह पूरी चीज को नहीं ढकता है। कुमायूं के वासियों को अधिकार है कि वे सिलसिला काश्त कर सकते हैं लेकिन उसके लिये गवर्नमेंट से कोई लिखित आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। बन्दोबस्त होने पर रकम एसैस हो जायगी लेकिन तब तक भी सरकार उसे वसूल नहीं करती है और इसलिये सरकार ने वहां बन्दोबस्त चलाया है कि बहुत ज्यादा ऐसी नौ तोड़ जमीन है। दुख है कि कुमायूं में सन् १८७२ में जब कि कोई विकेट साहेब थे, तब से कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है, यद्यपि १९०२ में कुछ थोड़ा सा था—करने की कोशिश की गई थी।

यह कानून स्पष्ट कहता है कि अगर किसी अन्य कानून में वह वैध भी हो तो वह वैध नहीं समझा जायगा जब तक कि उसके पास लिखित रूप से आज्ञा प्रदान की हुई न हो। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि यह २२,००,००० लोगों को गवर्न करेगा। इस कानून में सबसे बड़ी दिक्कत माननीय मंत्री जी की तराई भावर की है। मैं मंत्री जी से इत्तफाक करता हूं कि तराई भावर में बड़ा अन्तर हो गया है, यानी बहुत से लोग छुरे और बन्दूक के बल पर दूसरे को बेदखल करके जमीन हथिया लेते हैं और हथियायी हैं। आज दिन दहाड़े दोपहर में १२ बजे मालिक के सामने भैंस खोल ली जाती है और कहा जाता है कि उसके सींगें बदल देते हैं ताकि वह पहचानी न जा सके। अगर मालिक एतराज करें तो उसे गोली से उड़ा दिया जाता है और खन्जर से खत्म कर दिया जाता है। राय सिखों के लिये यह कहा जाता है। पंजाब में भी उन पर खून के मामले चले हुये होते हैं। माननीय तेजासिंह जी और प्रताप सिंह जी ने जैसा कहा, यह ठीक है कि एक आदमी के ऐसा बदमाश होने से सारे सिखों के लिये यह नहीं कहना चाहिये। उनमें बहुत अच्छे भी हैं, इतने अच्छे है कि सरकार ने उन्हें टिकट दिया है और यहां बुलाया है और सेंटर में मिनिस्टर भी हैं। किसी भी लालेसनेस को दबाने के लिये हमें सरकार का साथ देना चाहिये। अगर कानून की मान-मर्यादा नहीं रहेगी तो यह देश नर्क हो जायगा। लेकिन कानून भी तो ऐसा होना चाहिये ताकि ईमानदार आदमी को आंच न आवे। ला आफ प्रैस्क्रिप्शन आपने यहां रखा है। यानी २ प्राइवेट पार्टियों में इस कानून से जमीन दूसरे की हो जाती है। सरकार ने अपने लिये लिमिटेशन ६० वर्ष का रखा है लेकिन नैतिकता के आधार पर इतना नहीं होना चाहिये। जो बहुत पुराने चले आ रहे हैं उन्हें लीगलाइज करना चाहिये। लेकिन जहां यह ला आफ प्रैस्क्रिप्शन हिल पट्टीज में है उसे तो देखना ही होगा। कुमायूं डिवीजन की सिर्फ वे पट्टियां हैं जो मैदानी भाग में आती हैं उनके लिये बहस में मैं नहीं पड़ता हूं। लेकिन कुमायूं डिवीजन की हिल पट्टीज में एक भी ऐसा सवाल नहीं है।

इसीलिये बार-बार हम अर्ज करते हैं कि कमेटी में अपनी दिक्कतें बतलावें और वहां पर बड़े मजे में सब बातें मान ली जाती हैं। एक बदकिस्मती यह हो गई है कि सदन में डिबैटिंग मूड हो जाता है। इसमें सरकार की लाचारी है कि यह बिल एक्सपायर हो रहा है। लेकिन मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि भगवान के लिये चाहे आज या शीघ्र कोई दूसरा संशोधन लावें। इसकी घोषणा मंत्री जी स्वयं कर दें कि हिल पट्टीज में वह कानून एप्लाई होता है या नहीं। इसमें दिया हुआ भी है और अगर मंत्री जी नया संशोधन नहीं लावेंगे तो मैं जानता हूं कि शैतान लोग सभी जगह होते हैं। वहां कोई किसी की रिपोर्ट कर देगा। वह आदमी इस कानून का नाजायज फायदा उठा कर उस गरीब किसान को बेदखल कर देगा। तो लैंडलेस को देने की बात तो दूर रही, लेकिन ग़रीब किसान भी खत्म हो जायगा। यहां एतराज किया गया कि कल जो बिल यहां पारित हुआ उसे क्यों नहीं कुमायूं में लगाया जाता है। लोगों को शायद शिकायत है कि वहां बड़े-बड़े जमींदार हैं।

इसमें दो राय नहीं हैं कि कुमायूं में सारे यू० पी० में सब से खराब जमीन है। कहीं पत्थर वाली यानी पथरीली है और कहीं कंकरीली है। इतना सब होते हुये भी मैंने माननीय

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि वहां के लिये ४० की जगह ३० एकड़ लिमिट कर दी जाय। कुमायूं के दोस्तों से चाहे इधर बैठे हों या उधर सरकारी तरफ़ बैठे हों, सभी से हमारी बातें हुई हैं। सब सहमत हैं कि ४० एकड़ से ३० एकड़ वह कर दें और हम लोग तो इतनी दूर तक जाने के लिए तैयार हैं कि अगर ३०, ४० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास है और वह उससे ली जाती है तो एक पाई भी मुआवजा सरकार किसी को न दे। इससे पता चल जायगा कि क्यों हम ऐसा कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहां ऐसे जमींदार ही नहीं हैं, अगर हैं तो उनको आप खत्म कर दीजिये, उनसे हमको कोई मुहब्बत नहीं है। जमींदारी व्यवस्था के नाम पर यहां एक विधेयक लाया गया। आप को ताज्जुब होगा कि उसमें क्या व्यवस्था होगी। उसमें कुएं का बटवारा किया गया, पहाड़ों पर जिसका नाम भी नहीं जानते हैं। सिंघाड़ेवाली जमींन का उसमें जिक्र किया गया। सिंघाड़ा वहां जानते ही नहीं। नाक के रेंहटा को वहां सिंघाड़ा कहते हैं। श्रीमन्, पंखे की ठंडी हवा के नीचे वह बिल लिखा गया और गलत लिखा गया। यह गलती इसलिये हुई कि जब वह बिल बना था तो कुमायूं डिवीजन का उस वक्त कोई सवाल ही न था।

अब इस बिल के आधारभूत सिद्धान्तों का सवाल है, इसमें अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होने की बात है। अपने प्रान्त की यह अवस्था है कि यहां पर ७४.१ प्रतिशत लोग खेती पर मुनहसिर हैं। हिन्दोस्तान में १९०१ में १०,३३,००,७९८ आदमी रोजगार से थे शहरी और देहाती क्षेत्रों में; लेकिन १९५१ में हो गये १८२३,३७०३८ आदमी लेकिन पहले जो प्रतिशत ५०.१ था वह हो गया ३९.९ और बेकारों की संख्या ३९.९ से बढ़ कर ६०.१ प्रतिशत हो गयी और केवल ऐग्रीकल्चर क्षेत्र में रोजगार में लगे हुए लोगों की संख्या जहां ३१.२ थी वहां वह २८.६ रह गयी। उत्तर प्रदेश में ४,६८ लाख आदमी खेती पर निर्वाह करते हैं।

अब सहकारी खेती की बात आयी। उस चीज को पढ़ने की कोशिश की जिसकी वजह से सरकार सहकारी खेती करना चाहती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि छोटी छोटी इकाइयों में उपज अधिक होती है। सहकारी खेती से पर केपिटा नेट इनकम भले ही बढ़ जाय लेकिन ग्रास इनकम नहीं बढ़ती। जहां तक खाद्यान्न में वृद्धि की बात है और सहकारी खेती की बात है, दोनों में विरोधाभास है। जापान में घनी खेती होती है। वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा उपज होती है। उसकी क्या वजह है क्योंकि किसान जमीन से उतना ही प्यार करता है जितना अपनी मां से, वह जमीन को अपने पितरों की थाती समझता है। इसीलिये वह जी तोड़ कर प्रयत्न करता है। लेकिन अगर सहकारी खेती हो गयी और कम्पलशन न हुआ तो पहला आदमी दूसरे पर और दूसरा आदमी तीसरे पर काम को टालेगा।

श्री उपाध्यक्ष---यद्यपि इसमें सहकारी खेती का जिक्र आया है, लेकिन मुख्यतः उसमें बेदखली की बात है। इसलिये आप सहकारी खेती का जिक्र ज्यादा न करें तो अच्छा है। बेदखली के बारे में बोलें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---तो बेदखली होने के बाद, श्रीमन्, उन लैंडलेस लेबरर्स को जमीन मिलेगी नहीं जिनको देने का वायदा सरकार ने किया है। इस बिल का मंशा केवल यही है जो जमींदारी एबालिशन बिल रहा है कि मध्यवर्तियों को बीच में से निकाल दिया जाय और जमीन उसको मिले जो उसको जोते।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस बिल पर बोलने के लिये नेताओं को १२ मिनट का समय हो और सदस्यों के लिये ८ मिनट का समय हो ताकि पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी बोलने का मौका मिल सके। मैं आशा करता हूं कि श्रीमन् मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, श्री विष्ट के बोलने के बाद आप अपने प्रस्ताव को रखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं ने जानकारी के बावजूद भी इस बात को जनता से छिपा रखा है कि यह जमीन बेदखली होने के बावजूद भी लैंडलैस लेबरर को नहीं मिलेगी। अब यह जो सहकारी खेती की बात है यह भी बहुत इम्पार्टेंट है। सहकारी खेती से जनता को वह जमीन मिलेगी नहीं। वह तो भूतपूर्व जमींदारों की जगह पर जो सरकारी आफिसर्स हैं वे सरकार और किसान के बीच में मध्यवर्ती हो जायेंगे। यह तो वही मसल हुई कि "आसमान से गिरा, खजूर में अटका।" उसका फल इन्सान के हाथ में नहीं आयेगा। तो जहां तक सिद्धान्त की बात है, देहातों में जगह-जगह पर इसका विरोध हो रहा है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वह कह दे। आज तक कांग्रेस की तरफ से जो एग्रेरियन कमेटी, कुमारप्पा कमेटी आदि बैठीं उन सबने यह स्वीकार किया है कि जो लोग रजामन्दी से न मानें तो कुछ कम्पल्शन करना पड़ेगा। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि कम्प्रोमाइज से काम करेंगे। सहकारी खेती के अन्दर कम्पल्शन इनएविटेबिल है। इस तरह से सरकार नाम भले ही न ले लेकिन वह कम्युनिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है।

श्रीमन्, इसमें एक चीज यह रह गयी है जो इस कानून की दफा ४ में है जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जेह दिलाना चाहता हूं। यानी इसमें डेमेजेज एसेसमेंट की जो बात है या तो मैंने उसको पढ़ा नहीं या वह चीज मेरी नजर से छूट गयी। किसी भी ऐक्ट में यह प्रोवाइड होता है कि कितना दंड दिया जायगा या कितना जुर्माना किया जायगा। किसी भी कानून के रूल्स में यह चीज नहीं होती कि कितना जुर्माना किया जायगा, फलां चीज के लिये इतनी सजा होगी। दफा ४ में दिया हुआ है जिसे मैं पढ़ देता हूं—

"Where in pursuance of the notice under section 3 no objection is filed, or if an objection, not being an objection referred to the Civil Judge under section 7, is filed, then after giving the parties reasonable opportunity of producing evidence, if any, and of being heard, the Public Authority may, on being satisfied that the public land or part thereof is in unauthorized occupation, assess damage for such occupation".

श्रीमन्, मैंने पूरे कानून में यह चीज पढ़ने की कोशिश की लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। माननीय मंत्री जी ने पूछने पर बतलाया कि रूल्स में वह चीज आ जायगी। प्रिंटिंग की गलती से वह चीज रह गयी है। श्रीमन्, मैं अर्ज करूं कि मूल धारा में जुर्माने का जिक्र होना चाहिये कि कितना जुर्माना होगा और कितनी सजा होगी। इन सब बातों का आ जाना अच्छा होता है। ये सब बातें आना उचित होगा। आज तक जितने भी ऐक्ट बने उन सब में ऐसा होता आया है और आशा है कि मंत्री जी इसमें भी यह व्यवस्था कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो लेकुना है वह ठीक कर दें, मैं खास तौर से उसी के लिये खड़ा हुआ था।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अर्ज करना है कि यह बिल आज ही पास होना चाहिये क्योंकि आज ही आर्डिनेंस की म्याद खत्म हो जायगी और फिर इस पर गवर्नर की असेंट भी आना है, आज ही पास होकर यह वहां जायगा तब ही वह आ सकती है वर्ना यह लेप्स हो जायगा।

***श्री प्रताप सिंह**—जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि विधेयकों के विषय में आप की भी व्यवस्था है कि उनके लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया जाता और जैसा उन्होंने कहा कि इसे कल ही गवर्नर महोदय के पास असेंट के लिये भेजना है तो हम जानते हैं कि यह पहले से क्यों नहीं लाया गया और क्या कारण थे कि इसको देर में लाया गया, इसे पहले ही लाना चाहिये था, उनके पास ६ सप्ताह का समय था, इस तरह से जो विधेयकों के सम्बन्ध में परम्परा है उसे समय की सीमा लगा कर समाप्त नहीं करना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सुझाव दें कि जिससे पास होने में सहूलियत हो, आपस में आप तय कर लें कि कितनी देर तक साधारण बहस हो और कितनी देर तक संशोधनों पर विचार हो।

श्री प्रतापसिंह---संशोधन तो, श्रीमन्, बहुत कम हैं। लोग साधारण वादविवाद में भाग लेना चाहते हैं, इसलिये सवा ४ बजे तक तो जनरल विवाद चले और उसके बाद संशोधन लिये जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, संशोधनों के लिये समय अधिक होना चाहिये। मेरा प्रस्ताव है कि तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय जब तक कि यह पारित न हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप कोई समय बतायें कि इतनी देर तक साधारण विवाद हो और इतने समय में संशोधन लिये जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जो श्री प्रताप सिंह कह रहे हैं उसमें मुझे एतराज नहीं है लेकिन संशोधनों पर समय अधिक मिलना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमान् जी, मेरी बात सुन ली जाय, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष---अगर आप अभी बैठ जायं तो आप की बात सुनी जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अगर प्रोग्राम के मुताबिक खत्म नहीं करते तो देर तक बैठा जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन---पारित आज ही होना चाहिये। ५ बजे तक ही हो सकता है।

***श्री टीकाराम पुजारी**---१२ मिनट में संशोधन आ सकता है, लेकिन जो बोलने के ठेकेदार हैं वे १ घंटे से कम नहीं बोलते, मेरा सुझाव है कि १२ मिनट नेताओं के लिये और ८ मिनट सदस्यों के लिये रखे जायं और सदस्यों को अधिक अवसर मिलना चाहिये। जो बोलने के आदी हैं वे किसानों के बारे में नहीं जानते कि क्या उनकी समस्यायें हैं लेकिन बोलने के ठेकेदार बने हुये हैं इसलिये साधारण सदस्यों को अधिक समय दिया जाय। ८५ प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है, इसलिये जो लोग किसानों की समस्या नहीं समझते वे क्या जानें बोलना? इसलिये ग्रामवासियों को समय अधिक देना चाहिये। सदन से फेंक दोगे तो भी मैं तो सच्ची कहने आया हूं, सच्ची ही कहूंगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, कई बार इस तरह की बात होती है कि सरकार की तरफ से ऐसे समय बिल लाया जाता है और फिर मजबूरी रख दी जाती है। आज आपके आदेश के मुताबिक या मंत्री जी के अनुरोध के मुताबिक हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन भविष्य के लिये सरकार को हिदायत कर दी जाय कि जो ऐसे बिल हों उनमें पर्याप्त समय रहना चाहिए और इस प्रकार का बहाना फिर न किया जाय। मेरे विचार से सवा चार बजे तक जनरल डिस्कशन हो और उसके बाद अमेंडमेंट ले लिये जायं, यह ठीक है।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, जो यहां की प्रक्रिया है कि समय निर्धारित न किया जाय उसे तो न तोड़ा जाय। लेकिन जो लोग बोलना चाहें बोल लें। आपको यह अधिकार है कि जब वक्ता निरर्थक बोलने लगें तो आप लाल बत्ती जला दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---साढ़े तीन, पौने चार तक जनरल डिस्कशन हो जाय और उसके बाद बाकी टाइम में संशोधन ले लिये जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, एक बजे यह विधेयक पेश किया गया है। पहले का समय और दूसरे कामों में लग गया। अभी केवल तीन-चार भाषण इस पर हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जबकि उनकी गलती है। जब तक यह पास न हो तब तक यह सदन बैठे, प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--यह प्रतिबंध तो ठीक नहीं है कि भाषण पर रोक लगे, लेकिन एक मत होकर आप सब समस्या का हल निकाल लें तो मुझे प्रसन्नता होगी और आसानी भी होगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, जहां तक जल्दी वाली बात है और व्यवस्था की बात मंत्री जी ने कही है, मैं यह चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की बात न कह कर थोड़ा पहले बिल लाया जाय ताकि माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिक मौका मिले। आज के लिये मेरा विचार है कि जरूर कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि जो लोग बोलना चाहते हैं वे बोल सकें और समय के अन्दर यह विधेयक पारित हो जाय और व्यवस्था का निर्वाह भी हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--एक प्रस्ताव है कि साढ़े चार बजे तक जनरल डिस्कशन हो और उसके बाद संशोधन ले लिये जायं और दूसरा है माननीय अवस्थी जी का कि आज सदन तब तक बैठे जब तक कि विधेयक पारित न हो जाय और कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय।

श्री प्रताप सिंह--माननीय अवस्थी जी का जो प्रस्ताव है उसमें मुझे कोई असुविधा न होती लेकिन मैंने इसको पाइलट किया है इसलिये मेरा हाउस में रहना आवश्यक है। मुझे प्रिविलेज कमेटी में भी ५ बजे के बाद जाना है। मैं अवस्थी जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात को वह मान लें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि चार बजे तक जनरल डिस्कशन रख लिया जाय और फिर एक घंटे में संशोधन ले लिये जायं तो ठीक रहेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो बातें कही जा चुकी हैं उनको न दुहरावें और जिन बातों पर जोर देना चाहते हैं उनको प्रभावपूर्ण ढंग से कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगर ५ बजे तक न हुआ तो क्या गिलोटीन होगी? मेरे खयाल से गिलोटीन नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव पर वोट ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ को पारित करने के लिये ४ बजे तक साधारण वाद-विवाद हो और ४ से ५ बजे के बीच में संशोधनों पर विचार कर लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आत्म संयम की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि विधेयक के ऊपर समय निर्धारित करना स्पीकर के लिये कठिन कर्त्तव्य है और उस परम्परा को ज्यादा दोहराना नहीं चाहिये। इसलिये अगर संयम से काम लेंगे तो समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सकता है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, हमारी पार्टी के कोई सदस्य बोलना चाहें तो आप उनको जरूर मौका दें; यह हमारी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष--आप अन्य पार्टियों से सहयोग भी नहीं करेंगे और ऊपर से यह चाहेंगे कि आपकी पार्टी को अधिक समय दिया जाय।

कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी (जिला इलाहाबाद)---श्रीमन्, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे अपनी सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना है। इस हक में तो मैं नहीं हूं कि जो जबरदस्ती कब्जा कर ले उसे भूमि दे दी जाय, अनअथोराइज्ड लोगों को एनकरेज किया जाय, इसके हक में कोई भी जिम्मेदार इन्सान नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने इस बिल को पढ़ा तो पढ़ने के बाद कुछ चीजों ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया।

पहली बात आश्चर्य में डालने वाली यह थी कि राय, राय सिक्ख, जाट सिक्ख, बिखर सिक्ख और कम्बू सिक्ख किस आधार पर क्रिमिनल ट्राइब ठहराये गये। लेकिन मुझे खुशी है माननीय तेजा सिंह जी ने मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया कि हमारी इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक वह क्रिमिलन ट्राइब्स नहीं है तो मंत्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है।

दूसरी बात मुझे यह आश्चर्य की लगती है, जब यह कहा जाता है इस बिल के उद्देश्य में कि २० हजार एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया गया।

आज १२ वर्ष हो गये आजादी को आये। हमको इसके दो पहलुओं पर गौर करना होगा। एक तो सरकार को पता न चला और डाका इतना बड़ा पड़ता चला गया और दूसरे यह कि पता होते हुए भी सरकार ने कुछ न किया।

पता न लगा हो इसमें हैरान होने की यह बात है कि इतना बड़ा डाका पड़ता चला जाय और सरकार के कर्मचारियों को पता न चले यह समझ में नहीं आता। जब आप अनअथोराइज्ड होल्डर्स को यह सजा देने जा रहे हैं कि वे चले जायं तो क्यों नहीं उन सरकारी कर्मचारियों से भी एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाती है क्योंकि वे भी अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते ?

दूसरी चीज यह हो सकती है कि कर्मचारियों को पता हो तो फिर कैसे यह जमीन उनके पास छोड़ दी गयी और क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी ? इससे यह मालूम होता है कि सरकार उनको बसा रही थी और इसका सबूत यह है कि बहुत से कुटुम्ब ऐसे हैं जिनसे लगान लिया गया है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जिनसे लगान ले लिया गया हो, एक किस्त या २ किस्त भी, उनको ये छूट दे देनी चाहिये कि वे अपनी भूमि को बचा सकें और जिस तरह से वे आगे रह रहे हैं उसी तरह से आगे रहते चले जायं। इसलिये मैं ऐसा कह रही हूं कि वह बड़ा भयंकर एरिया था और वहां शुरू में कोई जाना नहीं चाहता था और अफसरों ने इस सहानुभूति से कि ये दूर से आये हुए लोग हैं, दुखी हैं, कुछ मेहनत करना जानते हैं इस भयंकर एरिया को बसाने के लिये इनको यहां बसने दिया जाय और जो लोग आते गये उनको गले लगाते गये और कहा कि रहो और उनसे लगान लेते चले गये। कर्मचारियों को ऐसा भय था कि यहां पर लोगों को बसाने की स्कीम सफल न होने पायेगी, इसीलिये लोगों को उत्साहित किया। इसलिये जिनसे लगान लिया गया हो उनको वह जमीन छोड़ दी जाय और उनको घर बेघर न किया जाय। इन दुखियों की मेहनत करने के साहस को न तोड़ा जाय। यह सिद्ध हो ही चुका है कि वे क्रिमिनल ट्राइब्स के नहीं हैं। आवश्यकता हो तो माननीय मंत्री जी जा कर स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह के लोग वे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी हो नहीं सकती क्योंकि वे लोग वहां पर इतने वर्षों से रह रहे हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी स्टेट सेकुलर स्टेट है। किसी आदमी के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिये जिससे किसी दूसरी जाति वाले को इस बात का खेद हो कि उसके लिये ऐसा कहा जा रहा है। विधेयक में तो खास कर किसी जाति विशेष के लिये ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हमारे देश के अन्दर ऐसी बात है कि थोड़ी सी बात लगाइये, भाव कुछ हो और लोग उसको जल्दी से धर्म के नाम पर ले कर चल देते हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जहां पर यह लिखा गया हो सिख ट्राइब्स उसमें से सिख शब्द हटा दिया जाना चाहिये और लिख दिया जाय वहां पर जो लोग अनअथोराइज्ड होल्डर हैं उनको हम यहां से हटाना चाहते हैं। या उन्हीं के ऊपर हम कोई एक्शन लेना चाहते हैं, किसी जाति विशेष

की बात कहने से जिनके ऊपर वह चीज होती है, भड़काने का काम करती है। यहां न भी कुछ हो, हो सकता है कि पंजाब की तरफ से या किसी दूसरी तरफ से वह हवा आये। सब सदस्य जानते हैं कि हमारी वास्तविक धर्म के नाम पर क्या हालत है। इसलिये इस शब्द को इसके अन्दर से हटा देना चाहिये और जहां सिक्ख लिखा हुआ है वह सारी लाइन हटा कर यह कर दिया जाय कि जो अनआथोराइज्ड आक्युपेंट्स हैं उन्हीं को हटाया जायगा।

इस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं जो इस विधेयक में लिखा है कि उत्पत्ति में वृद्धि होगी और हम दूसरे लोगों को भूमि दे सकेंगे। जो लैंडलेस हैं, तो हमारे पास अभी तक बहुत सी भूमि अनरिक्लेम्ड पड़ी है। अगर हम यह समझते हैं कि यहां के लोग इतनी मेहनत करके उस भूमि को रिक्लेम कर लेंगे तो पहले उनको वह भूमि देकर एक्सपेरीमेंट कर लें यह भूमि तो जोती जा रही है। इन्हें हटाने से उपज कम होगी। और जो लोग मेहनत करके अपने चने चबेना का इन्तजाम करते हैं उनको रहने दिया जाय। यह बड़ी हार्ड जमीन है उस पर खेती होना इतना सरल कार्य नहीं है।

ये तीन मांगें मेरी हैं और मेरा खयाल है कि मंत्री जी इनके ऊपर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--इस संक्षिप्त भाषण के लिये मैं बहुत अनुगृहीत हूं और माननीय नागरजी से भी निवेदन करूंगा कि आज की बातें संक्षेप में ही हों।

***श्री शिवप्रसाद नागर**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक सम्भव हो सकेगा बहुत ही सीमित बोलूंगा और जब आपको कुछ रुचिकर न लगे तो आप लाल बत्ती जला दीजियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक अध्यादेश देखा और उसका दूसरा रूप यह विधेयक देखा। इसमें एक विचित्र बात देखी। अभी कुछ दिन पहले एक विधेयक बंटा, उसके बाद एक शुद्धि-पत्र के साथ एक दूसरा विधेयक बंटा। देखा यह गया कि इसमें कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके ऊपर विशेषरूप से हमारी सरकार क्रुद्ध हो गयी है। उन्हें सरकार ने कुछ जमीनें दे रखी थीं जिन पर हजारों वर्ष से इन्सान पहुंच नहीं पाया, सरकार की आंखें अब उस पर ललचाईं। एक कहावत देहात में कही जाती है--

जोतैं बोवैं पूत गऊ के और बांधे खायं तुरंग,
खून बहावें, अन्न उपजावैं वही कहावैं नंग।

मेहनत करके अन्न तो उपजावें बैल और बंधे बंधे खायं घोड़े। वही दशा इन जातियों की है जिन्होंने हजारों वर्ष से पड़ी हुई जमीन पर से जंगल और झाड़ियां साफ करके उस पर अन्न उपजाया जिससे देश की सेवा की और जरायम का पेशा छोड़ कर एक रोजगार अपनाया। उनको कहा गया कि ये बड़े नंग हैं। श्रीमन्, इस ऐक्ट के लाने की मंशा सिर्फ यह है कि सन् ५३ में यह ऐक्ट बना और सन् ५६ में किसी ने इसके ऊपर रिट पेटीशन दायर कर दिया जो १९५६ में दायर किया गया। उस मुकद्दमे का ९८८ नम्बर है। १९५६ में आप के इस बेदखली वाले अधिनियम को हाई कोर्ट ने संविधान के आर्टीकिल १४ के अनुसार अवैध घोषित कर दिया। बस यही कारण है कि अनुच्छेद १४ की ओर कानून बनाने वालों का ध्यान नहीं गया। लेकिन उच्च न्यायालय ने इसको १९५६ में देखा। पता नहीं कि यह लोग क्यों सोते रहे और इनका ध्यान क्यों नहीं गया। इस सरकार का इतना बड़ा सैक्रेटेरियट है, इतना बड़ा कार्यालय है, मंजिल पर मंजिल बनती चली जा रही हैं, तरक्की पर तरक्की मिलती चली जा रही है, जो कल डिप्टी कलेक्टर था वह आज सेक्रेटरी है और जो सेक्रेटरी था वह आज चीफ सेक्रेटरी है। यह सब होता चला जा रहा है लेकिन इस अनुच्छेद १४ की नजाकत और नफासत की ओर किसी का ध्यान नहीं गया जबकि आपका सचिवालय लखनऊ के भीतर ही है। यह बड़े अफसोस की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव प्रसाद नागर]

एक बात मैं बताऊं कि जहां इनको कहा जाता है कि यह जरायम पेशा लोग हैं। य उनके ऊपर जरायम नहीं करते हैं जिनके पास दौलत है। मालूम ऐसा होता है कि ये लोग वाकई जरायम पेशा हैं क्योंकि इन्होंने यह जुर्म किया कि इस अधिनियम की गर्दन पर सवार हो गये और इसको तोड़ मरोड़ दिया। यह इनकी खता है कि इन्होंने आपके अधिनियम को चैलेंज कर दिया और उसको उच्च न्यायालय में ले जाकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आपको चुनौती दे दी कि यह १९५३ का आपका अधिनियम गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार आपने भूल की है। यह उनका जुर्म है और उनको सजा देने के लिये १९५९ में यह बिल लाया गया और इस पर आज बहस हो रही है। क्या होगा इसका ? आप इसकी एक एक धारा को देखें, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बताता हूं और सिगनल देता हूं कि यह ऐक्ट मर जायगा और रो नहीं पायगा क्योंकि रिट पैटीशन होगी क्योंकि इसमें खामियां हैं। इसके अलावा यह बिल संविधान के दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया है; सिर्फ इसलिये बनाया गया है कि इन लोगों को उजाड़ दिया जाय। एक बात हमने इन ढाई सालों में देखी है कि कितने ही ऐक्ट बने और अल्ट्रावायरस हो गये . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---आप जनरल बात न कहकर विधेयक पर ही कहें तो अच्छा है।

श्री शिव प्रसाद नागर---जी हां, बिल्कुल इसी पर कह रहा हूं। इसीलिये मैं खंड वाइज नहीं बोल रहा हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और उसी के अनुसार मैं बोल रहा हूं। यह विधेयक क्यों लाये हैं ? बात यह है कि आपके अधिकारियों ने धांधली की है और उन लोगों के उजाड़ने का प्रयत्न किया था। इस पर रिट पेटीशन दायर हो गई। इसलिये जिन्होंने धांधली की है और जो धांधली की है उसको वैधानिकता प्रदान करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसलिये कि बेटा जीते रहो, शाबाश, उनकी पीठ पर हाथ फेरने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें गवर्नमेंट की रेपूटेशन का सवाल है। जब किसी अधिकारी ने कुछ किया है तो उसको वैधानिकता अवश्य दी जानी चाहिये। अभी जवाहरलाल जी ने कहा है, जब थिमैया साहब के रेजिगनेशन का सवाल पैदा हुआ, कि सिविल अथोरिटी सुप्रीम अथोरिटी है। इसके मानी यह नहीं हैं कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० सुप्रीम आथारिटी है। इसके मानी यह नहीं हैं कि सेक्रेटरियेट में जो सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी बैठते हैं वह सुप्रीम अथारिटी है। इसके मानी यह नहीं है कि जो तख्तियां लगी हुई हैं, उन कुर्सियों पर बैठने वाले सुप्रीम आथारिटी हैं। इसके मानी यह हैं कि जो जन प्रतिनिधि है वह सुप्रीम आथारिटी हैं। वे सुप्रीम आथारिटी नहीं हैं जिन्होंने धांधली की है, उनकी आपने पीठ ठोंकी है कि आप यह विधेयक ले आइये। बड़े अफसोस की बात है। यह बिल लाया गया है केवल पांच जिलों के लिए। मेरी इत्तला है कि आठ जिलों में इस प्रकार की अनधिकृत भूमियों पर लोगों का कब्जा है मगर ५ जिलों में सरकारी भूमि पर कब्जा है, तीन जिलों में मेरी और आप की भूमि पर कब्जा है। जहां सरकार की जमीनों पर अनधिकृत कब्जा है उसके लिए यह कानून है और जहां पर हमारी जमीन कर कब्जा है वहां के लिए कुछ नहीं। अपना पूत पतिंगर और दूसरे का पूत धतिंगर। जहां पर उन्होंने जिक्र किया है—नैनीताल, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर और शाहजहांपुर, वहां पर उन्हीं की लिस्टमें लिखा हुआ है खीरी, बरेली और मुरादाबाद। आठ जिलों की समस्या है। बिल लाया गया है ५ जिलों के लिए। बात क्या है कि इन तीन जिलों में सरकार ने कब्जा कर रखा है हमारी जमीन पर। यह तो वही मसल हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका।

मुझे आप माफ करेंगे। यह क्या ले आयेंगे विधेयक जब हमारी ही जमीन पर कब्जा किये हुए हैं ? हमारी जमीनें जो दस दस साल से हमने जंगलात के किनारे मजरुआ की हैं, उन जमीनों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। मुकदमे चल रहे हैं। आज तक लगान दे रहे हैं, १९५३ से ५९ तक। ६ वर्षों से कब्जा है। जिला खीरी के हजारों काश्तकार

सरकार को लगान दे रहे हैं। जमीन भी सरकारी कब्जे में है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। लगान भी मेरा, जमीन भी मेरी। वह तीन जिले निकाल डाले। उपाध्यक्ष महोदय, कहीं कहीं पर हमारी जमीनों पर राय सिक्खों ने कब्जा कर रखा है। उनके लिए यह बिल नहीं आया है। स्टेट मेकैनाइज्ड फार्म, मंझरा के किनारे जितने काश्तकार हैं उनके पट्टे मौजद हैं और जो तार घिरा हुआ था उसको जो नये अधिकारी गये हैं उन्होंने तोड़ गिराया और १० खेत इधर और दस खेत उधर तार बढ़ा कर गाड़ दिया। कौन से ऐक्ट के मुताबिक उन्होंने ऐसा किया? हमने हदबन्दी की दरख्वास्त दी। पटवारी कानूनगो उनके हैं।

श्री टीकाराम पुजारी--कोरम पूरा नहीं है। ४३० में ४० हैं। यह प्रजातन्त्र है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री शिवप्रसाद नागर--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो विचार है कि यही राय सिख हैं, यही जाट सिख हैं और यही कम्बोह सिख हैं। इन्होंने मेकेनाइज्ड फार्म में किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया, तो कौन से राय सिख से यह हमारी सरकार कम है?

एक बात और कहूं कि प्रजातन्त्र में कोई भी भूमि सरकारी नहीं है। सारी भूमि जनता जनार्दन की होती है। सरकार केवल उसकी प्रबन्धक होती है। तो इनकी भूमि कहां से हो गई? हमारे सन्त विनोबा ने कहा है कि सबै भूमि गोपाल की, तो फिर इनकी भूमि कहां से हो गई? ये तो केवल उसके प्रबन्धक हैं और अगर जनता अपनी भूमि का स्वयं प्रबन्ध कर लें तो इनकी जरूरत क्या? मैं कहता हूं कि यह विधेयक बिलकुल अल्ट्रावायरस हो जायगा जिस दिन भी रिट पेटीशन दायर कर दी जायगी हाई कोर्ट में।

इसमें एक जगह कहा गया था अपराधिक जाति जो कि पहले बिल आया था उसमें। अब उसमें संशोधन कर दिया गया है और उस क्लाज को निकाल दिया गया है। मालूम पड़ता है कि कुछ धमकी उनको दी गई कि अगर ऐसा रखोगे तो कहीं ऐसा न हो कि अपने ऊपर कुछ आ जाय। तो उसको इसमें से निकाल दिया। मेरी इसमें अपनी ओपीनियन यह है कि इनको पन्त जी लाये थे किसी जमाने में स्पेशल ट्रेनों के द्वारा और ये सब करीब करीब ६ हजार परिवार बसाये गए। दो एक नहीं, छः हजार परिवार इस भूमि पर बसे हैं जिसे अनधिकृत भूमि कहा जाता है। यह छः हजार परिवार जिस वक्त बेदखल किये जायेंगे तो हमारे यह समझ में नहीं आता है कि यह बसाये कहां जायेंगे। इनके लिए कौन सा उपाय सोचा गया है? ये छः हजार परिवार जो आज एक रोजी में लगे हुए हैं, खेत जोतते हैं, अन्नोत्पादन करते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं, जरायम की तरफ से कुछ उनकी तवज्जह बदल करके खेती से कमाई की तरफ उनका रूझान बढ़ा है, तो आखिर ये जायंगे कहां? इन्हें बेदखल कर दिया गया और इनके बसाने की कोई योजना इससे पहले नहीं बनाई गई है, अगर बनाई गई होती तो हम इस बेदखली विधेयक का स्वागत करते, लेकिन अगर ऐसे ही यह उजाड़ दिये गए तो वहां से ये खाना-बदोशों की तरह निकलेंगे और जहां जो कोई मिल गया उसे लूट लाट कर अपनी जीविका चलायेंगे। इस तरह से जरायम बढ़ेगा और एक बड़ा भारी कोहराम मच जायगा हमारे प्रदेश में। छः हजार परिवार, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं समझता हूं कि समय बहुत कम है।

श्री शिवप्रसाद नागर--अब दो ही एक बात रह गई हैं। जो मुख्य बात थी वह नीचे के लिए रख छोड़ी थी। ऊपर तो केवल भूमिका थी। मुख्य बात यह है कि १२ वर्ष से वह वहां बसे हुए हैं। जिस लड़के को वह ३ वर्ष का लेकर आये थे वह अब १५ वर्ष का हो गया है। जो सन्तान उनकी यहां पैदा हुई वह भी दस बारह वर्ष की हो चुकी है। उनकी लड़कियां व्याह के लायक हो गई हैं। अब आप बतावें कि वे लड़के जिनके ऊपर यहां के वातावरण का प्रभाव पड़ चुका है, उनके लिए स्कूल वगैरह कायम हैं, वह वहां

[श्री शिवप्रसाद नागर]

पढ़ लिख रहे हैं, उनसे इस बात की आशा है कि आगे चलकर वे अच्छे नागरिक हमारे देश के बनेंगे, राष्ट्र की उन्नति में हमारा हाथ बटायेंगे और संभव है कि उन्हीं में से कोई जवाहर लाल जैसा पैदा हो जाय, और उनको अगर आप उजाड़ देंगे तो वह सभी व्याह योग्य लड़कियां और छोटे छोटे दस दस, बारह बारह वर्ष के लड़के कहां जायंगे ? उनके जो यह संस्कार पड़ गए हैं, वे सभी बदल जायेंगे और उनका जीवन बिलकुल दूषित और विकृत जीवन हो जायगा। इसलिए इस बात की तरफ हम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं कि पहले इस बात की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी कि आखिर ये सब बसेंगे कहां।

दूसरी मुख्य चीज यह है कि इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं। क्यों ? इसलिए कि कल तो अभी सीलिंग का बिल यहां से पांच दिन के डिस्कशन के बाद प्रवर समिति को गया है। वहां फिर उस पर बहस होगी और उसके बाद यहां फिर वह डिस्कस होगा। जब कि आप सीलिंग के सिद्धान्त को स्वीकार करने जा रहे हैं तो इन ६,००० परिवारों के कब्जे में केवल २०,००० एकड़ भूमि होने पर परिवार को केवल (३.३३ एकड़) ३ एकड़ ३३ डिस्मल जमीन हिस्से पर आती है। आप सीलिंग के बिल के अनुसार उन लोगों को ५,५ आदमियों के परिवार को ४०,४० एकड़ जमीन देने की बात क्यों नहीं सोचते ? आखिर उनको कहीं तो बसायेंगे या जमीन और आसमान के बीच में उनको त्रिशंकु की तरह लटकायें। कहीं पर उनको जमीन पर तो बसायेंगे ही। उनके लिये फैक्टरी तो खोली नहीं जायगी जहां पर वह काम कर सकें। उनको किसी जमीन पर बसाया जायगा। जहां पर वे उत्पादन कर सके। तो बेहतर यह है कि जिस जगह पर वह बस चुके हैं उनको उसी जगह पर बसाया जाय। ४० एकड़ जमीन सीलिंग के अन्तर्गत उनको दी जाय। इस बिल को वापस लिया जाय। अगर इस विधेयक को लाना मखसूस ही है तो यह काम करें कि किसी एक जिले में एक जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा भूमि हो और ये ६ हजार परिवार कालोनाइज हो सकें तो उस भूमि पर इन सब ६ हजार परिवारों को लेकर कोलोनाइज कर दिया जाय और कालोनाइज करके वहां पर एक मिलीटरी फोर्स रखे जो इनकी निगरानी करे। तब यह काम इस तरह हो सकता है, वरना इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री मदन पांडेय से) समय बहुत कम है। आप ५ मिनट ही लें। कुछ और सदस्यों को भी समय देना है और मंत्री जी को जवाब देना है।

श्री मदन पांडेय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। कल सीलिंग के बिल के ऊपर ५ दिन बहस करने के बाद हमने उसको पास किया। माननीय मंत्री जी ने जो भाषण अन्त में दिया था उससे यह उम्मीद मालूम पड़ती थी कि उसके बाद ही आज जो बिल आयेगा उसमें अगर उसी तरह की बातें न हो तो कम से कम उससे मिली जुली बातें सुनने को मिलेगी लेकिन आज इस बिल के संबंध में जितने भाषण उधर से सुने गये हैं उनसे निराशा हुई बिल की जो अन्तिम पदावली जोड़ी गई है उद्देश्य के संबंध में उसको पढ़ने के बाद मेरी सारी आशा के ऊपर पानी फिर गया। माननीय तेजा सिंह जी ने जिन शब्दों में इस बात के ऊपर अपना दुख प्रकट किया था, उससे हम सहमत हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने उसके बारे में संशोधन करने के लिये इस बात को स्वीकार कर लिया लेकिन इस तरह से जो इस भवन में जो शब्द पेश किये गये हैं उससे यह मालूम पड़ता है कि सरकार अभी तक आदमियों को आदमी की तरह स्वीकार नहीं करना चाहती है। इसमें जिन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है उनसे यह मालूम पड़ता है कि चाहे आप इसको स्वीकार करे या नहीं लेकिन वह परदा हटता नहीं है और इसका प्रायश्चित आपको करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इससे जो उद्देश्य बताये गये हैं वे इतने घातक हैं कि उनकी तरफ ध्यान देने को जी नहीं चाहता है। यह सदन इस बिल को तुरन्त वापस लेने का अनुरोध करें यह उचित बात मालूम पड़ती है। जहां कल तक हम जमीन बांटने की बात कर रहे थे और यह

कह रहे थे कि समाजाद की रचना के लिये हम कुछ जमीन औरों से लेकर उन लोगों को देंगे जिनके पास जमीन नहीं है और उनको इस बात का मौका दगे कि समाज का जो आवश्यक अंग है उसकी आर्थिक दशा सुधरे; आज वही समाज का आवश्यक अंग जिस जगह पर बसा हुआ है इस बिल से उसको उजाड़ा जा रहा है। श्री प्रताप सिंह और मोती लाल जी के संशोधनों को एक तरफ करें और इस बिल को वापस लें और दूसरा इससे सुन्दर बिल ले आयें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

सीलिंग के बारे में अभी हमारे भाई ने कहा कि क्यों नहीं आप सीलिंग बिल को उन पर भी लागू कर, उसके अन्तर्गत जिनके पास ज्यादा जमीन है उसको निकालने का प्रयत्न करते; मगर सही बात यह है कि इस तरह की हिम्मत भी नहीं है और न तो इच्छा। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि जितनी सीलिंग के अन्तर्गत जोत दी जा रही है उससे ज्यादा जमीन वहां जोतने वालों में शायद ही किसी के पास हो। बाकी सब लोगों के पास सीलिंग से कम जमीन वहां है। वे १२ वर्ष से वहां पर जोत रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह स्वयं एक बार उस स्थान पर जाकर उनकी दुर्व्यवस्था को देखें और यह भी पूछने का कष्ट करें कि यदि कल को उनको उजाड़ा जाता है और उनको बेदखल किया जाता है तो उनकी क्या दुर्दशा होने वाली है। यह सरकार की जिम्मेदारी है और उसको स्पष्टीकरण करना चाहिए। उन किसानों के प्रतिनिधि यहां आये थे और माल मंत्री जी से मिले भी थे। माल मंत्री जी ने उनको क्या आश्वासन दिया, यह मैं नहीं कह सकता; लेकिन इस बिल पर देखने से यह समझता हूं कि उनका यहां पर आना, सरकार से मिलना और सरकार से आश्वासन मांगना सब व्यर्थ गया है। आज पूरा अपोजीशन और उस तरफ बैठे हुए लोगों में भी एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो यह चाहते हैं कि इनको उजाड़ने वाला यह बिल न लाया जाय। भले ही पार्टी डिस्पिलिन के नाते वे लोग आपके साथ वोट दें लेकिन अगर उनसे पूछा जाय तो उनमें से अधिकांश सदस्य माननीय तेजासिंह जी की राय के होंगे। मैं इस बिल पर ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे माननीय माल मंत्री जी को इस बिल के सिलसिले में बहुत सी बातें कहनी हैं और मैं उनकी बात पहले सुनना चाहता हूं। अगर इस बिल के लाने के प्रायश्चित स्वरूप माननीय मंत्री जी यह कहें कि इन लोगों के, जो बेदखल होंगे, भरण-पोषण की वह कुछ व्यवस्था करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह विवाद करने की मेहनत कुछ सफल हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं मोतीलाल जी अवस्थी के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करता हूं कि अव्वल तो मैं यह चाहता हूं कि यह बिल रद्द करके दूसरा बिल लाया जाय, लेकिन अगर माननीय माल मंत्री जी इसको पास कराना ही चाहते हैं तो पहले इसको जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय और तब यहां विचार के लिये पेश किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय भीखालाल जी, आप भी अपनी बात ५, ७ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है इसलिये मैं थोड़े में ही अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बिल लाया गया है उन आदमियों को बेदखल करने के लिये जो कि सरकारी जमीनों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिये हैं, जैसा कि सरकार कहती है। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि अगर सरकारी जमीनों पर कोई अनधिकृत कब्जा कर ले तो उसको हटाया जाना चाहिये, लेकिन जिन आदमियों ने इन जमीनों पर कब्जा किया है वे वही शरणार्थी हैं कि जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे के समय यहां आये थे और सरकार के प्रोत्साहन पर उन इलाकों में बसे थे। वे उन जमीनों पर बसे जहां पर आज तक किसी ने खेती करने का प्रयास नहीं किया। पथरीली जमीनें हैं, जंगल से घिरी हुई और जहां तरह तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं। वहां उन लोगों ने अपना खून पसीना एक करके अपने खेत तैयार किये और आज वहां अनाज पैदा होता है। उन्हीं जमीनों से ऐसे लोगों को बेदखल करने की बात

[श्री भीखालाल]

की जा रही है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न कब पैदा हुआ ? कब ये लोग इन जमीनों पर आये ? मुझे मालूम हुआ है कि इन जमीनों पर ये लोग १०, १२ साल से काबिज हैं । क्या सरकार ने इनको कब्जा करने से रोकने का कोई प्रयत्न आज तक किया? ऐसा इसलिये नहीं किया गया क्योंकि वे सरकार के ही प्रोत्साहन से वहां बसाये गये थे । लेकिन आज किन्हीं कारणों से उनको बेदखल किया जा रहा है । उन कारणों को हमारी सरकार ही अच्छी तरह से जानती होगी ।

अब मान्यवर, इस विधेयक के पहले एक अध्यादेश जारी हुआ और उसकी बिना पर जिस तरह से इन किसानों को वहां से उजाड़ने का प्रयत्न किया गया वह कहानी बड़ी लम्बी है । उनके घर जलाये गये, उनके जानवर जबरदस्ती खोले गये और उनके घरों को लूटा गया । उनका सामान और बर्तन उठा लिया गया, उनके बैलों को भाले और कांटों से मारा गया है । उनके साथ यह निर्दयता का व्यवहार किया गया है और यह सब इस विधेयक को लाने से पहल किया गया । क्या माननीय मंत्री जी ने यह सोचा है कि इनको बेघर बार करके, बेरोजगार करके कैसे बसाया जायगा, उन लोगों के खाने-पीने की क्या व्यवस्था होगी ? कल सीलिंग के बिल पर बोलते समय माननीय मंत्री जी ने फरमाया था कि मैंने ही जमींदरी एबालिशन बिल यहां पेश किया था, मैं ही यह सीलिंग का बिल पेश कर रहा हूं । यह उनको गर्व है । क्या यह भी उनके लिये गर्व की बात है कि वे इन लोगों को बेदखल करने का बिल यहां पेश कर रहे हैं ? और उनको बेघरबार बनाने जा रहे हैं ?

यहां कुछ दिन पहले सोशल जस्टिस की बात हम लोगों को सिखायी गयी थी । हमको बताया गया था कि ४० एकड़ की लिमिट को और बढ़ाया जाय । जिन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है उसे गिराया न जाय । बड़े-बड़े फार्मों को छोड़ा जाय सोशल जस्टिस के नाम पर । सोशल जस्टिस के लिये यह भी जरुरी है कि उन लोगों की स्थिति इतनी कमजोर न कर दी जाय कि वहां विलेज लीडरशिप पैदा न हो सकें । वहां से भी इंजीनियर, डाक्टर, आई० सी० एस०, पी० सी० एस० निकल सकें । यह सोशल जस्टिस का तकाजा है, लेकिन सोशल जस्टिस का तकाजा यह नहीं है कि हजारों लोगों को बेघरबार, बेरोजगार कर दिया जाय और उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था न की जाय । इसलिए मैं ज्यादा न कह करके माननीय प्रताप सिंह जी ने जो कहा है कि किन परिस्थितियों में ये लोग काबिज हुए और अब क्यों बेदखल किया जा रहा है इन बातों पर विचार करने के लिए इस सदन को एक समिति बनानी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं । वह कमेटी जांच करे कि कितने लोग हैं, कब आये और कितने दिनों से वहां काबिज हैं, सरकार की तरफ से उनको क्या आश्वासन दिया गया था इन सब बातों को देखा जाय । एक लिमिट मुकर्रर की जाय कि ८–१०–१२–१५ एकड़, उसको छोड़ने के बाद अगर ज्यादा पर काबिज हों तो वह ले ली जाय, तब वह सोशल जस्टिस होगा, वरना इसको लाने की जरूरत नहीं है । इसलिए मैं ज्यादा न कह करके इन शब्दों के साथ प्रताप सिंह जी ने, जो संशोधन पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं कि यह प्रवर समिति में जाय और गम्भीरता से इस पर विचार हो कि इसकी जरूरत है या नहीं । हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह के अधिनियमों के जरिये से उन तमाम आदमियों को बेघरबार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भजन लाल, ५ मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

***श्री भजन लाल** (जिला इटावा)—५ मिनट में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—तो जितना कह सकें उतना कहें !

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री भजनलाल—जो कुछ कह पाऊंगा वह कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक पेश किया गया है, वह इसलिए कि एक किसान जिसके पास ९३ एकड़ जमीन थी उससे सरकार ने यह मांग की थी कि ३३ एकड़ जमीन हमें दे दो तो हमारा तुमसे कोई गुरेज नहीं रहेगा। जब उसने नहीं दी तो सरकार ने उस पर मुकदमा दायर किया जिसमें सरकार हार गई। तो "खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे" उन बेचारे पंजाब से आये हुए शरणार्थियों पर मुसीबत आ पड़ी जिनको राय सिक्ख, जाट सिक्ख, ब्रिख सिक्ख और कम्बू सिक्ख के मान से अपराधी जाति की उपमा देकर संबोधित किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के आजाद होने पर पंजाब से आये हुए शरणार्थियों को उनकी परम्परा के आधार पर अगर यहां पर अपराधी जाति ठहराया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह संविधान की अवहेलना की गयी है, संविधान के टुकड़े-टुकड़े किये गये हैं। स्वतंत्र भारत में एक व्यक्ति चोर या डाकू है तो वह जिस जाति का है वह अपराधी जाति नहीं कही जा सकती। अगर इसी तरह से व्यक्ति के आधार पर किसी जाति को अपराधी घोषित किया जायगा तो सर्वप्रथम मैं मंत्री जी से कहूंगा कि रूपा और लाखनसिंह की जाति को जो ठाकुर और ब्राह्मण हैं, जरायम पेशा करार दिया जाय क्योंकि उनके पकड़ने के लिये सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष—आप बेदखली के बारे में ज्यादा कहें तो अच्छा है।

श्री भजनलाल—उसी पर आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े अधिकारियों और उनके लड़कों ने भ्रष्टाचार में हिस्सा बटाया तो उनकी कौम को भी जरायम पेशा कौम में शामिल किया जाना चाहिए। २०,००० एकड़ जमीन, उन ५ जिलों में उन बेचारे बाहर से आये हुए लोगों से जिन्होंने जंगल काटे, छीनी जा रही है। जब हमारी सरकार अधिकतम जोत सीमा बिल लायी थी तो कहीं अच्छा होता कि उन पर मुकदमा न चलाकर ४० एकड़ की मियाद के आधार पर ९३ में से ४० निकाल लेते तब भी उसके पास ५३ एकड़ बच रहते। १३५९ फसली के मुताबिक सरकार ने उनको मौरूसी करार दे दिया तो अब उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि २० हजार एकड़ जमीन जो है, उसमें २० एकड़ की सीमा निर्धारित करके जो जमीन बचे वह उनके भूमिहीन परिवारों को दी जाय, क्योंकि वह भी भूमिहीन हैं और शरणार्थी हैं।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान इस बिल की धाराओं की तरफ लाना चाहता हूं। इस बिल में कहा गया है सहकारिता खेती के लिये २० हजार एकड़ जमीन का सवाल है। तो इसमें १० हजार एकड़ तो शरणार्थियों के हिस्से में ही चली जायगी और १० हजार एकड़ दूसरे किसानों को दे दी गई तो एक एकड़ भी जमीन नहीं बचती है। लेकिन यहां पर सहकारिता की बड़ी धूम मचाई जा रही है, खेतिहर मजदूरों की बड़ी धूम मचाई जा रही है।

श्रीमान जी, रुद्रपुर में जो १६,५०० एकड़ का फार्म है वह सहकारिता के आधार पर चल रहा है। वहां पर घाटा हो रहा है? मैं पूछता हूं कि इस प्रकार से सरकार सहकारिता के आधार पर फार्म चलायेगी। अगर ऐसे फार्म चले तब तो इस प्रदेश का दिवाला हो जायगा। अभी कुछ कांग्रेसी भाई कह रहे थे कि इस २० हजार में राजनीतिक पीड़ित भी हैं। मैं कहता हूं कि जब राजनीति पीड़ित उस जमीन को उपजाऊ न बना सके तब शरणार्थियों ने उस भूमि में जंगल तोड़कर उसको उपजाऊ बनाया और उसमें अब पैदावार करने लगे तो उनको क्यों निकाला जा रहा है। जब उन्होंने परिश्रम करके उस भूमि को ठीक किया तो उनके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिये।

खंड ४ के उपखंड (३) में यह है कि ". . . . उस व्यक्ति को सार्वजनिक भूमि बेदखल कर सकते हैं और उस पर कब्जा कर सकते हैं और उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकते हैं जो आवश्यक हो।" तो यह सरकार सब जगह आवश्यक समझ सकती है और उन पर डंडे चलवा सकती है और हर प्रकार से बल प्रयोग कर सकती है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं कुछ अर्ज करूं मैं एक सवाल भजनलाल जी से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी बे घरबार हो और वह उनके घर पर कब्जा कर ले तो क्या भजनलाल जी उसको जबरदस्ती खाली कराने की कोशिश करेंगे या नहीं। मैं समझता हूं कि भजनलाल जी भी ख्वाहिश करेंगे कि हमारा घर खाली कर दें क्योंकि बिला किसी हक के उसमें जबरदस्ती उसने कब्जा क्यों किया।

(व्यवधान)

तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पंजाब प्रदेश से हमारे बहुत से भाई दुखी होकर यहां आये और हमारे सूबे में आबाद हुए। केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने भरसक प्रयत्न किया कि हम उनकी सेवा करें उनका पुनर्वास करें और उनके लिये करोड़ों रुपया व्यय किया और मैं समझता हूं कि यह रुपया जायज तौर पर खर्च किया गया। हमको उनसे हमदर्दी है। उस विभाग का इन्चार्ज होने के नाते मुझे यह ख्याल रहता है कि उनकी जितनी सेवा हो सके, करूं। लेकिन गवर्नमेंन्ट की भी एक जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंन्ट की प्रापर्टी की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हमें कंडेम करने का पूरा-पूरा हक है। अगर हम गवर्नमेंट की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए ऐसा नहीं करते हैं और अगर आप प्रश्न करते हैं तो हमारे पास उसका कोई जवाब हो नहीं सकता।

मेरा काम माननीय गोविन्द सिंह विष्ट ने बहुत आसान कर दिया कि वहां ला एन्ड आर्डर की क्या हालत है। प्रताप सिंह जी उनके लिये यह भी नहीं कह सकते कि उन्होंने उनको देखा न होगा क्योंकि जिस क्षेत्र के वह रहने वाले हैं उसी क्षेत्र के वह हैं। इसलिये जितना उनके बारे में प्रताप सिंह जी को कहने का अधिकार है उतना ही माननीय गोविन्द सिंह विष्ट जी को है। अगर उनका कहना ठीक है तो वहां ला एन्ड आर्डर की हालत यह है कि वहां बन्दूकों और भालों के जरिये से जमीन पर कब्जा किया गया है। जब इस तरह से नाजायज तौर पर कब्जा किया जाय तो गवर्नमेंन्ट की क्या ड्यूटी है? गवर्नमेंन्ट उस जायदाद को बचाये या न बचाये गवर्नमेंन्ट की बड़ी पेनफुल ड्यूटी है। मैं कुछ आसानी के साथ ऐसा करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन ड्यूटी अंजाम देना लाजिम है। लेकिन अगर यह मान ली जाय कि किसी का नाजायज कब्जा हुआ हो और वह ज्यादा दिन तक रह गया हो, लिहाजा उसकी रक्षा न होनी चाहिये, इस लिहाज से तो किसी की जायदाद भी सेफ नहीं रह सकती। ऐसे सिद्धान्त को यह सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है। अनथराइज्ड आक्यूपेशन को प्रोत्साहन देना अत्याचार को प्रोत्साहन देना है। जब हमारे नोटिस में यह बात आयी तो हम यह बिल लाये।

हमारे मित्र ने फरमाया कि माल मंत्री जी ने फिगर्स नहीं दी। हमारे पास फिगर्स हैं। अब सुनिये बिजनौर में ४७८ एकड़ फारेस्ट लैन्ड, पीलीभीत में ६४ एकड़, शाहजहांपुर में २,२८१ एकड़ नैनीताल के खास इलाके में ६३२७ एकड़ पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो इतना कब्जा हो जाय और हम खामोशी के साथ बैठे रहें, यह बड़ा मुश्किल है। मुझे भी उनसे हमदर्दी है और मैं साफतौर पर कह देना चाहता हूं कि जो मुनासिब केसेज होंगे उन पर मैं विचार भी करूंगा, यह नहीं कि एक ही लाठी से सब को हांक दें। तो मुख्तलिफ किस्म के केसेज हो सकते हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं। जो रिआयत के मुस्तहक होंगे उनके साथ में अवश्य रिआयत करूंगा लेकिन जो रिआयत के मुस्तहक नहीं होंगे उनके साथ बेला भर भी रिआयत नहीं करूंगा।

श्री मदन पांडेय—पोलिटिकल विचार तो नहीं होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका कोई सवाल ही नहीं है यह तो और आधार पर होता है। हमारे मित्र गोविन्द सिंह ने एक बात कही कि इस विधेयक में एक लेकुना है। अगर

वे इस विधेयक के एम्स, आबजेक्टस ऐन्ड रीजन्स को पढ़ लिये होते तो मैं समझता हूं कि सारी बातें उनको मालूम हो गयी होती। इसका मंशा जो २ हजार से ज्यादा गवर्नमेन्ट लैन्ड पर कब्जा कर लिया उसी से ज्यादा है और यदि कुछ हुआ और मैंने कोई दिक्कत देखी तो यह सरकार के अधिकार की बात है, मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जिला बहराइच के नवाबाद में रूल्स में इस विधेयक के लाने की कोई मंशा नहीं है। वह हमारे अधिकार में है कि हम वहां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न मुकर्रर करें, तो कोई कार्यवाही नहीं होगी और हम यह देखेंगे कि जिस तरह से हो सके श्री गोविन्दसिंह की शिकायत को हम मिटाने की चेष्टा करें।

मैं श्री प्रतापसिंह को बिना मुबारकबाद दिये नहीं रह सकता कि उन्होंने बड़ी खूबी के साथ अपने इस मामले को रखा, जैसे एक काबिल वकील कमजोर केस को बड़ी खूबी के साथ रखता है वैसे ही उन्होंने बड़ी खूबी के साथ इस लचर मामले को इस सदन के सामने रखा है और फिर उनके कैसेज को जो जबरदस्ती कब्जा किये हुए हैं बिना किसी हकूक के। तो ऐसी सूरत में वाकई जब वे बोल रहे थे तो मेरा दिल कुछ पसीज रहा था। लेकिन जब मैंने उस पर गौर किया और केसेज के मेरिट पर ध्यान से सोचा तो मुझे सारी बहस जो उधर से आयी, वह थोथी सी प्रतीत हुई। मैंने श्री मोतीलाल अवस्थी की तकरीर को भी थोड़ा सुना लेकिन मेरी दिक्कत तो यह है कि वे इतने जोर से माइक्रोफोन पर बोलते हैं और उसके इतने करीब जाकर बोलते हैं कि पहली चोट तो कान में ऐसी पड़ती है कि आवाज ही उनकी गूंज कर रह जाती है और उनकी कोई बात ठीक तरह से समझ भी नहीं पाते हैं। तो मैं इकबाल करता हूं कि मैंने सब बातें उनकी समझी नहीं और बिना समझे किसी बात का जवाब देना, यह भी अक्ल के वाहिद बात है। उन्होंने बड़ी कोशिश की समझाने की लेकिन चूंकि बीच में मुझे बोलने की आदत नहीं है इसलिये मैं उनको कुछ कह नहीं सका। तो आयन्दा जब वे संशोधन पेश करें तो कृपा करके धीरे-धीरे बोलें और माइक्रोफोन से जरा दूर हट कर बोलें ताकि उसे हम भी समझें और उनका ठीक तरह से जवाब देने की कोशिश करें। तो मुझे और कोई चीज नहीं कहनी है। तमाम बहस हो चुकी, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया, अध्यादेश के सिलसिले में और अननुमोदन प्रस्ताव के सिलसिले में बिल्कुल एक एक प्वाइंट पर डिस्कशन हो चुका है। सब उसका रेपीटीशन है, कोई नई बात नहीं कही गई लिहाजा मैं और वक्त न लेकर अपने मित्रों से कहूंगा कि हमारे इस प्रस्ताव को मंजूर करें। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि मैं कोई ज्यादती किसी के साथ नहीं होने दूंगा। अगर यह खतरा किसी के दिल में हो तो मैं यकीन दिलाता हूं कि जब मेरा ध्यान उधर दिलाया जाएगा तो अगर बेकायदा कोई बात हुई तो मुनासिब कार्यवाही की जाएगी।

श्री प्रताप सिंह--दो केस मैंने रेफर किये हैं, उन पर जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--अभी लागू तो हो जाने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ को जनमत संग्रह हेतु वितरित कर दिया जावे। जनमत संग्रह १ माह में प्राप्त कर प्रतिवेदन सहित विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ : [The U. P. Public Land (Eviction and Recovery of Rent and Damages) Bill, 1959.] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मोतीलाल अवस्थी! संशोधनों के लिए एक घंटे का समय है। उसमें ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य हिस्सा ले सकें इसलिये संक्षेप में भाषण करें तो कृपा होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--चाहे ज्यादा कहूं या कम। परिणाम क्या होगा यह तो मालूम ही है।

खंड २

परिभाषाएं

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में--

(क) "प्रदेशन" (Allotment) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से, प्रदेशन-गृहीता द्वारा निर्दिष्ट भूमि के उपयोग तथा अध्यासन का अधिकार दिये जाने से है, किन्तु इसके अन्तर्गत पट्टे के रूप में दिया गया अनुदान नहीं है ;

ऐक्ट संख्या ४,१८८२।

(ख) "पट्टा" का तात्पर्य ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा १०५ में यथा पारिभाषित से है और उसके अन्तर्गत उसकी कबूलियत भी है ;

(ग) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(घ) "सार्वजनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर उस क्षेत्र के लिये जो तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो ;

(ङ) "सार्वजनिक भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है (जिसके अन्तर्गत वन-भूमि भी है) जो राज्य सरकार की हो या उसके स्वामित्व में हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है--

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, १ यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९।

(१) जो उस समय "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदार-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" अथवा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अधीन राज्य सरकार के किसी खातेदार के पास हो ;

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(२) जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदार-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" के उपबन्धों के अनुसरण में गांव समाज में निहित हो गयी हो; अथवा

(३) जिस पर उस समय भूमि के अनधिकृत अध्यासन के पूर्व निर्मित कोई इमारत हो ;

(च) "लगान" का अर्थ वही होगा जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में (Rent)" का दिया गया है; यू० पी० ऐक्ट, संख्या १७, १९३९ ।

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ज) "अनधिकृत अध्यासन" का तात्पर्य सार्वजनिक भूमि पर किसी व्यक्ति के ऐसे अध्यासन से है जो स्वामी के तदर्थ प्राधिकार के बिना है और प्रदेशन, पट्टे या अनुदान की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् अथवा प्रदेशन के उसकी शर्तों के अनुसार रद्द कर दिये जाने अथवा पट्टा या अनुदान के उसकी शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् बने रहने वाला अध्यासन भी इसके अन्तर्गत है, भले ही "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम", यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ या उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हुई हो; १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९।

(झ) पदावलि "प्रदेशन-गृहीता", "पट्टेदार" अथवा "अनुदान-गृहीता" के अन्तर्गत प्रदेशन-गृहीता, पट्टेदार अथवा अनुदान-गृहीता का, जैसी भी दशा हो, स्वत्व-उत्तराधिकारी भी है; तथा ।

(ङ) उन शब्दों तथा पदावलियों के जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, परन्तु जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं, वही अर्थ होंगे जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" में दिये गये हैं । १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २ में उपखंड (ङ) के अन्त में निम्न प्रकार ङ (अ) बढ़ा दिया जाय--

"ङ (अ) "सार्वजनिक प्रयोजन" का तात्पर्य भूमि का नियत नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में भूमि वितरण एवं सहकारी आधार पर कृषि होने से है ।"

माननीय मंत्री जी ने पहले से आगाह कर दिया है कि मैं उनकी बात नये सिरे से सुनूंगा । पहले जो कुछ मैंने कहा वह उन्होंने सुना नहीं ।

श्री हुकुम सिंह विसेन--सुना था लेकिन समझ नहीं पाया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, विधेयक का जो प्रिएम्बिल है उसमें ये शब्द है कि "अपेक्षाकृत अधिक खाद्य-उत्पादन तथा भूमि का और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कृषि-प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त होने योग्य सार्वजनिक भूमि के नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटने, सहकारी खेती करने तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये तुरन्त आवश्यकता है ?" इसकी जो धारा ३ है उसमें जो यह कोशिश की गई है कि जो सार्वजनिक भूमि अनधिकृत लोगों के पास है वह उनसे ली जाय, उसको लेने के लिये तरीका बताया गया है । इस कानून में और पहले जो बना उसमें मैंने जो विशेष अन्तर देखा वह केवल यही देखा कि सार्वजनिक भूमि नाम की चीज इसमें नई लाई गई है जो पहले सरकारी भूमि के नाम से थी । इस नये संशोधन से ही सरकार समझती है कि अब यह किसी प्रकार से अल्ट्रा वाइरस होने से बच जाएगा । यह विशेष उन्होंने परिवर्तन किया है । इसी में सार्वजनिक प्राधिकारी की भी नई डेफीनीशन है । सार्वजनिक प्राधिकारी भी है, सार्वजनिक भूमि है भी, लेकिन वही प्राधिकारी सार्वजनिक भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये किसी से लेने के लिये अपेक्षित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

होगा, यह भी इसमें कहा गया है लेकिन सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा कहीं भी नहीं है। जब दफ़ा ३ के अन्तर्गत नोटिस दिया जायगा, इसमें यह लिखा है। "यदि सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति के अनधिकृत अध्यासन में हो और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि वह भूमि इस अधिनियम के एक या अधिक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है....." तो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है, यह शब्द हैं, लेकिन यह सार्वजनिक प्रयोजन क्या होंगे, सार्वजनिक प्रयोजन के यह माने होते हैं कि जनता के आम काम के लिये ले। वह काम कौन से होंगे जो जनता की भलाई के लिये होंगे इसका कुछ इशारा प्रीएम्बिल में है, तीन, चार बातें हैं कि खाद्य-उत्पादन और भूमि का वितरण, कृषि प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त होने योग्य सार्वजनिक नियोजित भूमि का नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में जमीनें बांटने, सहकारी खेती करने आदि, आदि यह ६, ७ चीजें सरकार की निगाह में सार्वजनिक प्रयोजन की मालूम होती है। तो जब यह सब है क्यों न सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा पहले रख दी जाय जिससे होगा यह कि जब सरकार धारा ३ के मुताबिक नोटिस देगी तो इन ६ में से कौन से प्रयोजन के लिये जमीन लेना चाहती है इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। अन्यथा वे कारण निर्दिष्ट करेगा जिनके आधार पर बेदखली का आदेश दिये जाने का प्रस्ताव हो।" तो कारण बताना दूसरी बात है और प्रयोजन बताना बात दूसरी है। कारण तो बता सकता है कि हमें भूमि लेने की जरूरत है, कारण बता सकता है कि किसी सरकारी कार्य के लिये लेना आवश्यक है। लेकिन यहां प्रयोजन दूसरे हैं जो सार्वजनिक प्रयोजन कहते हैं। वह सार्वजनिक प्रयोजन सचमुच ही बहुत उच्च और आदर्शमय दिखाई पड़ते हैं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं। जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है बहुत अनियमित मालूम पड़ता है क्योंकि यह खंड जो है वह सार्वजनिक भूमि से सम्बन्धित है और उन्होंने जो संशोधन दिया है वह सार्वजनिक हित से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं इस भूमि पर क्या सार्वजनिक प्रयोग हो रहा है इस प्रकार का इनका संशोधन है। और इसमें सार्वजनिक भूमि कौन सी कही जानी चाहिये इस प्रकार का यह विधेयक है। इसलिये यह अनियमित है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय अवस्थी जी, आपको इस आपत्ति के बारे में क्या कहना है?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने साफतौर से यह देखा कि इसमें सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा इसके साथ जोड़ी जानी चाहिये, क्योंकि इसमें लक्ष्य है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये जमीन देना और सार्वजनिक .....

श्री उपाध्यक्ष---"सार्वजनिक प्रयोजन" का कहीं और अन्यत्र प्रयोग हुआ है इस पूरे विधेयक में?

श्री मोतीलाल अवस्थी---इसका प्रयोग हुआ है। धारा ३ आप देखें पंक्ति ३ में लिखा है "सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है।"

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। चूंकि सार्वजनिक प्रयोजन शब्द है इसलिये उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न किया है, इसलिये माननीय अवस्थी जी का संशोधन ठीक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--यह सार्वजनिक प्रयोजन का जगह-जगह इसमें उपयोग ही नहीं है, बल्कि सार्वजनिक प्रयोजन में ली जाने वाली भूमि की व्यवस्था इस कानून के अन्दर है । जितनी भूमि ली जाएगी अनधिकृत अध्यासियों से वह सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ही ली जायगी । अब ली जायगी तो सार्वजनिक प्रयोजन कौन सा होगा ? ६-७ हैं, इनमें से किस सार्वजनिक प्रयोजन के लिये लिया जाय इस बात का स्पष्ट होना आवश्यक है । तो पहले परिभाषा में स्पष्ट ह और फिर उसका प्रयोग किया जाय धाराओं में । जब धाराओं में प्राधिकारी के द्वारा प्रयोग किया जाय तो उनको नोटिस जारी किया जायगा । और उस नोटिस में वह आब्जेक्शन उठायेगा और उस आब्जेक्शन पर कोर्ट फैसला करेगी और उस पर अपील होगी । तो नोटिस में अगर यह स्पष्ट न हो किस सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है तो यह संभव है कि प्राधिकारी निरंकुशता का आधार पकड़ें और सार्वजनिक प्रयोजन की बात न कह कर वे एक गोल बात कहें और इस तरह से अपना एक निरंकुश एटीट्यूड अख्तियार करें जिससे जिसकी जमीन ली जा रही है उसकी हकतल्फी हो जाय । हो सकता है कि जिससे जमीन ली जाने वाली है वह किसी नाम से एक सार्वजनिक प्रयोजन के लिये काम कर रहा हो, तो उसे स्पष्ट होना चाहिये कि अब इस स्थिति में न रह कर दूसरी स्थिति के लिये ली जाने वाली है, अतः सार्वजनिक प्रयोजन का प्रयोग पहले स्पष्ट हो जाना चाहिये और उसे पहले स्पष्ट इसी परिभाषा के अन्दर किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । ज्यादा समय न ले कर मैं अब माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनूंगा, फिर उनका उत्तर अवश्य दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मुझे ज्यादा नहीं कहना है । मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया कि कुमायूं डिवीजन पर लागू नहीं होगा लेकिन तरमीम वे कब लायेंगे । दूसरे मोतीलाल अवस्थी जी का जो संशोधन है उसकी मैं ताईद करता हूं । जब वे तरमीम लायें तो सार्वजनिक प्रयोजन को भी डिफाइन कर दें क्योंकि अगर सार्वजनिक प्रयोजन को डिफाइन नहीं किया जायगा तो प्राधिकारी आर्बिट्रेरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

(इस समय ४ बज कर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

लिहाजा सार्वजनिक प्रयोजन को डिफाइन करना नितान्त आवश्यक है ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन--मैंने इस संशोधन को पढ़ा जिसे मेरे मित्र ने उपस्थित किया है और उसके जरिये से यह प्रयास किया गया है कि पब्लिक परपजेज को डिफाइन किया जाय । मैंने तमाम खोज की कि कहीं पब्लिक परपजेज डिफाइन हो, मैंने लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट भी देखा उसमें लिखा है क पब्लिक परपजेज इंक्लूड्स लेकिन कहीं डिफाइन नहीं किया गया और डिफाइन हो भी नहीं सकता क्योंकि बदलते हुए हालात में पब्लिक परपजेज भी बदलते रहेंगे । पार्टिशन के पहले उद्वासित लोगों को बसाने का सवाल नहीं था लेकिन अब उनका बसाना पब्लिक परपजेज में आ जाता है । लिहाजा पब्लिक परपजेज को डिफाइन करके अपने हाथ बांध लिये जायं यह किसी तरह से ठीक नहीं है । हमें ताज्जुब हुआ कि हमारे भाई गोविन्द सिंह ने क्यों ऐसी बात कही क्योंकि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ३ के क्लाज (एफ) में भी इन्क्लूड करके कहा है और उसके बाद फिर इसकी तरमीम हुई । तो अमेंडिंग ऐक्ट के सब-क्लाज १(१) में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें तीन, चार चीजें और बढ़ा दी गयीं कि ये ये भी इन्क्लूड होंगी । इस संशोधन से यह कोशिश की जा रही है कि उनको डिफाइन कर दें । ऐसा करना सम्भव नहीं है और न मुनासिब ही है क्योंकि जैसा मैंने कहा पब्लिक परपज समय के साथ बदलते रहते हैं इसलिये मुझे अफसोस है कि मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैंने मंत्री जी की बात बड़ी ध्यान से सुनी और भी काफी खोज की। इसकी परिभाषा जमींदारी विनाश कानून में तो रखी नहीं गयी जैसा कि इसके अन्दर है कि जो बची खुची डेफनीशन्स हों वे उससे ले ली जायं। लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में भी परिभाषा नहीं है। लेकिन जो विधेयक सामने है उसके लाने का विशेष कारण मुझे यही दिखलाई पड़ा कि जो सन् ५३ का कानून है जिसके सुधार रूप में यह आया है उसमें बहुत स्पष्ट है कि हम समरी ट्रायल्स लें, जो अनधिकृत लोग हैं उनको इजेक्ट करने के लिये और उनसे एरियर्स आफ रेन्ट वसूल करने के लिये कानून ला रहे हैं। लेकिन उसके प्रिएम्बिल में एक विशेष व्याख्या की गयी थी कि अब हम भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये लेना चाहते हैं और सार्वजनिक प्रयोजनों की कुछ व्याख्या उसके साथ कर भी दी गयी। तो एक प्रकार से जो नया विधेयक हमारे सामने है यह एक विशेष कार्य के लिये है। जिन लोगों की जमीन ली जा रही है वे किसी रूप में उस पर काबिज तो थे ही और कहीं से उनको मिली ही थी। अब हम उनको इसी आधार पर इजेक्ट कर सकते हैं कि यह कहें कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये लेंगे। किसी चीज को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये लेना सरकार का हमेशा अधिकार रहता है। तो जब तक हम इस सार्वजनिक प्रयोजन की बात को स्पष्ट न कहें तो जिन से जमीन ली जायगी वे यही समझेंगे कि हमसे किसी बहाने से लेने की बात है लेकिन यदि हम उनसे यह कह सकें कि तुमसे जमीन ले कर अच्छे-अच्छे सार्वजनिक प्रयोजनों में लगायी जायगी तो उन्हें संतोष भी हो जाय और जो यह गोल बात है यह भी स्पष्ट हो जाय।

हमारे मंत्री जी ने कहा कि सार्वजनिक प्रयोजन का अर्थ घटता, बढ़ता रहता है। यह मैं मानता हूं लेकिन फिर भी यह विशेष शब्द जिसके आधार पर यह कानून बना हुआ है और जो इसकी रीढ़ है उसको अगर हम बिना परिभाषित किये हुए छोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा लैक्युना रह जाता है और हम समझते हैं कि हमारे न्यायाधीशों को फिर एक मौका मिलेगा कि वे कह सकें कि यह एक बड़ा लैक्युना है जिसके कारण न्याय अन्याय हो सकता है। लेकिन मेरा मतलब यह था कि इस तरह से इसको छोड़ देने से प्राधिकारी निरंकुश हो जायंगे और मैं इस राय पर अब भी कायम हूं और मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको यूं ही कह कर न छोड़ दें कि सार्वजनिक प्रयोग बढ़ता घटता रहता है लिहाजा हम इसको छुयेंगे नहीं। मैं कहूंगा कि इसके प्रिएम्बिल में कुछ कर दिया गया है और जहां तक हमारा संशोधन उसी को ले लें तब भी काम चल जायगा। अगर उनको उसमें अधिक दिखाई दे तो वह हमारे संशोधन में संशोधन कर सकते हैं। यह संशोधन इस विधेयक को कानूनी दृष्टि से ठीक बनाने के लिये रखा गया। इसके अलावा और कई चीज इसमें नहीं है। अगर उनको इसलिये मेरी बात अच्छी न लगे कि यह विरोधी दल की तरफ से आई है तब तो बात दूसरी है। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह अत्यन्त आवश्यक है और अगर इसको नहीं रखा तो इसमें एक लैक्युना रह जायगा जो आगे चल कर आपको मालूम होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय मुझे केवल इतना अर्ज कर देना है कि जो हमारे माननीय मित्र के दिल में खौफ है कि अफसरान गड़बड़ न करें तो सार्वजनिक प्रयोग के डिसीशन में गवर्नमेंट का हाथ रहेगा और यह अफसरान के हाथ में नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ में उपखंड (ङ) के अन्त में निम्न प्रकार ङ (अ) बढ़ा दिया जाय :---

ङ (अ) "सार्वजनिक प्रयोजन" का तात्पर्य भूमि का नियत नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में भूमि वितरण एवं सहकारी आधार पर कृषि होने से है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३--६

इस अधिनियम के अधीन बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण प्रकट करने के लिये नोटिस का पहले जारी किया जाना

३--(१) यदि सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति के अनधिकृत अध्यासन में हो और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि वह भूमि इस अधिनियम के एक या अधिक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा, उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उसके तामील किये जाने के दिनांक से दस दिन से कम की न होगी, उस व्यक्ति से इस बात का कारण प्रकट करने के लिये कह सकता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त भूमि से उसकी बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।

(२) उक्त नोटिस--

(क) वे कारण निर्दिष्ट करेगा जिनके आधार पर बेदखली का आदेश दिये जाने का प्रस्ताव हो; और

(ख) सभी सम्बद्ध व्यक्तियों से, अर्थात् उन सभी व्यक्तियों से जिनका सार्वजनिक भूमि पर अध्यासन हो गया हो या जो उस भूमि में स्वत्व का दावा करते हों, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण प्रकट करने की अपेक्षा करेगा; और

(ग) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसका, सार्वजनिक प्राधिकारी की जानकारी में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अध्यासन हो, डाक द्वारा भेजा जायगा। या दिया जायगा या प्रस्तुत किया जायगा तथा ऐसी अन्य रीति से भी तामील किया जायगा जो नियत की जाय; और

(घ) खंड (ग) के उपबन्धों के अनुसार तामील किये जाने पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यथाविधि तामील किया गया समझा जायगा।

अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली

४--(१) यदि धारा ३ के अधीन नोटिस के अनुसरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय या यदि आपत्ति प्रस्तुत की जाय परन्तु वह धारा ७ के अधीन व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को अभिदिष्ट आपत्ति न हो तो सार्वजनिक प्राधिकारी पक्षों को साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का और सुनवाई का, समुचित अवसर देने के पश्चात्, इस बात का समाधान हो जाने पर कि सार्वजनिक भूमि या उसका भाग अनधिकृत अध्यासन में है, निर्धारण के ऐसे सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये जो नियत किये जायं, ऐसे अध्यासन के लिये हानिपूर्ति निर्धारित कर सकता है और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, बेदखली का आदेश दे सकता है, जिसमें यह निदेश होगा कि सार्वजनिक भूमि या उसका भाग खाली किया जाय और हानिपूर्ति का भुगतान किया जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया एकपक्षीय आदेश उसके दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा अनुपस्थिति के लिये पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है, और वह ऐसे समय के भीतर जो समुचित समझा जाय, आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत की गई आपत्ति का निस्तारण उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश का उसके दनांक से चौदह दिन के भीतर पालन करने से इनकार करे या उसका पालन न करे

तो सार्वजनिक प्राधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किये जायं, हानिपूर्ति की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल कर सकते हैं और उस व्यक्ति को सार्वजनिक भूमि से बेदखल कर सकते हैं और उस पर कब्जा कर सकते हैं तथा उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकते हैं, जो आवश्यक हो।

(४) धारा ७ की उपधारा (७) में उल्लिखित आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही, सार्वजनिक प्राधिकारी उस दशा में जब भूमि सार्वजनिक भूमि ठहराई गई हो, उपधारा (१) तथा (३) के उपबन्धों के अनुसार हानिपूर्ति के निर्धारण तथा उसकी वसूली की कार्यवाही करेगा और उस व्यक्ति को, जिसका अनधिकृत अध्यासन हो, बेदखल करेगा।

अपील

५--(१) धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उसे यथासम्भव शीघ्र निस्तारित करेगा। अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन अपील प्रस्तुत की जाय तो जिला न्यायाधीश धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो वह उचित समझे।

अनधिकृत अध्यासियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

६--(१) यदि कोई व्यक्ति धारा ४ के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक भूमि से बेदखल किया जाय तो सार्वजनिक प्राधिकारी उसे अनुज्ञा देगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश के दिनांक से चौदह दिन से कम न हो और जो सार्वजनिक प्राधिकारी तदर्थ निश्चित करे, उक्त भूमि पर विद्यमान अपनी--

(१) एकत्रित न की गई फसल या वृक्षों के फलों की देखभाल करे या उन्हें इकट्ठा करे या हटाये, तथा

(२) किसी अन्य सम्पत्ति को हटाये।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निर्धारित अवधि के भीतर, सार्वजनिक भूमि पर एकत्रित न की गयी फसल या वृक्षों के फलों या किसी अन्य सम्पत्ति की देख-भाल न करे या उसे इकट्ठा न करे या न हटाये, तो सार्वजनिक प्राधिकारी किसी ऐसी फसल या फलों या सम्पत्ति को ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, हटा सकता है या हटवा सकता है अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसका निस्तारण कर सकता है।

(३) यदि कोई सम्पत्ति उपधारा (२) के अधीन बेंच दी जाय तो विक्रय-धन, विक्रय के व्यय तथा धारा ८ के अधीन वसूल करने योग्य लगान के बकाये या हानिपूर्ति के मध्य राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जायगा जो सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके हकदार प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सार्वजनिक प्राधिकारी यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि उक्त धनराशि का अवशेष किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को देय है या उसका किस प्रकार विभाजन किया जाय तो यह सम्बद्ध पक्षों को निदेश दे सकता है कि वे क्षेत्राधिकार युक्त किसी न्यायालय द्वारा उस मामले का निर्णय करवा लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अध्यक्ष महोदय, खंड ३ में श्री प्रताप सिंह के संशोधन पर हमें एतराज है, क्योंकि प्रोपर नोटिस नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आज यह तय हो चुका है कि ५ बजे तक इसे खत्म करना है तो मैं मौका नहीं दूंगा कि इसकी इजाजत दू जब कि यह समय से नहीं आया।

श्री प्रताप सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(२) (क) के कारण निर्दिष्ट करेगा जो सार्वजनिक प्रयोजन के अन्तर्गत बेदखली के आदेश दिये जाने के लिये अपेक्षित हो।"

मान्यवर, मैंने अभी आपके सामने अपनी आपत्ति रखी थी और उसी सिलसिले में यह कहा है कि यहां जो धारा ३ है उसमें यह बताया गया है कि अधिक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है, तो वह लिखित नोटिस देगा और उस नोटिस में इस बात का उल्लेख होगा जिसके शब्द यह हैं कि "वह लिखित नोटिस द्वारा, उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उसके तामील किये जाने के दिनांक से दस दिन से कम की न होगी, उस व्यक्ति से इस बात का कारण प्रकट करने के लिये वह कह सकता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त भूमि से उसकी बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।" उक्त नोटिस पर निर्दिष्ट करेगा जिनके आधार पर बेदखली का आदेश देने का प्रस्ताव है। तो इस नोटिस में वह कारण होंगे जिनके आधार पर बेदखल करने के लिए कहा जायगा। वह कारण १, २, ३ करके नहीं देता है और नोटिस में जो फार्म हुआ करता है यद्यपि यह नियमों में आयेगा लेकिन जो साधारण नोटिस हुआ करती है उसमें शो काज भी हुआ करता है।

श्री अध्यक्ष--मुझे यह बता दीजिये कि इसमें अन्तर क्या है--"वे कारण निर्दिष्ट करेगा जिनके आधार पर बेदखली का आदेश दिये जाने का प्रस्ताव हो "तथा" आप कहते हैं "वे कारण निर्दिष्ट करेगा जो सार्वजनिक प्रयोजन के अन्तर्गत बेदखली के आदेश दिये जाने के लिए अपेक्षित हो।"

श्री मोतीलाल अवस्थी--इसमें अन्तर है। वही समझाने की कोशिश करूंगा। वह यह कि मैंने पूर्व से ही यह विचार बनाया है कि सार्वजनिक प्रयोजन की बात सरकार पहले स्पष्ट करे। यदि वह स्पष्ट कर देती है तो सार्वजनिक प्रयोजन के अन्तर्गत जो चीजें हैं वह कारण लायेंगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपने इसलिए किया, क्योंकि आप चाहते हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन का कारण कोई न कोई बता दें। लेकिन जब सार्वजनिक प्रयोजन की व्याख्या नह हुई तो जो सार्वजनिक प्रयोजन होगा वह तो बताना ही पड़ेगा। यह कौन सी नई बात है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगर परिभाषा नहीं है तो भी सार्वजनिक प्रयोजन का शब्द प्रिएम्बिल में मौजूद है। प्रिएम्बिल से कुछ सेंस कैरी होता है कि कौन-कौन से सार्वजनिक प्रयोजन हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप ३ (१) को देखें। इसमें है--"यदि सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति के अनधिकृत अध्यासन में हो और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि वह भूमि इस अधिनियम के एक या अधिक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उसके तामील किये जाने के दिनांक से.." तो इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

ये शब्द दे दिये हैं--"सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है" जब सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो तभी वह नोटिस दे सकता है। तो वह सार्वजनिक कारण अवश्य बतायेगा। वह आ ही जाता है। दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरा संशोधन ज्यादा स्पष्ट है और मूल शब्द वेग हैं। क्योंकि मैंने जो शब्द रखे हैं उनसे वह कारण जिनकी वजह से बेदखली किया जाना अपेक्षित हो, उनका उल्लेख आवश्यक है। कारण लिख करके सार्वजनिक प्रयोजन का शब्द बिल में नहीं आया है। तो कारण ऐसे भी कहे जा सकते हैं कि सरकार के पास बहुत से कारण हैं जिसके कारण आपको बेदखल करते हैं। वह कह सकती है कि सरकार के पास बहुत से कारण हैं लेकिन वह नहीं बताती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कारण सार्वजनिक प्रयोजन के हैं वह यह कहें। ताकि उलट कर सार्वजनिक प्रयोजन की बात पूछी भी जा सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो धारा पूरी पढ़ी तो मुझे मालूम होता है कि जो हमारी शब्दावली है वह ज्यादा ठीक है। हमारे मित्र ने जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने ठीक से संकेत किया पहली रमीम जो पेश की थी अगर वह मंजूर हो जाती तो इसकी गुंजायश हो सकती थी। और जब वह नामंजूर हो गई तब इसकी बात यहां पैदा नहीं होती। हमारा यह जो मौजूदा है (क) उसमें हम कारण दे देंगे नोटिस में कि इन कारणों के साथ हम आपको एजेक्ट करते हैं और वह धारा ३-क पढ़ करके तब पब्लिक एथारिटी देगा। इसलिए इसमें कोई और संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इससे पूरा काम बन जाता है बल्कि संशोधन करने से और दिक्कतें पैदा होंगी और वह दिक्कते जो हैं वह ख्वामख्वाह के लिए पैदा कर दी जायं, यह मैं उचित नहीं समझता हूं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, यह संशोधन जो मोतीलाल जी का है इसमें कुछ शाब्दिक परिवर्तन तो आप भी कर सकते हैं। 'कारण' की जगह 'तथ्य' शब्द अगर लिख दिया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी इस समय तो इसको मानेंगे नहीं क्योंकि उनको यह बिल आज ही पास करना है लेकिन भविष्य के लिए अगर वह इसको नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पब्लिक परपज कहीं डिफाइंड नहीं है। इसमें दिक्कत यह है कि आगे की धारा ४ में दिया है कि वह निर्धारित अधिकारी नोटिस देगा धारा ३ के मुताबिक और ४ के मुताबिक वह स्वयं डिसाइड भी करेगा। यानी वही अक्यूजर और वही जज हैं, वही फैसला देने वाला, सब कुछ वही रहेगा। पहले वही कहेगा कि तुम यहां से हट जाओ और दूसरे दिन निर्णय देगा कि तुम्हें यहां से हट जाना है, इसका आर्डर भी वह स्वयं देगा। तो वह तथ्य पब्लिक पर्पज के अन्दर आता है या नहीं आता है, इसका निर्णय होना जरूरी है। कल को जब एपीलेट कोर्ट के पास जायगा तो उन्हें इससे सहूलियत होगी, मान लीजिए कि किसी जमीन पर, मेरा कब्जा है, और अधिकारी उसे प्रताप सिंह जी को देना चाहते हैं, तो यह पब्लिक परपज तो हुआ नहीं, अगर नोटिस में कारण लिखा रहेगा कि इस काम के लिए लेना चाहते हैं तो वह जनहित में है या नहीं इसकी अपीलेट अथारिटी उसकी जांच कर सकेगी, नहीं तो सिनेमा बनाने के लिए भी किसी को चाहिए, तो उसके लिए भी गरीब किसान बेदखल कर दिया जायगा। माननीय मंत्री जी इसको नोट कर लें। इस समय तो वे मानेंगे नहीं क्योंकि यह आर्डिनेंस लैप्स हो जायगा, लेकिन भविष्य के लिए वह नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

***श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, अभी इस सार्वजनिक प्रयोजन के सिलसिले में काफी चर्चा हुई। यहां पर खंड ३ के (२) (क) के सिलसिले में जो माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने जिक्र किया है, यह कारण शब्द जो है, यह सीमित मालूम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ता है। इसके अन्दर व्यापकता नहीं है,। जो विधेयक हाउस के समक्ष प्रस्तुत है, सारे प्रदेश की बात उसके अन्दर है, और जो कुछ भी प्रयोजन इसके प्रिएम्बिल में दिखाया गया है उससे सारे प्रदेश में बहबूदी और उन्नति होगी, यह इसका लक्ष्य रखा गया है। लेकिन उन तमाम बातों को जब हम यहां पर ध्यान में रखते हैं तो इस कारण शब्द से वह व्यापकता नहीं आती है, नष्ट हो जाती है। यहां पर जैसा कि गोविन्द सिंह जी ने अभी कहा कि तथ्य निर्दिष्ट करेगा, तथ्य शब्द कारण की जगह रख दिया जाय तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, तो वह ज्यादा अच्छा है। वैसे माननीय अवस्थी जी ने जो शब्द उसकी जगह प्रयुक्त किये हैं वह सब से ज्यादा उपयुक्त है और मैं समझता हूं कि अगर उनका संशोधन मान लिया जाय तो एक मुनासिब बात होगी।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं फिर एक बार प्रयास कर रहा हूं कि अपने न्याय मंत्री जी को समझा पाऊं कि यह शब्द बढ़ा देने से उसमें स्पष्टता आ जायगी। आप स्वयं देख लें कि जहां यह कहा जाय कि कोई कारण निर्दिष्ट करेगा उसमें और जैसा मैंने दिया है कि वे कारण निर्दिष्ट करेगा जो सार्वजनिक प्रयोजन के अन्तर्गत बेदखली के लिए अपेक्षित हों उसमें हमेशा यही ज्यादा स्पष्ट माना जायगा जिसमें कि सार्वजनिक प्रयोजन का उल्लेख हो। हिन्दी भाषा को इसमें हमने शुद्ध कर दिया है कि वह कारण निर्दिष्ट करेगा जो कि सार्वजनिक प्रयोजन के अन्तर्गत बेदखली के आदेश दिये जाने के लिए अपेक्षित हो। कारण को ही हमने इसमें एक तरह से बांध दिया है, कि वह कारण स्पष्ट बताये जाय। जैसा कि गोविन्द सिंह जी ने बताया। कारण यह भी कहा जा सकता है कि तुम छोड़ दो, किसी दूसरे को हम देना चाहते हैं, इतना भी कारण हो सकता है, वह आदमी ज्यादा भला है। लेकिन उस कारण में सार्वजनिकता की बात जब कहनी पड़ेगी तो कुछ स्पष्ट बात कहनी ही पड़ेगी। जिसकी जमीन लेने जा रहे हैं वह भी समझ सकेगा, जिसको देने जा रहे हैं, वह भी समझ सकेगा और कोर्ट भी समझ सकेगा। सिर्फ यह नहीं कि जो हम कहें वह हमीं समझते रहें और कोर्ट भी समझ ले हमारे ही इशारे से। तो हमेशा शब्द जो कानून के अन्दर हों वह बहुत ही निश्चित होने चाहिये और अर्थ को कुअर्थ की तरफ ले जाने वाले नहीं होने चाहिये। इन सब बातों को देख कर मैंने चाहा है कि इस लीगल झगड़े में न पड़ कर ये शब्द बढ़ा दिये जायं तो ज्यादा परफेक्ट यह बन जाता है। उसको बिगाड़ते नहीं हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि न्याय मंत्री जी इस पर फिर सोचेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं अभी तक अपनी उसी राय पर कायम हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(२) (क) वे कारण निर्दिष्ट करेगा जो सार्वजनिक प्रयोजन के अन्तर्गत बेदखली के आदेश दिये जाने के लिये अपेक्षित हों"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३, ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७-९

सार्वजनिक भूमि के स्वरूप के संबंध में आपत्तियां

७--(१) यदि कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि विवादग्रस्त भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि वह आपत्ति प्रथम दृष्टया निराधार या तुच्छ नहीं है तो वह उक्त प्रश्न को, इस मामले के तथ्यों तथा विवाद स्पद विषय का उल्लेख करते हुए, क्षेत्राधिकार युक्त व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को अभिदिष्ट करेगा।

(२) उक्त अभिदेश प्राप्त होने पर व्यवहार न्यायाधीश, पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, अभिदेश का निर्णय नीचे लिखे अनुसार करेगा।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन अनुसंधान के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश का समाधान हो जाय कि उक्त भूमि---

(१) सार्वजनिक भूमि है, तो वह आपत्ति को खारिज कर देगा, या

(२) सार्वजनिक भूमि नहीं है, तो वह आपत्ति को स्वीकार कर लेगा।

(४) यदि उपधारा (५) के अधीन कोई अपील की गई हो तो उसके परिणाम के अधीन रहते हुए, व्यवहार न्यायाधीश का आदेश अंतिम और निश्चायक होगा।

(५) उपधारा (३) के अधीन व्यवहार न्यायाधीश के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उसे यथासम्भव शीघ्र निस्तारित करेगा। अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम और निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

आदेशों का स्थगन

(६) यदि उपधारा (५) के अधीन अपील प्रस्तुत की जाय तो जिला न्यायाधीश उपधारा (३) के अधीन दिये गये आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो वह उचित समझे।

(७) उपधारा (३) या उपधारा (५) के अधीन आदेश की एक प्रतिलिपि सार्वजनिक प्राधिकारी को भेजी जायगी।

लगान आदि की वसूली

८--(१) यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक भूमि के लिये देय लगान का बाकीदार हो, तो सार्वजनिक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से उसका भुगतान ऐसे समय के भीतर और ऐसी किस्तों में करने की अपेक्षा कर सकता है जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, तथा उपधारा (१) के अधीन भुगतान के लिये अपेक्षित लगान की धनराशि जमा करने के पश्चात्, उस आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उस अपील को यथासम्भव शीघ्र निस्तारित करेगा। अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(३) यदि इस धारा के अधीन भुगतान के लिये अपेक्षित लगान तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर न चुकाया जाय या जमा किया जाय तो वह मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

कतिपय अधिकारों के संबंध में व्यावृत्ति

९--इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति के ऐसा प्रतिकर वसूल करने के अधिकार को न नष्ट करेगी न उसमें हस्तक्षेप करेगी, जो उसे प्रदेशन, पट्टा या अनुदान के रद्द या समाप्त कर दिये जाने पर उस प्रदेशन, पट्टा या अनुदान की शर्तों के अनुसार पाने का हक हो।

†**श्री मोतीलाल अवस्थी**--मैं आपकी आज्ञा से यह दोनों संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "भूमि" और शब्द "नहीं" के बीच में शब्द "अथवा सार्वजनिक प्रयोजन के तात्पर्य की भूमि" रख दिये जायं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

खंड ७ के उपखंड (१) की पंक्ति २ व ३ के शब्द "और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि वह आपत्ति प्रथम दृष्ट या निराधार या तुच्छ नहीं है तो वह उक्त प्रश्न को" के स्थान पर शब्द "तो सार्वजनिक प्राधिकारी उक्त प्रश्नों को" रख दिये जायं।

अब यहां दोनों संशोधनों को अगर एक साथ लें तो यह अन्त में हो जाता है कि "यदि कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि विवाद-ग्रस्त भूमि सार्वजनिक भूमि अथवा सार्वजनिक प्रयोजन के तात्पर्य की भूमि नहीं है तो सार्वजनिक प्राधिकारी उक्त प्रश्नों को इस मामले के तथ्यों तथा विवादास्पद विषय का उल्लेख करते हुये क्षेत्राधिकारयुक्त व्यवहार न्यायाधीश को अभिदिष्ट करेगा।" सार्वजनिक भूमि के साथ-साथ सार्वजनिक प्रयोजन के तात्पर्य की भूमि भी साथ में होनी चाहिये। दोनों बातें इसमें होनी चाहिये। इस प्रकार से अब यह स्पष्ट धारा हो जाती है। अब जिस तरह से यह है उसमें हमेशा विवाद खड़ा हो जाता है कि वह भूमि विवाद-ग्रस्त है या नहीं। इस विवाद को लेकर दोनों पक्ष कानूनी व्याख्या को लेकर मुकदमेबाजी में पड़ जाते हैं न केवल इस प्राधिकारी के सामने बल्कि इसकी अपील दो दर्जे में होगी और वह सिविल जजी तक जायगी। इस चीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि केवल इस प्वाइन्ट को लेकर कि सार्वजनिक भूमि है या नहीं इस बात को साबित करने का उसको मौका मिलना चाहिये सार्वजनिक भूमि की परिभाषा जैसी इसमें दी हुई है कि वह बहुत संक्षिप्त है। इसमें दिया है कि "सार्वजनिक भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसके अन्तर्गत बन भूमि भी है जो राज्य सरकार की हो या उसके स्वामित्व में हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है जो उस समय १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम अथवा यू०पी० टेनेन्सी ऐक्ट आदि-आदि" लेकिन सार्वजनिक भूमि की परिभाषा एक ही बात से मिलती है कि जो सरकार की हो और सरकार के स्वामित्व में हो। दफा ५३ में जो गवर्नमेन्ट लैण्ड की परिभाषा दी हुई है जिसके नाम से कानून था वह इसी प्रकार है कि : "Government land means land belonging to or owned by the State Government".

अब उसमें और इसमें अन्तर देखें। इसमें कहते हैं कि सार्वजनिक भूमि वह कि जो राज्य सरकार की हो और उसके स्वामित्व में हो। इसमें भी कहते हैं कि गवर्नमेन्ट लैण्ड-लैण्ड बिलांग टु आर ओन्ड बाई दि स्टेट गवर्नमेन्ट तो दोनों परिभाषायें एक ही हैं सिर्फ सब्जेक्ट बदला हुआ है। नामकरण बदला हुआ है। क्या केवल नाम बदल देने से जिन आधारों पर हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ है वह इस पर लागू न होगा? जजमेंट में लिखा गया है कि गवर्नमेन्ट प्रिमिसेज और गवर्नमेन्ट लैन्ड, इन दोनों में फर्क करके सरकार ने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १४ के खिलाफ काम किया है। अभी मैंने उसे पढ़ कर सुनाया था। तो जो परिभाषा गवर्नमेन्ट लैण्ड के सम्बन्ध में है वही परिभाषा पब्लिक लैण्ड के बारे में की गयी है। जिस परिभाषा से हम परिभाषित वस्तु तक पहुंचते हैं वह एक ही है। सीढ़ी एक है। आपने कहा कि बजाय अटारी के हम छज्जे पर पहुंच जायंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां तक बचत की चीज होगी। जजमेंट की एक ही लाइन मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं :—

"It seems to us that by providing a special procedure for ejectment from Government land by this Act and by providing the same procedure for ejectment from Government premises by another Act, the Legislature is creating something in the nature of a *broit administratif* so that disputes relating to occupation of Government property in contradistinction to disputes arising in respect of title thereto should be decided by special authorities and by a special procedure though fortunately the decision is still amenable to the jurisdiction of this Court. The ground for differentiation in this case is merely speedy ejectment from Government land. The classification cannot be held valid under Article 14 of the Constitution."

अब यह दफा १४ साफ कहती है कि हम को कानून में समता रखनी चाहिये। उसमें कहा गया है कि गवर्नमेण्ट प्रिमिसेज और गवर्नमेन्ट लैन्ड में फर्क करके समानता का बर्ताव नहीं किया गया है। यहां शब्द बदल दिय गये हैं लेकिन उन शब्दों से जिस वस्तु पर हम पहुंचते हैं, उनका नतीजा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

एक ही है। मुझे संदेह है कि यह भी हमारे इस विधेयक के अल्ट्रावायरस होने का एक कारण न हो जाय। तो मैं ने चाहा है कि यह शब्द इसमें बढ़ा दिये जायं कि "यदि कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि विवाद-ग्रस्त भूमि, सार्वजनिक भूमि अथवा सार्वजनिक प्रयोजन के तात्पर्य की भूमि नहीं है", अगर यह दोनों ही बातें मान कर सरकार चले तो नतीजा यह होगा कि अल्ट्रा-वायरस होने की संभावना से यह बिल बच जायगा। सार्वजनिक भूमि की बात पहले कानून में नहीं थी और न उसकी आवश्यकता थी। अब इसमें आवश्यकता दिखाई पड़ी है। पहले तो आवश्यकता केवल इस बात की थी कि जो अनअथराइज्ड लोग हैं उनको इजेक्ट किया जाय और जल्दी किया जाय। अब इसका उद्देश्य भी बदला गया है। अब यह पब्लिक परपजेज के लिये ली जायगी। तो पब्लिक परपजेज की थोड़ी सी डेफिनीशन तो सरकार के दिमाग में है ही। लेकिन यहां पर दफा ७ में अगर हम इस तरह पर लड़ने के लिये इंवाइट करेंगे कि यह सार्वजनिक भूमि है या नहीं तो सार्वजनिक भूमि के नाते फिर उसी बहाव में हम पड़ जायेंगे, लेकिन अगर यह कहें कि "सार्वजनिक परपज के लिये ली गयी भूमि" तो वह सार्वजनिक भूमि के नाम पर कुछ व्याख्या और वजन आ जाता है। अब हमारे मंत्री जी समझें या न समझें, क्योंकि वह कानून के बहुत ज्यादा जानकार हैं और मैं कुछ अध्ययन करने वाला हूं। मैंने अध्ययन किया कि सरकार के काम में खामी है और यह गलत होगा कि हमारे सदन में फिर संशोधन पर संशोधन आवें, अधिनियम नये-नये आवें और समय बरबाद हो, हजारों रुपया बरबाद हो।

दूसरे ढंग से आप देखें कि इसमें एक बड़ी विचित्र बीज है। अभी तक तो प्राधिकारी को अधिकार सुनने के दिये गये हैं कि वह किसी कांटेस्टेड या नान-कांटेस्टेड केस को सुने और सुनने के बाद उसकी अपील जज के यहां हो सकेगी। यह दफा ४ में दिखाई पड़ता है और दफा ६ में भी अधिकार दिये गये हैं, उसमें भी अपील होने का रास्ता है। लेकिन दफा ७ में जो एक मुकदमा है कि यह सार्वजनिक भूमि है या नहीं इस पर विवाद किया जाय, उसमें ३ रास्ते हैं। पहले तो प्राइमाफेसी केस को डिसाइड करने का अधिकार पब्लिक अथारिटी को है। फिर दो स्टेज और हैं। सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज। सिविल जज के जाने के बाद उसके फैसले की अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी। लेकिन एक स्थिति पहले ही इस प्राधिकारी की है कि वह प्राइमाफेसी है या नहीं और बेसलेस और फ्रिवलस कह कर उसको रद्द कर दे यह भी अधिकार है।

मुझको सैद्धांतिक आपत्ति है कि इस प्राधिकारी को हम दूध का धोया क्यों समझें और जैसा कि हमारे गोविंद सिंह जी ने कहा, मैं समझता हूं कि आप हमारी बात को समझेंगे और समर्थन करेंगे कि प्राधिकारी के भरोसे हजारों आदमियों का भाग्य लटकाया न जाय। या तो यह कहें कि प्राधिकारी एक प्रासीक्यूटिंग एजेंसी हो या जज होगा, लेकिन "हम ही हम भर और सब घर"। हम ही मुकदमा चलायेंगे और हम ही फैसला भी करेंगे, यह सरकार को ही शोभा देगा लेकिन नेचुरल जस्टिस को शोभा नहीं देगा, तो जरूरत इस बात की है कि इस कांपीटेंट अथारिटी को इस प्रकार के सर्वाधिकार न दिये जायं, सिर्फ पहले नोटिस दिया जाना ही उसके लिये काफी होना चाहिये। इसीलिये मैंने यह अधिकार ले लेना उचित समझा है और इसी लिये इस संशोधन से ये शब्द हटा दिये हैं और मेरा सैद्धांतिक विरोध इसलिये है कि इस लैकुना की वजह से यह अल्ट्रा-वायरस हुई कि "गवर्नमेन्ट लैण्ड कह कर" 'गवर्नमेन्ट प्रैमिसिस' से अन्तर किया। और अब गवर्नमेन्ट लैण्ड की जगह पर पब्लिक लैण्ड कह दिया गया। तो पब्लिक लैण्ड और गवर्नमेन्ट प्रेमिसेस अब भी नहीं रहे और हाईकोर्ट अब भी अल्ट्रा वायरस कर सकती है। इसलिये मेरे शब्दों को बढ़ा देने से कुछ मजबूती आ जाती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे शब्दों पर गौर करें न कि मोतीलाल अवस्थी पर और यह न सोचें यह संशोधन विरोधी पक्ष की तरफ से आया है।

श्री हुकुम सिंह दिसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन नं० ४ का मंशा यह है कि धारा ५ में जो शब्द दिये हुये हैं जिनके मातहत कि प्राइमाफेसी बेसलेस और फ्रिवलस जो

केसेज हों उनको सिविल जज के यहां न भेजें और अगर ऐसा न हो तो वहां फैसले के लिये भेज दें। हमारे मित्र यह चाहते हैं कि यह निकाल दिये जायं। इसका नतीजा यह होगा कि बेसलेस और फ्रिवलस आब्जेक्शंस फाइल होंगे। ऐसा सिद्धांत कहीं नहीं माना गया है। यू०पी० टिनेन्सी ऐक्ट की धारा २८८ जो है उसमें भी पहले अगर सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा हो, लैण्डलार्ड और टिनेंसी को कोई क्वैश्चन रेज कर दे तो सिविल कोर्ट को भेजना पड़ता था माल की इजलास पर मगर उसमें भी देखा जाता था कि अगर फ्रिवलस और बेसलेस हो तो नहीं माना जाता था। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकता।

संशोधन नं० ३ से यह होना कि अगर हम तरमीम मान लें तो सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। उन्होंने जो पहले अमेंडमेंट रखा था उसके नामंजूर हो जाने के बाद यह भी किसी तरह से नहीं बैठता है। इसलिये इसे भी मैं मंजूर करने में मजबूर हूं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मोतीलाल जी के संशोधन के सिलसिले में मैं एक रिट के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में जो फैसला हुआ था उससे दो तीन लाइन पढ़ना चाहता हूं :—

"Their Lordships said, 'It cannot be said that there is any indication in the Act to suggest that the procedure laid down in the Act is to be availed of only in the case where expeditious recovery is desired with a view to the planned use of the land or cause of public interest .....'."

इस ऐक्ट में यह भी नहीं कहा गया है कि जो पब्लिक लैण्ड लेंगे वह पब्लिक यूज में ले लेंगे। इसीलिये माननीय मंत्री जी को उद्देश्य और कारणों में रद्दोबदल करनी पड़ी। और उन्होंने सार्वजनिक प्रयोग की दो-चार बातें बताईं। लोगों को बसाने के लिये, भूमिहीनों को सहकारी तरीके से खेती कराने के लिये आदि बातें बतायीं। यह उस जजमेंट का ही रिफ्लेक्शन है। यदि माननीय मंत्री जी इसक इस धारा में नहीं रखते और उद्देश्य और कारणों में रखते हैं तो अवश्य ही ऐक्ट फिर वायड हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि जो प्राधिकारी इस बात को निश्चय करेगा कि यह पब्लिक लैण्ड है और यह पब्लिक परपज के लिये ली जायगी, इससे उस अधिकारी को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं। अब भारतीय संविधान में किसी भी अधिकारी को अपने आफिस में बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। अगर दे दिये जायेंगे तो वायड हो जायगा। इसलिये विधेयक में माननीय मंत्री जी को इन शब्दों के जोड़ने में खतरा नजर आया तो उनके सामने एक बड़ा भारी खतरा हाईकोर्ट में फिर आ सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंडों पर बहस के लिये १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सवा पांच बजे तक सदन का समय कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, अगर इस विधेयक को देखा जाय तो मालूम होगा कि दो भागों में कानूनी कार्यवाही को विभाजित किया गया है। एक कार्यवाही तो वह है जो प्राधिकारी के समक्ष होती है। और एक कार्यवाही होती है सिविल जज के समक्ष। मैं माननीय अवस्थी जी का ध्यान धारा ४ और धारा ७ की ओर आकृष्ट करूंगा। धारा ४ में यह निहित है कि जो विषय धारा ७ (१) के अन्तर्गत आता है उस पर विचार व्यवहार जज या सिविल जज करेगा, इतर विषय प्राधिकारी करेगा। प्राधिकारी का जो फैसला होगा उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होगी और वह विषय डिस्ट्रिक्ट जज के यहां समाप्त हो जायगा। मेरा निवेदन यह है कि एक बात ही दो जगह नहीं देखी जायगी, वरना फिर उस पर विचार प्राधिकारी नहीं कर सकेगा। इसलिये सार्वजनिक कार्यों की चीज एक स्थान पर निश्चित होगी और अगर जायदाद के स्वत्व का प्रश्न यदि उपस्थित होता है तो उस हालत में धारा ७ लागू होगी।

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि जिसमें सार्वजनिक भूमि है या नहीं है, यह प्रश्न विवाद-ग्रस्त हो और प्राधिकारी यह निश्चय करता है कि प्रथम दृष्टि में वह फ्रिवोलस यानी व्यर्थ है तो क्या उसकी आज्ञा फाइनल हो जायगी, वह मामला जज के पास जायगा या न जायगा। वे चाहते हैं कि प्राधिकारी को यह अन्तिम अधिकार न होना चाहिये। उसके लिये आप क्या कहते हैं?

श्री मदनमोहन---प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृति के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं श्रीमन् कि, ऐसी भी स्थिति हो सकती है जैसे कि किसी अदालत में एक विषय निश्चित हो चुका है, वह प्रथम दृष्ट्या पुनः विचारणीय नहीं हो सकता। यूनाइटेड प्राविंसेज टिनेंसी ऐक्ट में भी ऐसे ही शब्द हैं। जब यह विषय कहीं है. . . . . .

श्री अध्यक्ष---आप यह ऐज्यूम करके क्यों चलते हैं कि ऐसा कहीं है, आप यह ऐज्यूम करके चलें कि इस तरह की कोई चीज कहीं नहीं है।

श्री मदनमोहन---कानून तो यह कहते हैं कि प्राइमाफेसी अगर आपत्ति में कोई सार मालूम नहीं होता तो क्या होगी? मैं समझता हूं कि यह अधिकार जज को होना चाहिये कि वह इस चीज को देखे कि आपत्ति की तथ्यता कहां तक है। तथ्यहीन आपत्ति द्वारा हर शख्स एक कार्यवाही को सालों चला सकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन् माननीय वर्मा जी ने जो कुछ कहा वह मेरी समझ में नहीं आया। वे बड़े विद्वान हैं लेकिन अपने रांग काज का सपोर्ट करने में उनको काफी दिक्कत पड़ी है। वर्मा जी ने कहा कि कोई सार्वजनिक भूमि नहीं है, ऐसा अगर निर्धारित अधिकारी को प्राइमाफेसी मालूम हो जाय तब तो उसको वह सिविल जज को भेजेगा और यह अगर मालूम हो जाय कि यह सार्वजनिक प्रयोजन के लिये नहीं है तब क्या होगा? मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से यह बिल आया है, जिस उद्देश्य से हाई कोर्ट ने पहले ऐक्ट को अल्टरा वायरस आफ कांस्टीट्यूशन किया है वह उस सार्वजनिक प्रयोजन के लिये न होना ही है। श्रीमन्, उग्रसेन जी ने हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ कर सुनाया, उनकी बात को मैंने ठीक से सुन तो नहीं सका, लेकिन उस फैसले को मैंने भी पढ़ा है। और इसमें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये कोई भूमि चाहिए और वह प्रयोजन क्या है ऐसी चीज इस कानून में आ जानी चाहिये। माननीय मंत्री जी भी सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ही लेने की बात को मानते हैं। तब मेरी समझ में नहीं आता कि इस बात को वे इस विधेयक में क्यों नहीं रखने को तैयार होते हैं। अगर यह चीज विधेयक में नहीं आयेगी तो जो आपका मंशा है वह खत्म हो जायगा और यह सारा बेकार हो जायगा। मंत्री जी का कहना है कि उसको रख देने से यह मामला Title के झगड़े में जस्टिसिएबिल हो सकता? मैं पूछता हूं कि जस्टिसिएबिल होने में मंत्री जी ऐतराज क्यों करते हैं? क्या उन्हें जस्टिस होने से परेशानी होती है? ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी श्री मोतीलाल अवस्थी के संशोधन को मान लें तो उनकी जो असली मंशा है वह पूरी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---अवस्थी जी, मैं १५ मिनट बैठक का समय बढ़ा देता हूं। आप ५ मिनट के अन्दर खत्म कीजिये।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---बहुत अच्छा, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से भाइयों ने मेरे संशोधन की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिये कि यह मुझ जैसे नगण्य व्यक्ति का है। क्योंकि वर्मा जी सरीखे व्यक्ति ने भी इसको पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं की और इधर उधर भटकते रहे तो बात मेरी समझ में नहीं आयी। माननीय न्याय मंत्री को भी बार बार मैंने समझाने की कोशिश की कि अपीलेट अथारिटी सिविल जज की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगी लेकिन जैसा कि वर्मा जी भी मानते हैं कि पब्लिक अथारिटी तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं, उसको जुडिशियरी में रखना प्रोसिक्यूशन के लिये अन्याय सा है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि सार्वजनिक भूमि के साथ ये शब्द भी बढ़ा दिये जायं "अथवा सार्वजनिक प्रयोजन के तात्पर्य की भूमि"। इसे सार्वजनिक भूमि क्यों कहें, साथ ही साथ इसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि क्यों न कहें? यह कहें या वह कहें दोनों तरह से हाई कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। तो सार्वजनिक भूमि के इश्यू पर मामला चले तो वह और व्यापक होता है। इतना ही मेरा कहना था। यह तो एक बहुत ही सिम्पल अमेंडमेंट है।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है "*Prima facie* baseless and frivolous" के बारे में, उसमें मैंने अर्ज किया कि यह फ़्रेज रखना बहुत जरूरी है। मैं तरमीम की मुखालिफत करता हूं नहीं तो तमाम बेकार आब्जेक्शन होंगे और डिले होगी प्रोसीडिंग्स में। दूसरी बात, जो वह कहते हैं कि लैंड इज नाट फार पब्लिक परपज और उसकी तरमीम रखी है शब्द जोड़ने के लिये तो अगर वह जोड़ दिया जाता है तो पब्लिक अथार्टी जो है उनको अधिकार हो जाता है उस पर फैसला करने का। हमारे मित्र गोविन्दसिंह जी ने आक्षेप किया कि सरकार जस्टिसेबिल नहीं चाहती। अगर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ६. पढ़ें तो उसमें दिया है :—

"*Declaration that land is required for public purpose*—(1) Subject to the provisions of Part VII of this Act when the Provincial Government is satisfied, after considering the report, if any, made under section 5-A, sub-section (2), that any particular land is needed for a public purpose, or for a company, a declaration shall be ma de to th effect under the signature of a secretary to such government or of some officer duly authorized to certify its orders".

तो इस बिल की रूह से गवर्नमेंट को अधिकार है कि तय करे कि कौन पब्लिक परपज है और कौन नहीं है। अगर यह तरमीम हम मान लेते हैं तो यह वह आथार्टी तय करेगी और सिविल जज के यहां भी जाएगा। इसलिये मैं इसे नहीं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "भूमि" और शब्द "नहीं" के बीच में शब्द "अथवा सार्वजनिक प्रयोजन के तात्पर्य की भूमि" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) की पंक्ति २ व ३ के शब्द "और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि वह आपत्ति प्रथम दृष्टा या निराधार या तुच्छ नहीं है तो वह उक्त प्रश्न को" के स्थान पर शब्द "तो सार्वजनिक प्राधिकारी उक्त प्रश्नों को" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७, ८ और ९ इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०-१७

सार्वजनिक प्राधिकारी का अधिकार ऐक्ट संख्या ५, १९०८।

१०--इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिये किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन वाद पर विचार करते समय किसी व्यवहार न्यायालय (Civll Court) को होते हैं और उसे विशेषतः निम्नांकित अधिकार होंगे--

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना, तथा

(ख) लेख्यों के निरीक्षण की तथा उनको प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

अन्य विधियों की प्रवृत्ति

११--किसी अन्य विधि में या किसी ऐसी अन्य विधि के आधार पर सप्रभाव किसी करण (instrument) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

आदेशों के संबंध में व्यावृत्ति

१२--इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा या इस के अधीन प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रवृत्ति ऐक्ट संख्या ९, १९०८

१३--इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ और धारा १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र, आपत्तियां तथा अपीलें भी हैं, प्रवृत्त होंगे।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का बचाव

१४--(१) इस अधिनियम के या इसके अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या करने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(२) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के या इसके अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या करने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण घटित या सम्भावित किसी हानि के लिये राज्य सरकार या सार्वजनिक प्राधिकारी या, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा या कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार

१५--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और पूर्वगामी अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के संबंध में व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्--

(क) नोटिस का आकार और उसे तामील करने की रीति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करना,

(ग) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) अनधिकृत अध्यासन के लिये हानिपूर्ति निर्धारित करने की रीति और वे सिद्धांत जो ऐसी हानिपूर्ति का निर्धारण करने में ध्यान में रखे जायं ;

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार अपील प्रस्तुत की जा सके और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; तथा

(च) अन्य कोई विषय, जो नियत करना हो या जो नियत किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करें।

१६--(१) उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम, १९५३ निरस्त किया जाता है। निरसन उ० प्र० अधिनियम संख्या २९, १९५३।

(२) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह (अध्यादेश) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित अधिनियमिति (enactment) हो। उ० प्र० अध्यादेश सं० ४, १९५९ यू०पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४।

१७--इस अधिनियम की धारा १६ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ के निरस्त हो जाने पर भी-- वैधीकरण

(क) सभी मामलों में उक्त अधिनियम या उक्त अध्यादेश के अधीन की गई सभी कार्यवाहियां, दिये गये सभी आदेश तथा आरम्भ की गयीं सभी कार्यवाहियां, चाहे उनका निस्तारण हो गया हो या वे विचाराधीन हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार की गई कार्यवाहियां, दिये गये आदेश और आरम्भ की गई कार्यवाहियां, जैसी भी दशा हो, समझी जायंगी, तथा

(ख) पूर्वोक्त अधिनियम या अध्यादेश के अधीन ऐसी सभी कार्यवाहियां तथा अपीलें जो उक्त अधिनियम या अध्यादेश के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व प्रारम्भ की गई हों अथवा उक्त दिनांक पर विचाराधीन हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार कार्यवाहियों के रूप में, यथास्थिति, जारी रहेंगी, सुनी जायंगी और निर्णीत की जायंगी,

मानो यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि खंड १० के उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (ग) और बढ़ा दिया जाय :

"(ग) प्रदेशन, पट्टे एवं अनुदानों की अवधि अथवा शर्तों में परिष्कार वृद्धि या संशोधन करने में वादों में समझौता करना।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इस धारा में उस प्राधिकारी के अधिकार बताये गये हैं। मेरा कहना यह है कि सब तो वह करेगा लेकिन अगर इन विवादों में कहीं शांति लाने के लिये कोई बात हो जाय या वह देखे कि इसमें सरकार का लाभ है किसी मामले को कम्पाउन्ड कर लिया जाय तो कम्पाउन्ड करने के लिये हालत होनी चाहिये। कम्पाउन्ड किस रूप में होगा। सारा झगड़ा इसमें इस बात का है कि पट्टे पर किया हुआ हो या उनकी शर्तों के मुताबिक न चल रहा हो, या सार्वजनिक प्रयोग की चीजों के अन्दर न आता हो। ऐसे ही जब कोई प्रबन्ध आता है तभी धारा ४ और ७ खड़ी होती है। लेकिन यह सब पास हो जाने के बाद तो मुझे कोई ऐसी आपत्ति नहीं दिखाई देती और चाहता हूं कि सरकार इन लोगों से जमीन तो ले लेकिन उनका सब कुछ हरण न करे। इसलिये उनके साथ प्रदेशन, पट्टे और अनुदानों के संबंध में जहां दिखाई पड़े वहां समझौता करने की शक्ति भी दे दी जाय ताकि जो द्वेष का भाव हो वह कम हो जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, तमाम बातें देख करके तब नोटिस जारी होगा। और हमारी दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट ग्रांट में अफसरों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता सिवाय गवर्नमेंट के। लिहाजा उनको समझौते की इजाजत देना ठीक नहीं मालूम होता। इसके अलावा यह संशोधन धारा १० के करीब बैठता भी नहीं है। अगर बैठता था तो धारा ४ के पास बैठता था। इसलिये मुझे यह संशोधन अस्वीकार है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर मंत्री जी को औचित्य दिखाई पड़ता है तो वह इसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि एक तरफ तो उन्होंने पब्लिक अथारिटीज को प्राइमाफेसी केस खत्म करने का अधिकार दिया है और यहां यह अधिकार देने को तैयार नहीं हैं। तो बहुमत उनके साथ है जो चाहें वह पास करा लें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (ग) और बढ़ा दिया जाय :

"(ग) प्रदेशन, पट्टे एवं अनुदानों की अवधि अथवा शर्तों में परिष्कार, वृद्धि या संशोधन करने में वादों में समझौता करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० से १७ तक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९

सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने तथा अन्य कतिपय प्रासंगिक मामलों के संबंध में व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

अपेक्षाकृत अधिक खाद्य-उत्पादन तथा भूमि का और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कृषि-प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त होने योग्य सार्वजनिक भूमि की नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटने, सहकारी खेती करने तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये तुरन्त आवश्यकता है;

और ऐसी भूमि पर, जब वह अनधिकृत अध्यासन में हो, पुनः कब्जा प्राप्त करने में विलम्ब पूर्वोक्त सार्वजनिक प्रयोजनों की पूर्ति में बाधक है,

और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ गवर्नर द्वारा १५ जुलाई, १९५९ को ऐसे व्यक्तियों के, जिनका सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अध्यासन हो, बेदखल करने तथा उससे सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये शीघ्रतर प्रक्रिया की तुरन्त व्यवस्था करने के निमित्त प्रख्यापित किया गया था ; उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९५९

और 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३(२) (क) के अनुसार उक्त अध्यादेश विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह व्यतीत होने पर प्रवर्त्तन में न रहेगा और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि वह विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ [The U. P. Public Land (Eviction and Recovery of Rent and Damages) Bills 1959.] जैसे कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं इसलिये कि इसमें जो भी समझदारी के संशोधन रखे गये उनमें से एक भी नहीं माना गया। अतः यह हमारे लिये अग्राह्य है और सदन इसको पास न करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ [The U. P. Public Land (Eviction and Recovery of Rent and Damages) Bill, 1959.], जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर सोमवार, ७ सितम्बर, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
४ सितम्बर, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५७ पर)

१—आगरा
२—अलीगढ़
३—इलाहाबाद
४—अल्मोड़ा
५—बरेली
६—बस्ती
७—बिजनौर
८—बुलन्दशहर
९—देहरादून
१०—फैजाबाद
११—गोरखपुर
१२—गोंडा
१३—गढ़वाल
१४—झांसी
१५—जौनपुर
१६—कानपुर
१७—लखनऊ
१८—मेरठ
१९—मुरादाबाद
२०—मथुरा
२१—मिर्जापुर
२२—मुजफ्फरनगर
२३—सहारनपुर
२४—वाराणसी

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७८ पर)

परिशिष्ट 'क'

हिन्दी समिति पर निम्नलिखित व्यय किया गया है :

		रु०
१९५६–५७	..	१२,८६६·१०
१९५७–५८	..	४५,१९३·५०
१९५८–५९	..	५१,३६९·६७

परिशिष्ट 'ख'

१—सहायक सचिव	१	८—लघु श्रेणी सहायक	२
२—बिक्री व्यवस्थापक	१	९—कन्वेसर	१
३—सम्पादक	१	१०—स्टोर कीपर	१
४—गणक	१	११—दफ्तरी	१
५—प्रवर वर्ग सहायक	४	१२—बढ़ई	१
६—टेक्निकल सहायक	२	१३—चौकीदार	१
७—संस्कृत संम्पादक	१	१४—चपरासी	३

संसद भवन पुस्तकालय

नत्थी 'ग',

(देखिये तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पाठ ३७९ पर)

अनुसूची उन जिलों की जिनमें गत मार्च महीने में ओला आंधी आदि से रबी की फसल को क्षति पहुंची, तथा उन जिलों में जो अनुमानित क्षति हुई

क्रम-संख्या	जिले का नाम	क्षतिग्रस्त ग्रामों की संख्या जिनमें अनुमानित क्षति की मात्रा	
		रुपये में ८ आने या उससे अधिक थी	रुपये में ६ आने और ८ आने के बीच थी
१	देहरादून	४९	—
२	सहारनपुर	१५४	—
३	मुजफ्फरनगर	३१	—
४	अलीगढ़	१४	—
५	मथुरा	४	—
६	एटा	२३	—
७	बरेली	४	—
८	बिजनौर	१२६	—
९	मुरादाबाद	१२	—
१०	शाहजहांपुर	३७	७५
११	पीलीभीत	१८	—
१२	वाराणसी	७	—
१३	बस्ती	११०	—
१४	नैनीताल	१२६	—
१५	गढ़वाल	५	—
१६	सीतापुर	१५०	—
१७	हरदोई	१	—
१८	खेरी	८०	—
१९	फैजाबाद	२,८५८	—
२०	गोंडा	२०	—
२१	बहराइच	५०	—
२२	सुल्तानपुर	२,०७६	—
२३	प्रतापगढ़	५	—
२४	बाराबंकी	२०७	—
	योग ..	६,१६७	७५

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १५८ एल ए०—१९५९—८४५।